लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

Parliament Library
18-6-92
26-11-83

सत्यमेव जयते

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13—सोमवार, 22 नवम्बर, 1965/1 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 13—*Monday, November* 22, 1965/*Agrahayana* 1, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*तारा० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
357	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का प्रश्न	Tibet Question in U.N.O. . .	1103–07
358	भारतीय राज्य-क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सेना का रखा जाना	Stationing of U. N. Force in Indian Territory	1107–10
359	अमरीका के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधान मंत्री की बैठक	Meeting between U. S. A. President and Indian Prime Minister .	1110–13
360	ब्रिटेन के समाचार-पत्रों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian propaganda by the British Press . . .	1114–17
361	विदेशी संवाददाता	Foreign Correspondents . .	1117–20
362	जकार्ता स्थित एयर इंडिया का कार्यालय	Air-India Office at Djakarta .	1120–21
363	अनुशासन संहिता	Discipline Code	1121

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारा० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
364	सेवा-निवृत्त सैनिक कर्मचारियों का राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाया जाना	Settling of Retired Army Personnel in Rajasthan Canal Area .	1122
365	सशस्त्र चीनी सैनिकों द्वारा मारे गये भारतीय	Indians killed by Chinese Armed Personnel	1122
366	आकाशवाणी कार्यक्रम सम्बन्धी समिति	Committee on A. I. R. Programmes	1123
368	विदेश प्रसारण सेवा	Foreign Broadcasting Service	1123–24
369	भारत-पाकिस्तान वार्ता के लिए सुरक्षा परिषद् की उप-समिति	Sub-Committee of Security Council for Indo-Pak Talks . .	1124
370	संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रतिनिधित्व	China's Representation in U.N.O.	1124–25
371	यूगोस्लाविया से ट्रांसमिटर	Transmitters from Yugoslavia .	1125

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
372	पाकिस्तान द्वारा वायुसीमा का अतिक्रमण	Air-space Violations by Pakistan	1125–26
373	पाकिस्तान में गिरफ्तार किये गये भारतीय नागरिक	Indian Nationals arrested in Pakistan	1126
374	भारतीय टैंक "विजयन्त"	Indian Tank "Vijayanta" .	1126–27
375	राष्ट्रमंडल सचिवालय के लिए भारतीय उम्मीदवार	Indian Candidate for Commonwealth Secretariat . .	1127
376	पूर्वी पाकिस्तान में "भारत कुचलो दिवस"	'Crush India Day' in East Pakistan	1127–28
377	नेताजी के जन्म दिन पर आकाशवाणी कार्यक्रम	A. I. R. Programme on Netaji's Birthday . . .	1128
378	ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of Indian Deputy High Commission's Personnel in Dacca	1128–29
379	ई० एम० ई० कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of E. M. E. Workers	1129
380	भारतीय क्षेत्र पर शत्रु के विमानों की उड़ान	Flights by Enemy Planes over Indian Territory . . .	1129–30
381	प्रतिरक्षा के मामले में अन्य देशों से सहयोग	Collaboration with other Countries in Defence Matters .	1130
382	पहाड़ी डिवीज़न	Mountain Divisions . . .	1130
383	खाद्य तथा कृषि मंत्री का भाषण	Speech of Minister of Food and Agriculture	1131
384	एमरजेंसी कमीशन देना	Grant of Emergency Commission	1131
385	पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय राजनयिक थैलों की तलाशी	Indian Diplomatic Bags searched by Pak Authorities. . .	1132

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

983	विशेष स्मृति डाक टिकट	Special Postal Commemoration Stamp	1132
984	डाक तथा तार विभाग में "लोअर सिलैक्शन ग्रेड"	Lower Selection Grade in P. & T. Deptt.	1132–33
985	आयुध कारखानों में कमीशन-प्राप्त अधिकारी	Commissioned Officers in Ordnance Depots . . .	1133
986	भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी	Officers in Indian Foreign Service	1133–34
987	नाभिकीय कार्यक्रमों पर व्यय	Expenditure on Nuclear Programmes	1134

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
988	कालीकट में डाक तथा तार के कर्मचारियों के क्वार्टर	P. & T. Staff Quarters in Calicut	1134
989	केरल म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Kerala Municipal Workers . . .	1135
990	कोयला खानों में दुर्घटनायें	Accidents in Coal Mines . .	1165
991	विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्ति	Persons of Indian Origin in Foreign Countries . . .	1135
992	आकाशवाणी में नियुक्तियां	Appointments in A.I.R. . .	1136
993	रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों के दर्ज भूतपूर्व सैनिक	Ex-servicemen on live registers of employment exchanges .	1136
994	ब्रिटेन के लिये दिये गये पारपत्र	Passports issued for U.K. .	1136
995	बेरोजगार स्नातक	Unemployed Graduates .	1137
996	परमाणु ऊर्जा	Atomic Energy	1137–38
997	यूरेनियम का उत्पादन	Production of Uranium . .	1138–39
998	मध्य प्रदेश के निर्वाह सूचकांक	Cost of Living Indices for Madhya Pradesh	1139
999	मध्य प्रदेश में आदिवासी श्रमिक	Adivasi Labour in Madhya Pradesh.	1139
1000	पावलेश्वर के पास कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Coal Mine near Pawleshwar	1139
1001	नौसेना के उपकरण के लिए जंग न लगने देने वाला पेंट	Anti-Corrosive paint for Naval Equipments . . .	1140
1002	नागाओं द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन	Cease-fire Violations by Nagas .	1140–41
1003	भारत द्वारा परमाणु हथियारों का निर्माण	Manufacture of Nuclear Weapons by India . . .	1141
1004	इण्डोनेशिया में जलाई गई भारतीय फिल्म	Indian Film burnt in Indonesia	1141
1005	टेलीफोन प्रणाली की कार्यकुशलता	Working Efficiency of Telephone System	1142
1006	बेरोजगारी	Unemployment . . .	1142
1007	राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रादेशिक सेना के साथ एकीकरण	Integration of N. C. C. with Territorial Army. . . .	1142–43
1008	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में प्रचार	Publicity about Indo-Pak Conflict	1143
1009	पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी हलचल	Pak activities on Eastern Border	1143–44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1010	भारतीय नौसेना के लिए सोवियत "सीक्राफ्ट"	Soviet Seacraft for Indian Navy	1144
1011	जवानों तथा उनके परिवारों के लिये सुविधायें	Amenities for Jawans and their Families	1144
1012	नेपाल के लिए सहायता	Aid for Nepal	1144-45
1013	राजदूतों की विभागीय बैठकें	Departmental Meetings of Ambassadors	1145
1014	अहमदाबाद के लिए नया ट्रांसमिटर	New Transmitter for Ahmedabad	1145
1015	जिला मेरठ में टैलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange in Meerut Distt.	1145-46
1016	चाय बागान के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Tea Plantations	1146
1017	शरणार्थियों को बसाने के लिये विदेशी सरकार की सहायता की पेशकश	Foreign Government's Officer of Help for Settlement of Refugees	1146-47
1018	प्रतिरक्षा विकास कारखाने	Defence Development Units	1147
1019	नेपाल की कमला बांध तथा जनकपुर झापा सड़क योजनायें	Nepal's Kamla Barrage and Janakpur Jhapa Road Schemes	1147
1020	पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री का भाषण	Speech of Chief Minister of West Bengal	1147-48
1021	एच० एफ० 24 जैट विमानों का उत्पादन	Production of H.F. 24 Jets	1148
1022	पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम का उल्लंघन	Pak Violations of Cease-fire	1148
1023	अमरीका जाने वाले विद्यार्थियों के लिये पासपोर्ट सम्बन्धी प्रतिबन्ध	Passport Restrictions for Students proceeding to U.S.A. . . .	1148-49
1024	राष्ट्र मण्डल सचिवालय	Commonwealth Secretariat .	1149
1025	पंजाब में किराये के भवनों में डाकखाने	Post Offices in Punjab in Rented Buildings	1149
1026	पंजाब में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for P. & T. Employees in Punjab	1150
1027	जालन्धर का आकाशवाणी केन्द्र	Jullundur A.I.R. Station .	1150
1028	नेहरू माउन्टेनियरिंग इन्स्टीट्यूट	Nehru Mountaineering Institute	1150-51
1029	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी	Firing by East Pakistan Rifles .	1151

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1030	राइफल क्लबों के लिए कारतूस	Cartridges for Rifle Clubs .	1151
1031	राइफल क्लबों के लिए कारतूस	Cartridges for Rifle Clubs .	1151–52
1032	पोस्टकार्डों तथा टिकटों की कमी	Shortage of Post Cards and Stamps	1152
1033	"अधिक अन्न उपजाओ" पर प्रधान मन्त्री के भाषण का प्रसारण	P.M.'s Broadcast on Grow More Food	1152
1034	प्रचार नीति	Publicity Policy	1153
1035	चीन-पाकिस्तान संघर्ष सम्बन्धी साहित्य	Literature on Sino-Pak Conflict . , . . .	1153–54
1036	अमरीकी महावाणिज्य दूत का सिक्किम का दौरा	U.S. Consul General's visit to Sikkim	1154
1037	युद्ध-विराम स्थिति सम्बन्धी नक्शा	Map on Cease-fire Position	1154–55
1038	जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणतन्त्र का पुनर्गठन	Recognition of German Democratic Republic . . .	1155
1039	बिजली उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Power Industry	1155
1040	सेना के इंजीनियर	Army Engineers . . .	1156
1041	कलकत्ता में पाकिस्तानी उप-उच्चायोग	Pak Deputy High Commission in Calcutta	1156
1042	वीरता पुरस्कार	Gallantry Awards	1157–58
1043	धनी लोगों द्वारा जवानों को सहायता	Wealthy People's help for Jawans	1158
1044	जोधपुर रियासत	Jodhpur State . . .	1158
1045	राजनयिक सम्बन्धों के बारे में वियाना अभिसमय	Vienna Convention re: Diplomatic Relations . . .	1159–60
1046	जवानों की विधवाओं के लिये नौकरी	Employment for widows of Jawans	1160
1047	सेना कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाऐं	Medical Facilities for Army Personnel	1160–61
1048	राष्ट्र-ध्वज	National Flag .	1161
1049	कृषि श्रमिक	Agricultural Labour . . .	1162
1050	केन्द्रीय श्रम संगठन	Central Labour Organisations .	1162
1051	कृषि श्रमिक परिषद्	Agricultural Labour Councils	1163
1052	इण्डोनेशिया में स्थिति	Situation in Indonesia	1163
1053	बाल श्रमिक	Child Labour .	1163–64
1054	नैनीताल में सैनिक स्कूल	Sainik School at Nainital .	1164

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1055	आई० सी० सी० का लापता विमान	Missing Plane of I.C.C. .	1164
1056	सरकारी उपक्रमों में श्रम सम्बन्धी कानून	Labour Laws in Public Undertakings	1164–65
1057	खेतिहर मजदूर जांच	Agricultural Labour Enquiry	1165
1058	राजस्थान में परमाणु भट्टी	Atomic Reactor in Rajasthan	1165
1059	मूल्य देशनांक	Price Index	1165–66
1060	पाकिस्तान से भारतीय सम्वाददाताओं की वापसी	Return of Indian Correspondents from Pakistan . . .	1166
1061	टेलीफोन कनेक्शन्स	Telephone Connections	1166–67
1062	अफ्रीकी एकता संगठन (ओ० ए० यू०)	O.A.U. Conference . .	1167
1063	पाकिस्तान प्रतिरक्षा कोष में भारतीयों का अंशदान	Contributions by Indians to Pak Defence Fund . . .	1167–68
1064	सरकारी कर्मचारियों को बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान	Payment of Arrears to Government Servants . . .	1168
1065	कोलम्बो योजना सम्मेलन	Colombo Plan Conference .	1168-69
1066	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	1169
1067	बेलोनिया कस्बे पर पाकिस्तान द्वारा गोली चलाया जाना	Pak Firing at Belonia	1169
1068	नेफा में टेलीफोन और तार की सुविधायें	Telegraph and Telephone Facilities in N.E.F.A.. . .	1169–70
1070	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	National Sample Survey	1170
1071	उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रेडियो	Radio Sets for Rural Areas of Orissa	1170–71
1072	भुवनेश्वर में डाक तथा तार के क्वार्टर	P. & T. Quarters at Bhubaneswar	1171
1073	सम्बलपुर में आकाशवाणी के नियमित कलाकार	A. I. R. Staff Artists at Sambalpur	1171
1074	रेडियो आर्टिस्टों को सुविधायें	Facilities to Radio Artistes	1171–72
1075	उपहार आदान-प्रदान कार्यक्रम	Exchange of Gifts Programme	1172
1076	संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी (सामाजिक) समिति	U. N. General Assembly's Third (Social) Committee . .	1172–73
1077	समाचार-पत्रों के लिए सफेद कागज	White Printing Papers for Newspapers	1173

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1078	प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करने के लिये भट्टी	Furnace for Utilizing Natural Uranium	1173-74
1079	दक्षिण पूर्वी एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के लिये प्रसारण	Broadcasts for South-East Asian and African Countries . .	1174
1080	पाकिस्तानी आक्रमण में मृत एम० ई० एस० कर्मचारी	M.E.S. Employees killed during Pak Invasion . . .	1174
1081	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में तकनिशियनों की सेवा अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of Service of Technicians in Defence Establishments	1175
1082	दिल्ली में टेलीफोन की बकाया रकम	Delhi Telephone Dues	1175
1083	टेलीफोन	Telephone Connections	1175-76
1084	संयुक्त राष्ट्र महा सचिव का प्रतिवेदन	Report of U. N. Secretary-General	1176
1085	विशाखापट्टणम में नौसेना गोदी	Naval Dockyard at Visakhapatnam	1176
1086	पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा का उल्लंघन	Border Violations by Pakistan on Tripura-East Pakistan Border	1177
1087	पाकिस्तान में विषाक्त गैस-युद्ध का प्रशिक्षण	Training in poisonous Gas Warfare in Pakistan . . .	1177
1088	नागालैंड में युद्ध-विराम	Cease-fire in Nagaland . .	1177-78
1889	गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा क्षमता	Defence Potential in Private Sector	1178
1090	विभिन्न भाषा यूनिटें	Different Media Units . .	1178-79
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of urgent Public Importance—	
	(1) सैनिक शिबिर पर नागा विद्रोहियों द्वारा हमला; और	(i) Attack by hostile Nagas on an army camp; and	
	(2) आसाम के शिवसागर जिले में नागा विद्रोहियों द्वारा सात व्यक्तियों का अपहरण—	(ii) Alleged kidnapping of 7 persons by hostile Nagas from Assam—	
	श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubhiah .	1179-80
	श्री हाथी	Shri Hathi . . .	1179-80
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re: Calling Attention Notice—(Query)	1181-83
	राज्य सभा के सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	1183-84
	कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	Companies (Second Amendment) Bill—Introduced . . .	1184

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक—	Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy . .	1185–86, 1199–1201
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	1187–89
श्री अ० चं० गुह	Shri A. C. Guha	1189–91
श्री दाजी	Shri Daji . . .	1191–93
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	1193
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	1194
श्री अल्वारेस	Shri Alvares .	1194–95
श्री ह० च० सोय	Shri H. C. Soy .	1195
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1195–96
श्री युद्धवीर सिंह	Shri Yudhvir Singh	1196
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah .	1196–97
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf .	1197
श्री शिंकरे	Shri Sinkre .	1198
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas .	1198
खंड 2 से 17 और 1	Clauses 2 to 17 and 1	1201
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy	1201
एकस्व विधेयक—	Patents Bill—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	Motion to refer to Joint Committee—	
श्री त्रि० ना० सिंह	Shri T. N. Singh .	1202–05
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker .	1205–07
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	1207
पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re: Anti-Indian Propaganda by Pakistan—	
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	1207–08
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	1209–10

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 22 नवम्बर, 1965/1 अग्रहायण, 1887 (शक)

Monday, November 22, 1965/Agrahayana 1, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का प्रश्न

+
*357. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रा० बरुआ :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री तु० राम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का विचार संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के प्रश्न का समर्थन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत का विशिष्ट रवैया क्या होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : तिब्बत का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीसवें अधिवेशन को कार्यसूचो में शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार इस बात का समर्थन करतो है कि तिब्बत के लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता और मानवाधिकार पुनः दिए ही जाने चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : इस संकल्प का इस प्रकार समर्थन करने के अतिरिक्त, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हाल की स्थिति और काश्मीर में आत्म-निर्णय के लिए चीन के समर्थन अर्थात् पाकिस्तानी पक्ष के लिए उनके समर्थन की दृष्टि से भारत सरकार भी तिब्बत के लोगों के लिये आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन करेगी।

2—3 Lok Sabha/66

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस समय कोई संकल्प नहीं है। केवल यह प्रश्न कार्यावलि में सम्मिलित किया गया है। इन बातों पर चर्चा केवल तभी होगी जब महा-सभा में यह प्रश्न उठाया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मानव अधिकारों आदि के प्रश्न पर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने के अतिरिक्त, सरकार उस समय क्या विशष दृष्टिकोण अपनायेगी, जब इस प्रश्न पर महा-सभा में चर्चा होगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मूल उत्तर में विशिष्ट दृष्टिकोण बताया गया है। हम तिब्बत के लोगों को मलभूत मानव अधिकार पुनः दिये जाने का समर्थन करेंगे।

Shri Madhu Limaye : Are the Government aware that the Britishers had propounded the imperialistic theory that Tibet belonged to China because they wanted to keep Russians out of Tibet. The Government of China was weak at that time and taking advantage of that position the Britishers wanted to expand their empire in the name of Chinese suzerainty? If the Government are aware of that fact will they, in view of the treatment meted out to us by China, declare the independance of China and regret that due to their wrong policy the independence of Tibet was put to an end?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सभा में हमने जो वक्तव्य दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए तिब्बत की स्वतंत्रता के बारे में कहना कठिन है। सरकार के लिए तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि पहले के वाद-विवादों में अथवा पूर्व अवसरों पर हमने कहा है कि हम तिब्बत के ऊपर चीन का अधिराज्य मानते हैं।

Shri Madhu Limaye : I had acceded that you had done so but there can be change in the policies. Chinese attack.......

Mr. Speaker : You may listen to me.

Shri Madhu Limaye : The question should be answered. I do not want to put obstructions.

Mr. Speaker : You may listen to me. There can be no change in policies during the question hour.

Shri Madhu Limaye : There has been a change of policy. This is a related question.

Mr. Speaker : The change has not taken place now.

Shri Madhu Limaye : The question of fundamental Rights had come up before the United Nations Organisation. The Government's policy regarding that matter has changed now.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार हमारे शिक्षा मंत्री श्री चागला द्वारा हाल ही में व्यक्त किये गये इस विचार से सहमत हैं कि चीनी तिब्बत की स्वायत्तता और संस्कृति सम्बन्धी अपने वचन से पीछे हट गये हैं। यदि हां, तो क्या 1954 की चीन-भारत सन्धि का निराकरण करने का सरकार का विचार है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अब वह करार मान्य नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वित्त मंत्री यह बता सकते हैं कि अब तिब्बत के सम्बन्ध में सरकार की नीति में अधिक परिवर्तन हुआ है और तिब्बत में मानव अधिकार तथा मूलभूत अधिकार न दिये जाने के कारण सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से तिब्बत की सभी उचित मांगों का समर्थन करके वहां की प्रवासी सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया है अथवा उस पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस प्रश्न के तीनों भाग एक दूसरे से कुछ सम्बन्धित हैं। एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। मेरी सहयोगी ने पहले ही कह दिया है कि हम अनभव करते हैं कि मूलभूत स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों को पुनः दिये जाने का मामला ऐसा है जिसके सम्बन्ध में हमें किसी एसे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये जो ठोस रुप से संयुक्त राष्ट्र संघ की महा-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इसका प्रवासी सरकार अथवा उससे सम्बन्धित किसी मामले से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह बताया गया है कि हम तिब्बत में मूलभूत अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों का समर्थन करेंगे। इसलिये, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तिब्बत में उन अधिकारों और स्वतंत्रता के न दिये जाने के कारण सरकार ने किसी समय तिब्बत की प्रवासी सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : तिब्बत की कोई प्रवासी सरकार नहीं है। प्रवासी सरकार का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जब तिब्बत का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आयेगा तब उसका समर्थन करते समय क्या सरकार दलाई लामा को, जो तिब्बतियों के मान्यता प्राप्त नेता और प्रतिनिधि हैं, अपने पक्ष में विश्व मत प्राप्त करने के लिए बाहर जाने देने के लिए तैयार होगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जायेगा जब इसके लिए वह प्रार्थना करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : तिब्बत के महत्वपूर्ण प्रश्न पर धीरे धीरे बुद्धिमत्ता और राज मर्मज्ञता अपनाने के लिए सरकार को बधाई देते हुए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार काश्मीर के मामले में हमारे शत्रुओं के साथ चीनी गठजोड़ के कारण दीर्घ-कालीन उपाय के रुप में चीनी नव साम्राज्यवाद से तिब्बत को स्वतंत्र कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है और क्या सरकार यह मानती है कि चीन ने सैनिक शक्ति से तिब्बत को अधीन कर रखा है ? शिक्षा मंत्री का हाल ही में प्रकट किया गया यह मत कि तिब्बत के ऊपर चीनी अधिराज्य का खंडन किया जाना चाहिये, सरकार का अपना मत है अथवा यह उनका व्यक्तिगत मत है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न में दीर्घ-कालीन नीति सम्बन्धी कई मामले उठाये गये हैं। प्रश्न काल में, मैं तथ्य बताने तथा सूचना देने कि लिए तैयार हूं, परन्तु नीति सम्बन्धी बड़े मामलों पर घोषणाए प्रश्न काल में नहीं की जानी चाहियें।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या श्री चागला का वक्तव्य सरकारी विचार धारा का प्रतिनिधित्व करता है अथवा नहीं। इसका उत्तर दिया जाये।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने उस वक्तव्य की ध्यानपूर्वक जांच नहीं की है। मैंने कुछ समाचार पड़े हैं। वास्तव में, वह वक्तव्य उस समय दिया गया था, जब मैं विदेश गया था। मैं इसकी जांच करूंगा। वह हमारे सहयोगी हैं और मैं उनसे परामर्श करूंगा। मैं नहीं जानता कि उनके मन में ठीक ठीक क्या बात थी।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय का यह कहना ठीक है कि जब श्री चागला ने वह वक्तव्य दिया था, तो वह विदेश में थे। मेरे विचार से श्री चागला ने यह वक्तव्य मंत्री महोदय के संयुक्त राष्ट्र संघ से लौटने के बाद दिया है। वह पिछले 15 दिन से यहीं हैं। क्या सरकार इस मामले के सम्बन्ध में सो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह उन से विचार-विमर्श करेंगे (**अन्तर्बाधा**) शान्ति, शान्ति।

श्री हरि विष्णु कामत : किस से परामर्श करेंगे ? वे सभी मंत्रि-मण्डल में हैं जिसकी बैठकें बहुधा होती रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, क्यों न उन्हें ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए कहा जाये ?

Shri Yashpal Singh : Have we got any moral right to talk in a round about way until and unless the Government recognises the sovereignty of Tibet and Dalai Lama as its head ?

Mr. Speaker : How can I press him to reply to this question?

Shri Yashpal Singh : When we have not recognised him and we aienot taking the matter to U. N. O., why should others fight for their cause?

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय राज्य मंत्री ने कुछ समय पहले कहा है कि वह तिब्बत को चीन के जनवादी गणराज्य का क्षेत्र मानते हैं और मेरे विचार में यह ठीक ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने मित्रों को यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रही है कि जहां तक तिब्बत में माननीय अधिकारों की पुन:स्थापना का सम्बन्ध है, हमारा हित केवल यह देखना है कि तिब्बत के लोगों के माननीय अधिकारों का ठीक प्रकार से पालन हो और चीन के जनवादी गणराज्य के राजनैतिक ढांचे में किसी प्रकार के परिवर्तन का हमारा बिल्कुल कोई विचार नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब भी यह प्रश्न उत्पन्न होगा, हम अवश्य ही अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि भारत के साम्यवादी दल की चीन के प्रति इतनी सहानुभूति है, तो इण्डोनेशिया के पी० के० आई० दल की तरह ही इस की स्थिति होगी।

श्री वासुदेवन नायर : क्या आप श्री कामत को तिब्बत पर विजय पाने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रभुसत्ता और अधिराज्य में किये गये अन्तर की ओर उचित ध्यान देगी और यह देखेगी कि भारत इन दोनों को एक दूसरे के साथ सम्बन्धित नहीं करेगा और भ्रम में नहीं डालेगा ? भारत को आशा थी कि चीन तिब्बत सम्बन्धी अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये, कि श्री नेहरु ने इस सभा में कई बार स्वीकार किया है कि चीन ने तिब्बत सम्बन्धी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, क्या सरकार श्री चागला द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान देगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, किसी सहयोगी द्वारा व्यक्त किये गये मत अधिकतम विचार के पात्र है ? मैंने कहा है कि मैं उनसे परामर्श करूंगा और उनके विचारों का पता लगाऊंगा। मुख्य रुप से श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिये गये वक्तव्यों में बताई गई नीति का पालन किया जा रहा है। उसके साथ, तिब्बत की स्वायत्तता, उनकी संस्कृति, मानवीय अधिकार और अन्य पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में चीन सरकार ने जो रवैया अपनाया है, वह हमारे लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है।

श्री स्वैल : क्या सरकार बता सकती है कि क्या सिक्कम में बढ़ रहे चीनी घुसपैठ का सम्बन्ध तिब्बत के बारे में हमारी नीति में परिवर्तन से है ? यदि हां, तो यह सम्बन्ध किस प्रकार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन की आक्रमणकारी कार्यवाही कुछ समय से जारी है। मेरे विचार में हमारी नीति में तथाकथित परिवर्तन और इन घुसपैठों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Mr. Speaker : Next question, Dr. Singhvi.

Shri Bagri : Mr. Speaker, my name was also there.

Mr. Speaker : I had seen that. When your turn came, you were not here.

Shri Bagri : I have come after twenty days and this is my first question.

Mr. Speaker : I have switched over to the next question. Dr. Singhvi.

Shri Bagri : In fact, our politics is defective.

भारतीय राज्य-क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सेना का रखा जाना

*358. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने राज्य-क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना का रखा जाना स्वीकार नहीं करेगा ;

(ख) क्या ऐसा शान्ति सेना रखने के संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य पक्ष के विशिष्ट प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा किन बातों के कारण यह भारत को स्वीकार्य नहीं है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने महासचिव के युद्ध-विराम संबंधी प्रस्ताव का 13 सितंबर 1965 को जो उत्तर भेजा था, उसमें उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित अफ्रो-एशियाई फौज को भेजने का सुझाव दिया था। भारत के प्रतिनिधि ने 17 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद के सामने अपना वक्तव्य देते हुए इस विचार को निम्नलिखित शब्दों में अस्वीकार किया :

> "तीसरी शर्त एक अफ्रो-एशियाई फौज को भेजने की है। हम इस प्रस्ताव के बिल्कुल विरुद्ध हैं। हम अपने देश में अपनी जमीन पर कोई विदेशी सैनिक नहीं चाहते। हम अपने लोगों के हितों की देखभाल खुद कर सकते हैं। हमें अपनी रक्षा करनी आती है और हम अपने देश में किसी विदेशी सेना के भेज जाने पर कभी सहमत नहीं होंगे।"

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस प्रश्न पर सरकार के दृष्टिकोण का स्वागत करते हुये, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह काश्मीर में संयुक्त राष्ट के सैनिक निरीक्षकों के लिए भारतीय अंशदान के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकते हैं ? क्या सरकार उन के लिए भुगतान करने को तैयार है अथवा उसने इस उप-महाद्वीप के किसी भी भाग में रखे गये सैनिक निरीक्षकों के सम्बन्ध में व्यय करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के आक्रमण के परिणामस्वरूप वहां रखा गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जहां तक निरीक्षकों के पहले दल का सम्बन्ध है, सरकार उस दल के व्यय का अपना अंश देती है । परन्तु बाद में आने वाले लोगों के सम्बन्ध में हमने यह सुझाव रद्द कर दिया है कि हमें व्यय का अंश देना चाहिये । इसलिये, हम युद्ध-विराम के बाद आने वाले निरीक्षकों के दूसरे दल के लिए कोई व्यय देने के लिए तैयार नहीं हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि शान्ति स्थापित करने वाले दल की प्रस्तावित संख्या कितनी होगी, उसके कृत्य क्या होंगे और इस दल के गठन के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे इसके लिए सूचना चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यही सूचना है । इस प्रश्न का सम्बन्ध शान्ति स्थापित करने वाले दल से है और यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से उठता है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पाकिस्तान की ओर से रखे गये प्रस्ताव के, जिसके सम्बन्ध में मेरे सहयोगी ने कहा था कि वह हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है, सारतः तीन भाग हैं : प्रथम, वहां अफ्रीकी-एशियाई सेना रखी जानी चाहिये । द्वितीय, भारतीय भाग से, अर्थात्, युद्ध-विराम रेखा के पूर्व से भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का हटाया जाना और पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर से पाकिस्तानी सेनाओं का हटाया जाना । तृतीय, तद्पश्चात, किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार के अन्तर्गत लोक-मत कराना । स्पष्ट रुपसे यह सुझाव निरर्थक है और इसलिए, हमने उसे रद्द कर लिया है । इसलिए, यह बात समाप्त हो गई ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर के राज्यक्षेत्र में अफ्रीकी-एशियाई सेनायें भेजने का पाकिस्तान का प्रस्ताव समाप्त हो गया है और इसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ? जहां तक निरीक्षकों की दो कमानों को पृथक रखने का सम्बन्ध है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसके पीछे ऐसा कोई विचार है जिसके सम्बन्ध में माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ में चिन्ता व्यक्त की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक इस प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है कि, क्या इस प्रस्ताव को दोहराया जायेगा अथवा नहीं, विश्व में सभी लोगों को किसी प्रकार के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है । हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत की सीमा पर किसी विदेशी सेना की अनुमति नहीं दी जायेगी और काश्मीर भारत का अंग है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है और हम इस बात पर डटे रहेंगे । प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, पूर्व अवसरों पर भी सभा में स्थिति स्पष्ट की गई है । जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर वर्तमान बड़े पैमाने के आक्रमण से पहले लागू युद्ध-विराम के निरीक्षण के लिए वहां मूल सैनिक निरीक्षण दल है । वर्तमान आक्रमण के बाद, जबकि संघर्ष बढ़ गया और जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बाहर अन्य भाग भी लपेट में आ गये, तो जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बाहर के भागों में निरीक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निरीक्षकों का एक अन्य दल भेजा है । हमने सदा यह विचार व्यक्त किये हैं कि एक सर्वोपरि पराधिकार होना चाहिये जो समन्वय करे अन्यथा इन दो पृथक कमानों के परिणाम संतोषजनक नहीं होंगे । महासचिव ने बताया है कि निरीक्षकों के मूल सेनापति, जनरल निम्मो अन्य भागों में भी कार्य का अधीक्षण करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना सैनिक निरीक्षक रख कर संयुक्त राष्ट्र के महा-सचिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारपत्र के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव की इस विशेष कार्यवाही के विरुद्ध विश्वमत प्राप्त करने के लिए क्या पग उठाये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में लगातार विवाद है। अभी तक यह तै नहीं हुआ है कि महा-सचिव की सत्ता का क्षेत्र क्या है। एक विचार यह है कि शान्ति सेना और सैनिक निरीक्षक आदि रखने के प्रत्येक मामले के लिये सुरक्षा परिषद् द्वारा विशिष्ट रुप से प्राधिकृत किया जाना चाहिये। दूसरा विचार यह है कि यदि सुरक्षा परिषद् यह कहे कि महा-सचिव बाद की कुछ कार्यवा-हियां कर सकते हैं तो उस के अनुसरण में उन्हें सैनिक निरीक्षक रखने का अधिकार है। इन विचारों के दो प्रतिपक्षी समर्थकों के बीच वाद-विवाद का यही मुख्य विषय रहा है और इस मामले पर सुरक्षा परिषद् अथवा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया गया है। **(अन्तर्बाधायें)**।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, तब यह विशिष्ट प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सरकार यह बात मानती है कि यह पग बाद की कार्यवाही है या यह ठीक है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार-पत्र के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ? इस सम्बन्ध में हमारी सरकार का रवैया क्या है ?

श्री रंगा : रूस ने इस मामले को उठाया है परन्तु हम चुप्प है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम चुप्प नहीं है। यह ऐसा मामला है जिसमें सर्वोपरि नियंत्रण के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों की उपस्थिति पर हमने आपत्ति नहीं की है। जहां तक वर्तमान मामले का सम्बन्ध है, हमारा रवैय्या यही है। विवाद, सुरक्षा परिषद् के अधिकार-क्षेत्र और महा-सचिव सम्बन्धी मुख्य प्रश्न के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघमें विवाद चल रहा है और कुछ समय तक इसके जारी रहने की सम्भावना है।

श्री हेम बरुआ : यह बाद की कार्यवाही है।

श्री स्वर्ण सिंह : वित्त व्यवस्था आदि के मुख्य प्रश्न के बारे में हमारा रवैय्या संयुक्त राष्ट्र महा-सभा में और समितियों में भी स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री रंगा : श्रीमान्, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर "हां" अथवा "न" में होना चाहिये या यह होना चाहिये कि "इस विषय पर विचार करना है।" किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार के सामने इन तीनों में से केवल एक रास्ता है। मेरे माननीय मित्र ने यह प्रश्न पूछा है कि इस के विरूद्ध-संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव के मत के विरुद्ध नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्रसंघ महा-सभा की इस कार्यवाही के विरुद्ध मत प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस पर विवाद और तर्क दोनों ओर से चल रहे हैं परन्तु एक बात हमें स्वीकार्य है। उन्होंने पहले ही यह कहा है। इस चर्चा और वाद-विवाद में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए वह क्या कर रहे हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : यह वाद-विवाद कब तक जारी रहेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले में अब कोई विवाद नहीं है क्योंकि सुरक्षा परिषद् ने महा-सचिव द्वारा किये गये प्रबंधों को रद्द नहीं किया है। वास्तव में, पिछले संकल्प में अन्तर्निहित रूप से इन बातों के जारी रहने की अनुमति दी गई है। जैसा कि मैंने कहा है मुख्य प्रश्न सामान्य प्रश्न है। इसका इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय मित्र चाहते हैं तो मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि अमरीका और ब्रिटेन का मत एक है अर्थात् महा-सचिव द्वारा की गई कार्यवाही के पक्ष में है। उनका विचार है कि महा-सचिव को कार्यवाही करने का अधिकार है। परन्तु रूस और फ्रांस का विचार यह है कि महा-सचिव को निरीक्षकों का यह दल स्थापित नहीं करना चाहिये था और उन्हें सुरक्षा परिषद् के विशिष्ट अनुदेश प्राप्त करने चाहियें थे।

श्री हेम बरुआ : एक और प्रश्न यह उत्पन्न होता है ....

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर अपर्याप्त है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने कहा है कि सुरक्षा परिषद ने .....

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं। मैं ने अगले प्रश्न को पुकारा है।

Shri Bagri : The policy should be clarified with regard to this international question.

Mr. Speaker : The policy cannot be clarified now.

Shri Bagri : What is the policy of the Government?

Mr. Speaker : You should not interrupt.

Shri Bagri : You have listened to him. Please listen to me also.

Mr. Speaker : You may kindly sit down. I have called the next question.

अमरीका के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधान मंत्री की बैठक

+

*359. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री काजरोलकर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मोहसिन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अल्वारेस :
श्री रा० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वारियर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही अमरीका के राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को वाशिंगटन में उनसे मिलने का पुनः निमंत्रण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : 16 नवम्बर 1965 को इस सदन में विदेशी मामलों पर बहस के दौरान बोलते हुए प्रधान मंत्री ने इस मामले में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that U. S. Government has said that without having received our Shastriji there, they will not enter into any long-term agreement under P.L. 480. If it is true, the time by which the agreement would be entered into?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अमरीका की सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

Shri Yashpal Singh : As our hon. Prime Minister had pointed out in Madras earlier that he would be going to America very soon, may I know when he actually intends to go there?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : There was nothing like that, only the word "soon" has been used. There has not been correct-reporting. I did not say that I would be going soon but I said that I would decide about it soon.

श्री श्रीनारायण दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका के राष्ट्रपति ने पहले निश्चित किये गये हमारे प्रधान मंत्री के दौरे को एकपक्षीय रूप से रद्द कर दिया था और हमारे प्रधान मंत्री द्वारा बाद में दिये गये वक्तव्यों से कुछ गलतफहमियां पैदा हो गयी थीं, क्या इन गलतफहमियों को दूर करने के लिये अमरीकी अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और क्या भारत सरकार इससे अब संतुष्ट है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सही नहीं है कि हमारे प्रधान मंत्री के दौरे को हमारे प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों के फलस्वरूप रद्द कर दिया गया था जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है। यह बात उस समय स्पष्ट कर दी गई थी जब दौरे को मुल्तवी किया गया था और जैसा कि उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि जब हमारे प्रधान मंत्री को सुविधा होगी तब बाद में वह किसी समय अमरीका जायेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : If Kashmir is brought into the discussions to be held at the time of visit to America, I want to know, whether our Prime Minister would discuss it or would come back?

Shri Lal Bahadur Shastri : I do not intend to refuse to discuss it.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार उन प्रमुख भारतीय नागरिकों के, जो हाल ही में अमरीका से वापिस हैं, इस विचार से सहमत है कि भारत के लिये अमरीका में काफी सद्भाव तथा सहानुभूति है और कि प्रधान मंत्री के दौरे से काफी लाभ उठाया जा सकता है? क्या सरकार इस विचार से सहमत है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक बहुत असामान्य बात है कि सरकार व्यक्तियों के विचारों से सहमत हो। इस सभा में भी मतभेद हो सकता है। कई अवसरों पर इस के विपरीत भी विचार व्यक्त किये गये हैं।

Shri Vishwanath Pandey : I would like to know whether our Prime Minister would discuss with the American President the Indian view point in respect of Indo-Pak conflict also?

Mr. Speaker : What else he would be doing?

श्री ही० ना० मुकर्जी : जो कुछ वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा है उसके बावजूद भी सच बात यह है कि जो पहले निमन्त्रण दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया था और प्रधान मंत्री ने उस समय बड़े सम्मान का प्रदर्शन किया था और वह कैनाडा गये परन्तु अमरीकी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित नहीं किया था तथा इस बात का देश ने पूरा समर्थन किया था। इस बात को तथा हाल में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे प्रधान मंत्री, यदि वह वहां शीघ्र जाते हैं और जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि वह शीघ्र जायेंगे तो यह वर्तमान संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनैतिक बात होगी, तभी वहां जा सकेंगे जब भारत संतुष्ट हो जायेगा कि इस देश के प्रति अमरीका ने, न केवल भारत-पाकिस्तान मामले, काश्मीर तथा ऐसी चीज़ों के बारे में तथा अमरीका की इच्छा के अनुसार भारतीय आर्थिक नीति को दिशा देने के बारे में अपना उत्तेजनात्मक रवैया बदल दिया है ? क्या हम उसी गौरव और अधिकार को बनाये रख रहे है जिसका प्रधान मंत्री ने उस अवसर पर प्रदर्शन किया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपनी उन नीतियों को चाहे इनका सम्बन्ध जम्मू तथा काश्मीर से हो अथवा अर्थिक मामलों से हो क्रियान्वित करते रहने के लिये दृढ़ संकल्प हैं । हम इन नीतियों में किसी विदेशी सरकार की सलाह से परिवर्तन नहीं करते हैं । इस बात का हमने स्वयं समाधान करना है कि हमारे देश का हित किस बात में है और हमारे रवैया इसी सिद्धान्त पर आधारीत रहेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बात व्यापक रूप से समाचारपत्रों में छपी है और इस बातका संकेत रेलवे मंत्री की ओर भी है जो अभी अभी अमरीका से वापिस आये हैं कि यद्यपि अमरीका सरकार ने काश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात तो छोड़ दी है परन्तु फिर भी वे काश्मीर को एक विवादग्रस्त राजक्षेत्र मानते हैं जिसपर भारत तथा पाकिस्तान को समझौता कर लेना चाहिये, इस समाचार को ध्यान में रखते हुए, यदि यह सही है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री के प्रस्तावीत दौरे का विशिष्ठ प्रयोजन अमरीका के इस दृष्टिकोण को बदलना है अथवा क्या इसका कोई और विशिष्ट प्रयोजन है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पहली बात यदि मैं ऐसा कहूं तो यह है कि अमरीका का यह दौरा सद्भावना का दौरा होगा । मैंने इसे नहीं देखा है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जब इसे मुल्तवी कर दिया गया था, कि जब मुझे सुविधा होगी, मैं अमरीका का दौरा करूंगा । जहां तक काश्मीर आदि प्रश्न का सम्बन्ध है, भिन्न भिन्न देशों के अपने अपने विचार हैं और लगभग प्रत्येक देश यह चाहता है कि हम किसी न किसी प्रकार से काश्मीर की समस्या को शान्तिपूर्वक सुलझा लें । इसे शान्तिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिये, हम इस से सहमत है परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि इसे सम्मानपूर्वक निपटाना है । जब तक कि यह एक सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे । अत: जब मैं अमरीका जाऊंगा तो ऐसे प्रश्न उठ सकते हे और मैं निश्चित ही भारत की स्थिति तथा अपने रवैये को स्पष्ट करना चाहूंगा ।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या सरकार अमरीका सरकार की इस प्रस्थापना से सहमत है कि सहायता तथा अन्य बातों पर केवल प्रधान मंत्री के दौरे के पश्चात ही विचार किया जायेगा और इस के साथ साथ क्या सरकार ने चेष्टर बाउल्स की इस धमकी को, जो उसने परसुँ दी थी, स्वीकार कर लिया है कि जब तक भारत शत्रुता बन्द नहीं करता है तब तक युद्धविराम सीमा पर पाकिस्तान की शत्रुता के बावजूद भारत को सहायता तथा अन्य वस्तुएं नहीं दी जायेंगी ? क्या सरकार ने प्रधान मंत्री द्वारा अमरीका के दौरे के सम्बन्ध में इस स्थिति को भी मान लिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरे विचार में वास्तव में इन दोनों बातों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है । यह एक अलग मामला है कि आर्थिक सहायता आदि के बारे में वार्ता हो । परन्तु मेरे दौरे का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । अमरीका का चाहे कुछ भी दृष्टिकोण हो, हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : इस बात को ध्यानमें रखते हुए कि वियतनाम प्रश्न के बारे में भारत सरकार का जो रवैया है उसे अमरीका अधिकारी इतना पसन्द नहीं करते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने, एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण में वियतनाम समस्या का विशेष रूप से उल्लेख न करके वैदेशिक कार्य मंत्री जाहनसन-शास्त्री बैठक की तैयारी में अपना योग दे रहे थे ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक विचित्र बात है कि माननीय सदस्य संयुक्त राष्ट्र में दिये गये मेरे भाषण से कोई ऐसा अनुमान लगायें । शायद उन पर उन प्रेस टिप्पणियों का प्रभाव पड़ा है जो मेरे भाषण देने के पश्चात की गई थीं ।

श्री वासुदेवन नायर : आपने वियतनाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा था ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा विचार यह है कि वियतनाम समस्या एक ऐसी समस्या है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की सारी प्रक्रिया तथा इस सम्बन्ध में उठाये जा रहे अन्य कई कदम जेनेवा समझौते के अन्तर्गत आते हैं और अत: संयुक्त राष्ट्र संघ का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यही प्रथा रही है और भारत के सुविख्यात प्रतिनिधि जो वहां पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता रहे हैं और जो मेरे से पहले प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व करते रहे हैं उनका हमेशा यही विचार रहा है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में वियतनाम की चर्चा नहीं करनी चाहिये ।

श्री कपूर सिंह : यदि हमारे प्रधान मंत्री तथा अमरीका के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होती है तो क्या हमारे प्रधान मंत्री यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि भारत अमरीका की मैत्री को अपनी विदेशी नीति के लिये महत्वपूर्ण समझता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह स्पष्ट करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : कुछ समय पहले हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह अमरीका तब जायेंगे जब इसके लिये अच्छा वातावरण होगा । क्या सरकार अब यह निश्चित रूप से कह सकती है कि अब ऐसा अच्छा वातावरण पैदा हो गया है कि हमारे प्रधान मंत्री अमरीका के राष्ट्रपति से मिलें तथा उन मामलों पर विचार करें जिस पर मतभेद रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रधान मंत्री ने वहां जाने का निश्चय किया है तो ऐसा इस पूर्वधारणा पर किया गया है कि इस दौरे से उपयोगी परिणाम निकलेंगे ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या यह मेरी धारणा सही है कि प्रधान मंत्री राष्ट्रपति जाहनसन के साथ काश्मीर के बारे में बातचीत करने के लिये इच्छुक हैं परन्तु ताश्कन्द में श्री कोसीजिन के साथ बातचीत करने के लिये इच्छुक नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं । माननीय सदस्य की यह पूर्व धारणा सही नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या प्रधान मंत्री वाशिंगटन जाते हुए लन्दन भी जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह क्यों पूछा जाये ? श्री अल्वारेस !

श्री अल्वारेस : अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को दिये गये इस अर्थहीन आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान को दिये गये अमरीकी हथियार हमारे विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि वह अमरीकी राष्ट्रपति से भविष्य में ऐसी अनिश्चित घटनाओं के विरुद्ध किस प्रकार की गारंटी लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : एक ऐसा प्रश्न अब पूछ कर वह सरकार के हाथ क्यों बांधना चाहते हैं ? श्री हेम बरुआ !

श्री हेम बरुआ : क्या मैं प्रधान मंत्री से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि उन्हें लातीनी अमरीका के कुछ अन्य देशों का दौरा करने के लिये भी आमंत्रित किया गया है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनका विचार निकट भविष्य में अथवा अमरीका के दौरे के समय लाटीनी अमरीका के इन देशों में भी जाने का है जिनमें हमारे प्रति सच्ची सहानुभूति है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक मुझे पता है, मुझे लातीनी अमरीका के देशों से औपचारिक रूप से कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु अनौपचारिक रूप से ऐसा कई बार कहा गया है । इस समय लातीनी अमरीका के देशों में जाने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, परन्तु मैं बाद में निश्चय ही ही वहां जाना पसन्द करूंगा ।

ब्रिटेन के समाचारपत्रों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

+

*360. श्री मधु लिमये : श्री दे० द० पुरी :
श्री बागड़ी : श्री शं० ना० चतुर्वेदी :
श्री दी० चं० शर्मा : श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अगस्त-सितंबर, 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच हुई लड़ाई के समाचारों को ब्रिटेन के समाचारपत्रों द्वारा भारत-विरोधी तथा पाक समर्थक ढंग से प्रकाशित करने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लंदन में भारतीय उच्चायोग के प्रचार अनुभाग ने इस प्रचार का निराकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अगस्त और सितंबर 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच हुई लड़ाई के विषय में ब्रिटिश समाचार-पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने से पता लगता है कि यह कहना एकदम ग़लत तो न होगा कि ब्रिटेन के समाचार-पत्रों की ध्वनि आम तौर से भारत-विरोध और पाकिस्तान-समर्थक रही है, परंतु यह कहना भी ठीक न होगा कि ब्रिटेन के समाचार-पत्रों ने सदा ही ऐसा किया है ।

(ख) हमारे लंदन-स्थित हाई कमीशन के प्रचार अनुभाग ने ब्रिटेन के समाचार-पत्रों के भारत-विरोधी समाचारों का प्रतिकार करने के लिए तुरंत कारगर कदम उठाए और पाकिस्तान सरकार ने ब्रिटेन के समाचार-पत्रों के संवाददाताओं को जो झुटे बयान दिए थे उनकी असलियत प्रकट की । यह काम ऐसे बयानों का खंडन करने वाली सामग्री तुरंत जारी करके, समचार-पत्र संवाददाताओं को नियमित रूप से संवाद-सूचना देकर, प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर और टेलिविजन इन्टरव्यू आदि करके किया गया ।

श्री कपूर सिंह : मंत्री महोदय द्वारा अभी दिये गये उत्तर के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जो प्रश्न वह उठाना चाहते हैं वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा परन्तु वह एक अनुपूरक प्रश्न होगा ।

Shri Madhu Limaye : Is Government aware of this fact that Government of India had been pursuing a weak policy in regard to matters relating to Kutch and Kashmir etc. till 6th Sept. and as a result of which the British Press used to look down upon India and in this connection I would like to quote......

Mr. Speaker : The hon. Member should ask the question.

Shri Madhu Limaye : It was reported in the "Sunday Times" that Indians are only fit for white collar jobs, they cannot fight.

Mr. Speaker : What is the question?

Shri Madhu Limaye : The question is that so long as this weak policy is not given up, our publicity will remain lifeless. It has been reported in the "Economist" a weekly paper that if India had crippled the military might of Pakistan, all the western countries would have favoured India. I, therefore, want to know whether any co-ordination would be made between our publicity and our military strength?

Shri Dinesh Singh : Both are Strong.

Shri Madhu Limaye : The Minister said that the Sober Section of British Press has not published such reports. But in spite of the fact that highly objectionable material is published in the "Sunday Times", it is considered to be a sober paper. I want to know the facilities which were provided both to the Indian and foreign correspondents to go there in the war zone and see how Indian forces were giving their account?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, it appears that "Sunday Times" is read by the hon. Member very carefully. So far as this paper is concerned to which he has referred, I would also like to quote from this very paper for the information of the hon. Member......

Mr. Speaker : I was not allowing him to quote from the paper now you also want to quote from the paper, how it can be possible?

श्री शिंकरे : क्या यह "लन्दन टाइम्स" के बारे में है ? परन्तु उन्होंने तो किसी और समाचार-पत्र का उल्लेख किया है ।

Mr. Speaker : He is referring to "London Times"

Shri Bagri : Is the hon. Minister aware of this fact that in reply to a question asked by Indian Representative about the position of the Fazilka Sector, the publicity officer, Shri Gupta told them that he was not aware of that where Fazilka was and they wrote to the embassy there against this thing?

Shri Dinesh Singh : I am not aware of it.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : ब्रिटिश समाचारपत्रों में समाचारों को रंग देने के अतिरिक्त क्या ब्रिटिश प्रेस में तथ्यों को भी बिगाडकर प्रस्तुत किया गया था तथा ब्रिटिश सरकार का भी इस मामले में हाथ था; और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला उस सरकार से उठाया था तथा उनके रवैये तथा तथ्यों को बिगाड़ कर प्रस्तुत करने के बारे में कोई विरोध-पत्र भेजा था ?

श्री दिनेश सिंह : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि ब्रिटिश प्रेस ने हमारे साथ एक अमैत्रीपूर्ण रवैया अपनाया था, और चूंकि ब्रिटेन में प्रेस निर्बाध है इसलिये हमने यह मामला व्यक्तिगत रूप से सम्पादकों से उठाया था तथा हमने देखा है कि इससे उन्होंने काफी सुधार किया है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटिश प्रेस ने हमारे राज्यक्षेत्र पर पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान भारत-पाकिस्तानी संघर्ष के बारे में भारतीय दृष्टिकोण को बिल्कुल छापा ही नही था और उन्होंने पाकिस्तान के काल्पनिक दावों को व्यापक रूप से प्रचारित किया था; और यदि हां, तो क्या सरकार ने दोनों राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों पर विचार किया है कि ब्रिटिश प्रेस ने ऐसा रवैया क्यों अपनाया था क्या यह इस लिये था क्योंकि ब्रिटिश प्रेस...........

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटिश सरकार उसी रवैये को अपनाना चाहती थी जो ब्रिटिश............

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार बोलते चले जायेंगे तब मुझे माननीय मंत्री से यह कहना पड़ेगा कि वह केवल प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दें ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न के अलग अलग भाग नहीं हैं । इसका केवल एक ही व्यापक भाग है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब मंत्री महोदय को उत्तर दे लेने दीजिये ।

श्री दिनेश सिंह : प्रश्न के अभिप्राय तथा अन्य बातों में, जो सच्ची हो सकती हैं, न जा कर मैं तो यह कहूंगा कि प्रारम्भ में ब्रिटिश प्रेस ने पाकिस्तानी दृष्टिकोण छापा था क्योंकि पाकिस्तान आक्रमण करने का आयोजन करने के साथ साथ प्रचार सम्बन्धी अभियान का भी पहले ही आयोजन कर सका था, जबकि हमने आक्रमण करने की कोई योजना नहीं बनाई थी अत: प्रेस को इसके लिये तैयार करने का प्रश्न ही नहीं था जैसा कि पाकिस्तान ने किया था परन्तु बाद में जब इसका भंडा फूट गया तो उन्ही समाचार-पत्रों ने अपने में सुधार किया जिन्होंने पहले भारत-विरोधी प्रचार करना आरम्भ किया था ।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से बार-बार यह अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था के प्रश्न न उठायें ।

श्री हेम बरुआ : मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अत्यधिक आदर के साथ माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि यदि प्रश्न-काल में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्नों का रिकार्ड निकाला जाए, तो उनमें से कम से कम 99 प्रतिशत ऐसे प्रश्न निकलेंगे जो कि कदापि व्यवस्था के प्रश्न ही नहीं थे । इन परिस्थितियों में, क्या सदस्यगण मेरी इस प्रार्थना को नहीं मानेंगे कि प्रश्न-काल में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न न उठाया जाए ?

श्री हेम बरुआ : विनम्र अनुरोधों के बारे में क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जब कोई अतिरिक्त अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा आम तौर पर व्यवस्था के प्रश्न के जरिए किया जाता है ।

Shri Bagri : Sir, a point of order can be raised at any time and it should be allowed to be raised.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल के 47 मिनिट समाप्त हो जाने पर भी हम केवल चौथे प्रश्न तक पहुंच पाये हैं । मैंने सभा से कहा—और सभा ने उसे मान भी लिया—कि प्रश्न-काल में कम से कम 10 प्रश्न पूरे होने चाहिए ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश समाचार-पत्रों ने हमारे एक वरिष्ठ राज मर्मज्ञ, डा० सी० पी० रामास्वामी आइयर द्वारा दिये गये वक्तव्य को प्रकाशित करने से इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो क्या हमारे हाई कमीशन ने उक्त वक्तव्य के पर्याप्त प्रचार के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

Shri Rameshwara Nand : Sir, I have received two letters from the Indian citizens now in Britain. They have clearly stated that the publicity materials regarding our cause or stand taken are not being presented even to the Indian citizens there by our Government and the High Commission there; it is beyond imagination to think about the British citizens. May I know whether the hon. Minister will try to gear up his publicity channel so that our cause may be better understood by those abroad and will also look into the propaganda made so far, a mention of which has been made in these papers ?

Shri Dinesh Singh : Yes, Sir, we have been persistently trying. Efforts will be made to see that the deficiencies in this regards are made up to the extent possible.

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सच नहीं है कि युद्ध-विराम के पश्चात् अब भी छलपूर्ण ढंग से अथवा अन्यथा, ब्रिटिश समाचार-पत्र तथा बी० बी० सी० भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं ? क्या इस बात का कोई मूल्यांकन किया गया है अथवा नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : दुर्भाग्य से, यह ब्रिटिश दृष्टिकोण है ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में, उप मंत्री महोदय ने यह कहा कि ब्रिटिश समाचार-पत्रों का एक विचित्र व्यवहार रहा क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध केवल आक्रमण ही नहीं अपितु ब्रिटेन में हमारे विरुद्ध प्रचार भी संगठित किया था । श्री आजाद के प्रश्न के उत्तर में वह माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हुए हैं । क्या ये दो उत्तर किसी विशेष हद तक परस्पर-विरोधी नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई परस्पर-विरोध नहीं है ।

मैं सदस्यों से फिर यह कह दूं कि मेरे पास एक अन्य मार्ग भी उपलब्ध है—अर्थात् जो सदस्य प्राय: व्यवस्था के प्रश्न उठाया करते हैं और मैं देखता हूं कि वे व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं—मैं नहीं कहूंगा कि वे व्यर्थ हैं—ऐसे सदस्य मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेंगे—केवल यही एक अन्य उपचार मेरे पास है ।

विदेशी संवाददाता

+

*361. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि भारत और पाकिस्तान में कार्य करने वाले विदेशी समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेन्सियां के संवाददाता भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के बारे में कहां तक निष्पक्ष रहे तथा उन्होंने लड़ाई के संबंध में पर्याप्त और सही समाचार दिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लड़ाई के शुरू के दिनों में मोर्चे तक पहुंचने की कठिनायों के कारण संतुलित और यथार्थ समाचार नहीं दिए गए हैं । परंतु, बाद में कुछ संवाददाताओं द्वारा जानबूझकर ग़लत ख़बरें देने के अलावा मोटे तौर पर सही ख़बरें ही दी गई हैं ।

पाकिस्तान में संवाददाताओं पर इस बात का प्रभाव पड़ा था कि उन्हें लड़ाई के क्षेत्रों तक जाने दिया गया था ; उन पर पाकिस्तान के छलपूर्ण प्रचार का भी प्रचार हुआ था । इस प्रकार उन्होंने पक्षपातपूर्ण ख़बरें दीं ।

श्री श्रीनारायण दास : भारत में विदेशी समाचार-पत्रों के कौन से प्रतिनिधि थे जिन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और सही खबरें नहीं दी ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में अभी विवरण देना मेरे लिए कठिन होगा ।

श्री श्री नारायण दास : क्या ऐसे सम्वाददाताओं का, जो सही खबरें नहीं दे रहे थे, ध्यान तथ्यों की ओर दिलाया गया था और क्या उन्होंने अपने रवैये में सुधार कर लिया है अथवा नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने उत्तर में इसका उल्लेख किया हैं, संघर्ष के अन्तिम दिनों के दौरान ब्रिटिश प्रेस/रेडिओ ने अधिक सच खबरें दी ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या यह सच है कि भारत में स्थित ब्रिटिश सम्वाददाताओं ने बिलकुल सही खबरें दी थी किन्तु ब्रिटेन के समाचार-पत्रों के सम्वाददाताओं (एडिटर्स) ने कई बार उनमें तोड़-मरोड़ की ?

श्री दिनेश सिंह : यह उनकी अपनी आन्तरिक कार्यप्रणाली है, उस पर आलोचना करना मेरे लिए कठिन है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि इस देश में स्थित विदेशी सम्वाददाताओं ने अपने समाचार-पत्रों को उनके भारत-विरोधी नीतियों के अनुकूल समाचार भेजे; यदि हां, तो हमारी सरकार ने इस देश में स्थित विदेशी सम्वाददाताओं को सत्य के प्रति उनकी सहानुभूति अथवा द्वेष के आधार पर वर्गीकृत क्यों नहीं किया ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने स्वयं यह कहा है कि यह पत्र की नीति के अनुकूल कार्य था, यदि समाचार-पत्र की यही नीति है तो फिर सम्वाददाताओं से बातचीत करने का क्या लाभ है ?

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक सुझाव है और सरकार निश्चित ही उस पर गौर करेगी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार का ध्यान 'डेली टेलीग्राफ' के रॉले नॉक्स नाम के उस विदेशी सम्वाददाता के एक वक्तव्य, जिसका इस देशमें व्यापक रूप से प्रचार हुआ है, की ओर दिलाया गया है जिसने ब्रिटिश प्रेस द्वारा प्रकाशित सभी समाचारों को सही तथा न्यायसंगत ठहराया है और जले हुए में नमक छिड़कते हुए आगे यह कहा है कि ब्रिटिश समाचार-पत्रों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का कोई महत्व नहीं है ? यह वक्तव्य देश में विभिन्न सामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है । यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे सम्वाददाताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया था और हमने उससे बातचीत भी की है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछते समय अथवा वाद-विवाद में भाग लेते समय यदि समाचार-पत्रों का कोई उल्लेख करे, तो उसे प्रेस-दीर्धा की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री स्वैल : क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल के एक सदस्य द्वारा कल कलकत्ता में दिये गये इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि काफी गलत खबरें दिये जाने अथवा गलत-फहमी का कारण भारत सरकार की प्रेस सम्बन्धी गलत नीति थी; और यदि हां, तो सरकार का इस वक्तव्य के प्रति क्या कहना है ?

श्री दिनेश सिंह : 18 वर्षों से ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान का गलत समर्थन किया है और निश्चय ही यह हमारे विदेशी प्रचार के कारण नहीं है । यह उनकी नीति का एक अंग है ।

श्री स्वैल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के वक्तव्य पर सरकार के क्या विचार हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं अपने विचार बता चूका हूं ।

श्री अन्सार हरवानी : 'टयूटर्स' का 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' और 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से निकट का सम्बन्ध है । 'टयूटर्स' द्वारा दोहरे कार्य को देखते हुए क्या सरकार ने 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया' को परामर्श दिया है कि वह इनके साथ अपने समझौते में संशोधन करे ?

श्री दिनेश सिंह : यह एक सुझाव है ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक ठीक है कि कुछ लोगों को वे सुविधाएं नहीं दी गयीं जो पाकिस्तान में अन्य वैसे ही लोगों को दी गयीं और इस व्यक्तिगत कारण और घृणा के कारण ही वे भारत-विरोधी बने ?

श्री दिनेश सिंह : मैं पहले प्रश्न के अपने उत्तर में बता चुका हूं कि क्योंकि पाकिस्तान से आक्रमण की योजना बनायी थी इसलिये उसने प्रचार की भी योजना बनायी और इसलिये वे उन्हें युद्ध स्थान पर ले जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि हम उन्हें वे सुविधांए न दे सकें जो पाकिस्तान ने उन्हें दीं और इसलिये भारतीय विरोधी कुछ बातें कही गयीं ।

श्री दिनेश सिंह : जैसा मैंने शुरू में बताया, जब आक्रमण हूआ तो हम उन्हें मोर्चे पर नहीं ले जा सके क्यों कि हम सीमा की रक्षा करने में लगे हुए थे । पाकिस्तान उन्हें ले जा सका लेकिन बाद में हम भी उन्हें मोर्चे पर ले गये । **(अन्तर्बाधा)**

श्री हेम बरुआ : हम उनको सम्वाददाताओं को, वे सभी सुविधाएं न दे सकें जो पाकिस्तान ने उन्हें दी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात सुनी है ।

श्री रंगा : उत्तर बडा संतोषजनक है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have the Government made certain rules and restrictions for foreign correspondents which are to be obeyed by them ?

Shri Dinesh Singh : I do not remember any such written rules.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि युद्ध के दौरान 1 सितम्बर से 22 सितम्बर तक लगभग सभी विदेशी पत्रों ने, जिनके सम्वादादाता इस देश में थे, लगातार यह समाचार प्रकाशित किय कि भारत ने ही 6 सितम्बर को लाहोर के निकट अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आक्रमण किया और पाकिस्तान ने नहीं जिसने पांच दिन पहले छाम्ब क्षेत्र में सीमा पार की थी--इस बात को बिल्कुल छोड़ दिया गया--क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मुख्य प्रश्न पर, कि पहले अन्तर्राष्ट्रीय सीमा किसने पार की, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई विशेष कदम उठाये हैं कि विदेशी समाचार पत्र ऐसे सोद्देष्य समाचार न प्रकाशित करें क्योंकि इस अन्तर्राष्ट्रीय मत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ।

3—3 L Sabha/66

श्री दिनेश सिंह : उनको पूरी तरह यह बता दिया गया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इन सम्वाददाताओं ने जिनका यहां पर विदेशी समचार पत्रों पर नियंत्रण है, पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान प्रधान मंत्री अथवा प्रतिरक्षा मंत्री के पहले वक्तव्यों को भी तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित किया और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है कि वे कम से कम लोक-सभा की कार्यवाही की तो ठीक रिपोर्ट प्रकाशित करें ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे पता नहीं कि क्या हम इस बारे में सिवाय इसके कि उनको यह बता दें कि यह समाचार गलत है, और कुछ कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि लोक-सभा की कार्यवाही ठीक से प्रकाशित नहीं की जाती है तो मामला मुझे बताया जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह विशेषाधिकार का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि अब भी ऐसी बातें मुझे बतायी जाय तो मैं कार्यवाही करुंगा ।

AIR-India Office at Djakarta

+
***362. Shri M. L. Dwivedi :**

Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the damage sustained by the Air-India Office at Djakarta during the Indo-Pak conflict including the damage done to the aircraft as a result of an attack by an Indonesian crowd there;

(b) whether compensation was demanded from the Government of Indonesia crowd; and

(c) the position explained by the Government of Indonesia in its reply to the protest notes sent by the Government of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Some office furniture, official records and publicity material at the Air India's city Office in Jakarta were destroyed. The sign boards and show windows were also damaged. There was no damage to Air India's aircraft.

(b) Not yet.

(c) No reply has been received from the Indonesian Foreign Office.

Shri M. L. Dwivedi : Besides damage to Air India office and property documents wheher injuries were sustained by any of our residents there and if so, what action has been taken on that?

Shri Dinesh Singh : No such report has been received by us.

Shri M. L. Dwivedi : What letter has been written by the Government for compensation and the amount expected from them as compensation?

Shri Dinesh Singh : We have told them, after giving details of the incident, that it is not proper and we should be paid compensation for that.

श्री स० चं० सामन्त : एयर इण्डिया के इस कार्यालय में कितने गैर-भारतीय व्यक्ति काम कर रहे थे और इस हमले के दौरान उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इस बारे में एकदम नहीं बतला सकता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि जकार्ता में इस मुण्डागर्दी के शीघ्र बाद हुई इंडोनेशिया में उथल-पुथल के बाद इंडोनेशिया में नयी सरकार ने सरकार ने सम्बन्ध पुन:स्थापित करने को कहा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री दिनेश सिंह : हमें कुछ नयी बात नहीं कही गयी है । हमें हमेशा यह आशा रही है कि हमारें सम्बन्ध सुधरेंगे ।

Discipline Code

+

***363. Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) the number of units in the public sector whose managements have given recognition to the Code of Displine in the industry: and

(b) the extent to which success has been achieved in regard thereto?

The Deputy Minister of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya) : (a) and (b). This discipline code is being extended to all the public sector companies and corporations and departmental establishments coming under the purview of Industrial Disputes Act, 1947 excluding Reserve Bank of India, Port Trust, Railway departments and defence establishments.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether this code of discipline would be applied to Central Government departments like Defence, Railways etc.

Shri R. K. Malviya : So far as defence is concerned, the matter was discussed here and court's matter is also being considered. It will be applied after it is decided finally whether there should be Whitly council or Court.

Mr. Speaker : In Railways.

Shri R. K. Malaviya : So far it is being discussed.

Shri Madhu Limaye : Will the municipality and district Panchayats be asked to adopt the code of discipline as they are subordinate Government institutions so that labour dispute could he avoided.

Shri R. K Malviya : No such question is there.

प्रश्नो के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारियों का राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाया जाना

***364. श्री कर्णी सिंहजी :**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा-निवृत सैनिक कर्मचारियों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने के लिये कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां । राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व राजस्थानी सैनिकों के लिए 25000 एकड़ भूमि राजस्थान नहर क्षेत्र में उद्धिष्ट कर रखी है और एक लाख एकड़ पंजाबी भूतपूर्व सैनिकों के लिए ।

(ख) नहर क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान नहर अधिकाश की स्थापना होने तक, राजस्थान सरकार द्वारा अभी कोई योजना तय्यार नहीं की गई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सशस्त्र चीनी सैनिकों द्वारा मारे गये भारतीय

***365. श्री प्र० के० देव :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री सोलंकी : **श्री कपूर सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने में भारत-तिब्बत सीमा पर सशस्त्र चीनी सैनिकों ने कुछ भारतीय मार दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में चीन सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सितम्बर, अक्तूबर, और नवम्बर (13 ता० तक) मासों तक के लिए एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5195/65 ।]**

(ग) जी हां ।

Committee on A. I. R. Programmes

***366. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the Committee appointed to improve the A. I. R. programmes has submitted its report;

(b) if so, the changes effected in the A. I. R. as a result thereof; and

(c) when the reports about other Divisions/Departments of A. I. R. are likely to be submitted?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) The Committee has so far submitted two interim reports on certain aspects of the activities of All India Radio—one on "Radio coverage for Border areas" and the other on "Broadcasts for Rural areas".

(b) A statement showing the main recommendations made in the Reports, and consequent changes introduced in the programmes of All India Radio, is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L.T.-5196/65.**]

(c) The third interim report which will deal with T. V., is likely to be submitted shortly. The final report on All India Radio is expected early next year.

Foreign Broadcasting Service

***368. Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that our Foreign Broadcasting Service is not working satisfactorily;

(b) if so, the steps taken by Government to project India's case about the Pak. aggression; and

(c) the results achieved thereby?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Foreign Broadcasting Service has been satisfactory so far as quality is concerned. A. I. R. is broadcasting in 14 foreign languages and during the emergency duration of certain services has been increased. Steps are being taken to effect improvement. So far as the effectiveness and duration of listening is concerned, the service has been inadequate. Our trnasmitters are weak, and steps have been taken to obtain more effective shortwave and medium wave transmitters.

(b) & (c). So far as the situation arising from Pakistan's latest aggression against India is concerned, the programme pattern in all services was suitably oriented to explain the background of the situation, India's basic stand, the progress of the war from day to day, and the resolve of the entire nation to meet the challenge in an effective manner. Through the medium of talks, commentaries, interviews, radio reports, news-reels and features, all these aspects were dealt with as lucidly as possible. Wherever necessary, the number of such items was increased without altering the total character of the Service. Extracts from broadcasts by the President, the Vice President, the Prime Minister, and other important dignitaries were included in different services in original or in translations as and when such broadcasts featured in the Home Services network. Interviews with important foreign correspondents were also effectively highlighted.

The duration of the Pushtu Service was extended by an additional 30 minutes, and two new services, one in Afghan-Persian, and the other in Urdu for listeners in West Pakistan, were introduced.

During the months of August and September, 1965, the External Services Division received a total of 9,200 letters from listeners in different target areas. This gives some idea of the impact of our foreign language services on their respective listeners.

भारत पाकिस्तान वार्ता के लिए सुरक्षा परिषद् की उप-समिति

*369. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री हेडा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री मधु लिमये :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सुरक्षा परिषद् के 20 सितम्बर, 1965 के संकल्प को लागू करने के उपायों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए चार स्थायी सदस्यों की सुरक्षा परिषद् की उप-समिति नियुक्त करने के परिषद के प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबन्ध में सोवियत संघ का क्या दृष्टिकोण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपनी 16 सितम्बर 1965 की रिपोर्ट में, कारगर युद्ध-विराम करवाने की तात्कालिक आवश्यकता के उद्देश्य से, अन्य बातों के अलावा यह सुझाव भी दिया था कि एक छोटी समिति बनाई जाए जो सम्बद्ध दोनों सरकारों के अध्यक्षों को वर्तमान स्थिती और संबद्ध समस्यों पर विचार विमर्श करने में सहायता दे । भारत इस सुजाव के विरुद्ध था ।

(ग) सोवियत संघ ने इस सुझाव का समर्थन नहीं किया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रतिनिधित्व

*370. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री किशन पटनायक :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को शामिल करने के प्रश्न पर हुई बहस में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या विचार व्यक्त किये ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

यूगोस्लाविया से ट्रांसमिटर

*371. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 16 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूगोस्लाविया की उस फर्म के साथ जिसने 500 किलोवाट के मीडियम वेव के दो ट्रांसमिटर देने की पेशकश की थी बातचीत में अब तक और क्या प्रगति हुई है,

(ख) क्या 31 अगस्त, 1965 को अथवा उससे पहले यूगोस्लाविया से कोई तकनीकी विशेषज्ञ भारत आया था, और

(ग) यदि हां, तो उसने क्या सलाह दी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सम्भरण और निकासी महानिदेशालय ने यूगोस्लाविया के एक फर्म को 1000 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर (पांच पांच सौ किलोवाट के दो यंत्र) देने और उसे लगाने का अग्रिम आर्डर दे दिया है । फर्म के साथ बाकायदा करार पर 19 नवम्बर, 1965 को हस्ताक्षर हो गए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यूगोस्लाव फ़र्म के तकनीकी विशेषज्ञ के साथ जो बातचीत हुई थी, वह सम्भरण और निकासी महानिदेशालय को भेजे गए उनके टेंडर के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर स्पष्टीकरण के लिए थी ।

पाकिस्तान द्वारा वायुसीमा का अतिक्रमण

*372. **श्री भानु प्रकाश सिंह :** **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बागड़ी : **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री विद्याचरण शुक्ल : **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
श्री बसुमतारी : **श्री हिंमतसिंहका :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान : **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 सितम्बर, 1965 के बाद पाकिस्तान ने वायुसीमा का कितनी बार अतिक्रमण किया है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : 23 सितम्बर, 1965 से 14 नवम्बर 1965 तक पाकिस्तानी विमानों द्वारा 112 अन्तरिक्ष-क्षेत्रों का उल्लंघन किया गया है। यह अतिक्रमण जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी-क्षेत्र में अपनी अग्रिम चौकियों के ऊपर हुए हैं ।

104 मामलों में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को युद्धविराम उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतें भेज दी गई हैं । शेष 8 मामलों में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को शिकायत करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पाकिस्तान में गिरफ्तार किये गये भारतीय नागरिक

*373. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री काजरोलकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री तु० राम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान भारत-पाकिस्तान संघर्ष आरम्भ होने के बाद पाकिस्तान में कुछ भारतीय नागरिक गिरफ्तार और नजरबन्द किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में ऐसे कितने नजरबंद व्यक्ति हैं ; और

(ग) उनकी वापसी के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) बार-बार अनुरोध करने पर भी पाकिस्तान सरकार ने अभी तक यह सूचना नहीं दी है।

(ग) पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है । भारत सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जो भारतीय वहां बंदी हैं, उन्हें तुरंत स्वदेश वापस आने दिया जाए ।

भारतीय टैंक "विजयन्त"

*374. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बासप्पा :
श्री मोहसिन :
श्री धर्मलिंगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवड़ी स्थित भारी मोटर-गाड़ी कारखाने में मध्यम श्रेणी के टैंक 'विजयन्त' का उत्पादन कार्य कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पहला टैंक कब तक बन कर तैयार होने की सम्भावना है ; और

(ग) इसी कारखाने में निर्मित हल्के टैंकों की तुलना में इस टैंक की क्या विशेषतायें हैं ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) आशा है पहला टैंक अन्त दिसम्बर 1965 तक कारखाने से बाहर आ जाएगा ।

(ग) इस कारखानें में कोई हल्के टैंक निर्माण नहीं किए गए ।

राष्ट्रमंडल सचिवालय के लिए भारतीय उम्मीदवार

*375. **श्री बसुमतारी :**

श्री दे० द० पुरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र मंडल सचिवालय में आर्थिक कार्य के उप महासचिव के पद पर नियुक्ति होने से पहले ही भारत ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया था ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि यह मालूम हुआ है कि पाकिस्तान "राजनीतिक कारणों" से इस पद के लिए किसी भारतीय की नियुक्ति को रोकने का प्रयत्न कर रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार ने उप महासचिव के पद के लिए किसी व्यक्ति को नामज़द तो नहीं किया किन्तु अपनी यह इच्छा व्यक्त कर दी थी कि अगर जरूरत हुई तो वह सरकार के एक अधिकारी की सेवाएं सुलभ करने को तैयार है । किन्तु, चूंकि श्रीलंका के एक उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव किया गया, इसलिए यह फैसला किया गया कि संबद्ध भारतीय अधिकारी का नाम वापस ले लिया जाना चाहिए ।

(ख) बताया जाता है कि इस अवसर पर भी पाकिस्तान ने भारत-विरोधी काम किए थे ।

पूर्वी पाकिस्तान में 'भारत कुचलो दिवस'

*376. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

श्री स० मो० बनर्जी :

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

श्री दे० द० पुरी :

श्री काजरोलकर :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री ब्रजराज सिंह :

श्री रा० बरुआ :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री हुकमचन्द कछवाय :

श्री बड़े :

श्री युद्धवीर सिंह :

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ढाका में 22 अक्तूबर 1965 को 'भारत कुचलो दिवस' का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रजनों की तथा ढाका में भारतीय राजनयिक दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या आन्दोलन के कारण पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों की स्थिति असुरक्षित हो गई है ; और

(घ) क्या इस कारण से बहुत से हिन्दू अल्पसंख्यक भारत आ रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक नोट भेजा है जिसमें उसे चेतावनी दी है कि 'क्रश इंडिया डे' के दिन मुस्लिम लीग ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उस तरह के प्रदर्शन के भयंकर परिणाम हो सकते हैं । पाकिस्तान सरकार से कहा गया है कि वह पूर्व पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को और ढाका में भारतीय राजनयिक मिशन को पूरा संरक्षण देने का सुनिश्चय करे ।

(ग) जहां तक सरकार को मालूम है यह आंदोलन इस स्थिति तक नहीं बढ़ा कि पूर्व पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की स्थिति आ जाती ।

(घ) जी नहीं ।

नेताजी के जन्म दिन पर आकाशवाणी कार्यक्रम

*377. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सत्तरवें जन्म दिन, 23 जनवरी, 1966 के राष्ट्रीय महत्व के अनुरूप देश के भक्ति गीतों, वीर रस का संगीत तथा उपयुक्त वार्ता प्रसारित करने का है,

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को हुआ था । अतः उनका 70वां जन्म दिवस 23 जनवरी, 1967 को मनाया जायगा, न कि 1966 में, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । उस अवसर पर आकाशवाणी उनके जीवन और कार्य पर उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करेगा । इतने पहले से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण देना कठिन है ।

ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार

*378. **श्री जसवन्त मेहता :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने 4 नवम्बर, 1965 को, ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के विरुद्ध जिसमें राजनयिक विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया, पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया । उसके प्रति पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ; उप हाई कमीशन के कर्मचारियों के खिलाफ़ जबर्दस्ती पुलिस कार्रवाई करने और राजनयिक उन्मुक्तियों का उल्लघंन करने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से माफी मांगने के लिए भी कहा ।

(ख) पाकिस्तान हाई कमीशन ने भारत सरकार के विरोध-पत्र को अस्वीकार कर दिया और कलकत्ता-स्थित पाकिस्तान के उप हाई कमीशन के कर्मचारियों की बेइज्जती करने तथा उन्हें परेशान करने के कुछ प्रत्यारोप लगाए । ये आरोप बिल्कुल गलत हैं ।

ई० एम० ई० कर्मचारियों की छंटनी

***379. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ई० एम० ई० प्रतिष्ठानों के 600 से अधिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को हाल में ही सेवामुक्त करने के नोटिस दे दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो ये नोटिस अब क्यों जारी किये जा रहे हैं जबकि पहले इनको रोक लिया गया था ; **और**

(ग) क्या हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों की इस प्रकार छंटनी की जाये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ई० एम० ई० सिब्बंदियों के 201 कर्मिकों को 1, नवम्बर, 1965 से तीन मास का डिस्चार्ज नोटिस दे दिया गया है ।

(ख) पिछले अवसर पर यह नोटिस स्थगित कर दिये गए थे, क्योंकि उस समय, इन फालतू कर्मिकों का नियुक्ति-काल बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन था । इस दौरान में यह फैसला कर लिया गया है कि उनका नियुक्ति-काल 31–1–1966 तक बढ़ा दिया जाए, और इसलिये उन व्यक्तियों को, जो तीन मास के नोटिस के अधिकारी थे, 1–11–1965 से नोटिस दे देने पड़े ।

(ग) ये कर्मिक, एक विशेष किस्म की सैनिक गाड़ियों को रद कर देने की नीति के कारण फालतू हो गए हैं । भारत-पाक संघर्ष द्वारा पैदा हुई आपात स्थिति के सम्बन्ध में इन फालतू कर्मचारियों की सेवाओं के प्रयोग की सम्भावना का निरिक्षण किया गया है, और तै पाया है कि इन की सेवाएं ई० एम० ई० संगठन में प्रयुक्त कर पाना सम्भव न होगा । तदपि, उन्हें समतुल्य अथवा निम्न कुशल कारीगरों तथा अर्ध-कुशल कारीगरों की नियुक्तियों में नोटिस अवधि के दौरान रक्षा-संगठन में तथा कई राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों में खपाने के लिए यत्न जारी हैं ।

भारतीय क्षेत्र पर शत्रु के विमानों की उड़ान

***380. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान देश के बहुत से समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब और राजस्थान के हमारे सामरिक महत्व के स्थानों पर शत्रु के विमानों ने उड़ानें की हैं ;

(ख) क्या इन विमानों का मार्ग रोका गया था और यदि हां, तो क्या इन विमानों ने 7 तथा 10 अक्तूबर, 1965 को, दोनों ही दिन, एक ही मार्ग अपनाया था या एक ही क्षेत्र पर से उड़ान करनी चाही थी ; और

(ग) हमारे क्षेत्र में ये विमान कितने समय तक उड़ते रहे तथा क्या उनको कोई जानकारी है कि ये विमान किस ओर वापस गये थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : विमानों को रोकने को यत्न किए गए थे, परन्तु वह बच निकले । विमानों ने दूसरे मार्ग अपनाए ।

प्रतिरक्षा के मामले में अन्य देशों से सहयोग

*381. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त-सितम्बर, 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद सरकार ने भारत तथा सोवियत संघ और पूर्व यूरोप के अन्य देशों के बीच प्रतिरक्षा के मामले में सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस कार्यवाही में सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा से संबंधित नये कारखाने स्थापित करने के मामले में सहायता प्राप्त करना भी सम्मिलित है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सहयोग की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : हम यू० एस० एस० आर० और दूसरे पूर्वी योरूप के देशों से कुछ रक्षा साजसामान प्राप्त करते रहे हैं । विस्तारों का उल्लेख करना लोकहित में नहीं हैं ।

Mountain Divisions

*382. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the special arrangements made for the training of the Mountain Divisions for fighting in the Himalayas and the total expenditure involved thereon; and

(b) the progress so far made in the supply of small and medium size weapons for mountain warfare?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Traning of Mountain Divisions is oriented to making the forces capable of fighting in mountainous terrain. This includes training in battle techniques—specially evolved for rugged regions and high altitudes and the development of tactical and logistic aspects of mountain war-fare.

Expenditure on training of Mountain Divisions alone is not available, as it is not feasible to isolate such expenditure.

(b) The progress in supply of small and medium size weapons used for mountain war-fare has been fairly satisfactory. There has been some delay in issue of some of the weapons where supplies were due from U. S. A. The shortage because of U. S. embargo is intended to be made up by local production, though this will take some more time.

खाद्य तथा कृषि मंत्री का भाषण

***383. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 नवम्बर, 1965 को नई दिल्ली में खाद्य तथा कृषि मंत्री के समाचार-पत्रों में प्रकाशित भाषण की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि "संघ मंत्रालय सर्वप्रभुत्व संपन्न साम्राज्य हैं तथा जब तक उनके बीच की सीमायें नहीं गिराई जायेंगी तथा प्रशासन में सामूहिक रूप से काम करने की भावना पैदा नहीं की जायेगी तब तक देश का भला नहीं होगा";

(ख) क्या यह समाचार ठीक है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए तथा सामान्य बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । उसकी मुख्य बातें ठीक हैं ।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय लाने के लिये मंत्री एवं सरकारी स्तर पर पहले ही विभिन्न समितियां कार्य कर रही हैं । फिर भी संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को सुप्रवाही तथा आधुनिक ढंग का बनाने के और अधिक प्रभावी समन्वय लाने की मांग सरकार को मान्य है । इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग जिसे शीघ्र ही नियुक्त करने के लिये सरकार विचार कर रही है, विस्तार से विचार करेगा ।

Grant of Emergency Commission

***384. Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of candidates who appeared in all the examinations held for the grant of Emergency Commission so far and the number of those out of them who were finally granted the Commission;

(b) whether it is a fact that the number of successful candidates is proportionately much less; and

(c) if so, whether it is one of the reasons that the majority of candidates could not get the Commission for want of the requisite qualification in English?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Emergency Commissions are granted only in the Army. Selection was not by written examination but through interview only. 57,612 candidates appeared before the Selection Boards for interview out of whom 12,586 qualified and 9,880 were granted commissions. The rest were found medically unfit or did not report. The number qualified represents roughly 22% of the total number who appeared for interview and this compares favourably with the percentage of candidates who qualify for regular commissions.

(c) There is a possibility, but clear instructions have been issued that undue importance should not be attached to the knowledge of English languge.

पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय राजनयिक थैलों की तलाशी

*385. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पाकिस्तान अधिकारियों ने कराची में भारतीय राजनयिक थैलों को जप्त कर लिया था तथा उनकी जबरदस्ती तलाशी ली थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं ; सिर्फ राजनयिक कोरियर के निजी सामान की ही तलाशी ली गई थी ।

(ख) सरकार ने कड़ा विरोध प्रकट किया है ।

(ग) सरकार इस बात पर नज़र रख रही है कि भविष्य में पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय राजनयिक कोरियरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं ।

Special Postal Commemoration Stamp

983. **Shri Bagri :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to issue a special stamp in commemoration of Shaheed Bhagat Singh; and

(b) if so, whether it is likely to be issued on his next birth anniversary?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) : (a) and (b). The proposal was considered by the Philatelic Advisory Committee on 2nd August, 1965 but owing to the limited capacity of the Security Press it could not be accepted.

डाक तथा तार विभाग में 'लोअर सलेक्शन ग्रेड'

984. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी ।

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के लोअर सलेक्शन ग्रेड के एक तिहाई रिक्त स्थान टाईम स्केल क्लर्कों में से योग्यता-उपयुक्तता के आधार पर भरे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तार यातायात डिविजन को योग्यता-व-उपयुक्तता के आधार पर चुनाव से अलग रखने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं। केवल डाक तथा रेल डाक-व्यवस्था शाखाओं में निम्न चुनाव पदक्रम के एक तिहाई रिक्त-स्थान योग्यता (चुनाव) के आधार पर भरे जाते हैं और दो तिहाई प्रवरता-व-योग्यता के आधार पर। तार इंजीनियरी व तार परियात शाखाओं, साथ ही टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालयों तथा भंडार व कारखाना संगठनों में निम्न चुनाव पदक्रम में पदोन्नति पूरी तरह से प्रवरता-व-योग्यता के आधार पर की जाती है।

(ख) डाक तथा रेल डाक-व्यवस्था शाखाओं में निम्न चुनाव पदक्रम के पर्यवेक्षक क्लर्कों के पद पूरी तरह से प्रचालन सम्बन्धी होते हैं और ये पदोन्नतियां करने के लिए चुनाव का आधार प्रारम्भ किया गया है। तार इंजीनियरी शाखा तथा भंडार व कारखाना संगठन के कार्यालयों का काम, जिनमें क्लर्कों की नियुक्ति की जाती है, प्रचालन सम्बन्धी नहीं होता, जबकि तार परियात शाखा व टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालयों का काम प्रचालन-सम्बन्धी और गैर प्रचालन-सम्बन्धी, दोनों ही तरह का होता है। ऐसे कार्यालयों में निम्न चुनाव पदक्रम के पर्यवेक्षण सम्बन्धी पदों पर पदोन्नति केवल प्रवरता-व-योग्यता के आधार पर ही की जाती है। इस मामले में तार परियात शाखा के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता।

आयुध कारखानों में कमीशन प्राप्त-अधिकारी

985. श्री बागड़ी :

श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमीशन प्राप्त अनेक अधिकारियों को आयुध डिपों में अथवा युनिटों में काम पर लगाया गया है जहां वे वास्तव में फालतू हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिन यूनिटों में उन्हें रखा जाना है उनके बनने में सामान तथा भर्ती न होने के कारण विलम्ब हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विलम्ब पर पार पाने के लिए और सामान शीघ्र प्रदान करने तथा उत्तम समन्वय तथा आयोजन के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) आर्डनेंस डिपुओं और युनिटों से संलग्न कोई आर्डनेंस अफसर आवश्यकता से फालतू नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Officers in Indian Foreign Service

986. Shri Bagri :

Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Officers in the Indian Foeign Service including Ambassadors, Counsellers and other high officials upto the rank of Third Secretary who know one or more than one non-Indian languages besides English;

(b) the number of Officers amongst them who know Asian languages like Chinese, Japanese, Arabic etc. and African languages like Swahili etc.; and

(c) the incentive being given by Government to the diplomatic officers so that they may learn besides English other foreign languages also?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) There are 245 officers in the Indian Foreign Service from Third Secretary and above who have knowledge of one or more than one non-Indian languages, besides English.

(b) There are 88 officers with a knowledge of Asian languages and three officers who know African languages.

(c) A comprehensive scheme of incentives has been framed by Government to encourage officers of the Indian Foreign Service to learn foreign languages. Also every officer on initial appointment to the Service is allotted a compulsory foreign language. He is confirmed in service only after he has passed an advanced level examination in it.

Expenditure on Nuclear Programme

987. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the annual expenditure incurred by the U. S A., U.S.S.R., Great Britain, France and Communist China on their nuclear programmes;

(b) its percentage to the total defence expenditure of those countries; and

(c) the percentage of their national income spent on defence expenditure?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) to (c). Information required is being collected and will be placed on the Table of the House.

कालीकट में डाक तथा तार के कर्मचारियों के क्वार्टर

988. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीकट (केरल) में डाक तथा तार के कर्मचारियों के क्वार्टरों का काम जमीन न मिलने के कारण स्थगित किया जा रहा है;

(ख) क्या इनके लिए जमीन ढूंढने के लिए नियुक्त की गई समिति ने दो प्रस्तावित जमीनों को देखा है; और

(ग) यदि हां, तो इनमें से किसी भी जमीन को किन कारणों से नहीं छांटा गया ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दोनों ही जमीन के प्लाटों में कुछ खामियां व कमियां थीं। फिर भी, समिति ने एकमत से उनमें से एक प्लाट खरीदने के पक्ष में विचार प्रकट किया था। क्वार्टर बनाने के लिए इस प्लाट की उपयोगिता के बारे में एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर से सलाह मांगी गई है।

केरल म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

989. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल म्युनिसिपल निगम मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सिफारिशें मिल गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी क्रियान्विति के लिए कोई कदम उठाया हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) बोर्ड ने एक वर्ग के कर्मचारियों को 7.50 रुपये प्रति मास और दूसरों को 2.50 रुपये प्रति मास की दर से अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की है। यह सहायता 1 जनवरी, 1965 से दी जायेगी ।

(ग) सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Accidents in Coal Mines

990. **Shri Priya Gupta :** Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) the number of accidents in coal mines during the last one year;

(b) the number of workers killed and injured in those accidents; and

(c) the amount given by Government as compensation to the families of the workers killed in the accidents?

Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) 157 fatal and 1893 serious accidents from October 1964 to September 1965.

(b) 461 killed and 1970 injured.

(c) Information is being collected, and will be placed on the Table of the House.

विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

991. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों में देशवार भारतीय उद्भव के कितने व्यक्ति हैं; तथा इनमें से कितने व्यक्ति उन देशों के नागरिक बन गये हैं जिनमें वह रह रहे हैं; और

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति अभी भी भारतीय नागरिक है; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति राष्ट्रिकताहीन हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : संबद्ध सूचना विदेश-स्थित भारतीय मिशनों से इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

1—3 Lok Sabha/66

आकाशवाणी में नियक्तियां

992. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

श्री उ० म० त्रिवेदी :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) आकाशवाणी के कौन कौन से ऐसे उच्च पद हैं जिन पर संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा चुनाव या अनुमोदन के बिना उच्च अधिकारी नियुक्त कर दिये जाते हैं;

(ख) इन को कब से नियुक्त किया गया है; और

(ग) इन को इन पदों पर क्यों काम करने दिया जा रहा है तथा इन के मामले संघ लोक-सेवा आयोग को क्यों नहीं भेजे गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व सैनिक

993. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1965 को प्रत्येक राज्य में रोजगार पाने में सहायता पाने के इच्छुक कितने भूतपूर्व सैनिकों के नाम विभिन्न रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे; और

(ख) अक्टूबर, 1965 के अन्त तक ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिला दिया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : जानकारी हर छः माह के बाद इकट्ठी की जाती है । जनवरी-जून, 1965 से सम्बन्धित आंकड़े नत्थी कर दिए गए है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी०5197/65 ।]**

ब्रिटेन के लिये दिये गये पारपत्र

994. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में ब्रिटेन के लिये कितने पारपत्र दिये गये;

(ख) इसी अवधि में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने आवेदनपत्रों पर विचार किया गया ; और

(ग) इसी अवधि में कितने आवेदनपत्र नामंजूर किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) 10,753 ।

(ख) 11,598 ।

(ग) 436 ।

बेरोजगार स्नातक

995. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगार स्नातकों की संख्या बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनको रोजगार संबंधी उपयुक्त सहायता देने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं तथा इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी रोजगार कार्यालयों की सहायता से काम खोजने वाले स्नातकों की संख्या (जिनमें स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले भी शामिल हैं) मार्च 1961 और जून 1965 के बीच 44,024 से बढ़ कर 79,624 हो गई ।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षित व्यक्तियों को, जिनमें स्नातक भी शामिल है, रोजगार के अवसर प्राप्त होने की सम्भावना है । रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार 91,298 स्नातकों (जिनमें स्नातकोत्तर योग्यता रखनेवाले लोग भी शामिल है) को मार्च 1961 से जून, 1965 के बीच नियुक्ति सहायता दी गई ।

Atomic Energy

996. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the extent to which the reduction in expenditure on power resources is possible as a result of research being conducted in India on utilization of atomic energy for peaceful purposes;

(b) the time by which atomic energy is likely to be made available for running factories and for other industrial production;

(c) the per unit cost of generating electricity from atomic energy and that of hydro-ele. tricity, respectively; and

(d) the other purposes for which atomic energy would be made available for public use in the near future?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) As explained in the answer to Unstarred Question No. 1005 given on August 30, 1965, in the Lok Sabha, the relative costs of generating electricity in thermal, hydro and nuclear stations have been analysed in detail independently by the Department of Atomic Energy and more recently by the Energy Survey Committee appointed by the Government. These studies have established that in certain locations remote from cheap coal supplies and where hydro energy is not available, nuclear energy is already competitive. During the 1970's when the technology of using thorium has been satisfactorily resolved, nuclear energy will be competitive even in areas near coalfields and reliance on other sources of energy can gradually be curtailed.

(b) The dates by which the first three atomic power stations are expected to be commissioned, *i. e.*, electricity therefrom will be available for domestic and industrial purposes, have been given in the reply to Unstarred Question No. 487 in the Lok Sabha on August 23, 1965. They are :

(i) Tarapur Atomic Power Station . . .	October 1968
(ii) Rajasthan Atomic Power Station (Ist Unit)	Late 1969
(iii) Rajasthan Atomic Power Station (IInd Unit) .	End of the IVth Plan period.
(iv) Madras Atomic Power Station .	End of the IVth Plan period.

(c) The costs per kwh of nuclear power which will be generated in the first three atomic power stations have been given in the answer to Unstarred Question No. 571 in the Lok Sabha on November 15, 1965. The costs are :

Station	Cost per kwh
Tarapur Atomic Power Station	3·01 paise
Rajasthan Atomic Power Station (Ist Unit) . .	2·80 paise
Rajasthan Atomic Power Station (IInd Unit). .	2·64 paise
Madras Atomic Power Station	2·64 paise

The tables attached to that answer give information regarding the costs of electricity, which can be generated from coal burning stations in the Delhi-Punjab-Rajasthan region, Madras region and from Neyveli thermal power generating schemes. An undertaking has also been given to the House that the details of the cost per kwh of hydro and thermal power, which has already been produced in the three areas, namely, Maharashtra, Rajasthan and Madras are being collected and will be placed on the table of the House.

(d) The information asked for by the Hon. Member has already been given in the answer to part (b) of Unstarred Question No. 276 in the Lok Sabha on November 8, 1965. Apart from the generation of electricity, atomic energy has uses in agriculture, biology, industry and medicine. Detailed information regarding such uses is contained in the Annual Reports of the Department which have been circulated to the Members and which are also available in the Library of the House.

Production of Uranium

997. Shri Utiya :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the annual production of uranium in India and the extent of increase expected in its production;

(b) the percentage of its production which is being exported, and the purposes for which its exports are made;

(c) whether any such condition is laid down before its exports are made that Indian uranium should be utilized for the purposes of human welfare only; and

(d) if not, the reasons therefor?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) It is not in the public interest to disclose this information.

(b) Uranium is not being exported from India.

(c) & (d). Do not arise.

मध्य प्रदेश के निर्वाह सूचकांक

998. **श्री लखमू भवानी :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के मजदूर संघों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिस में अनुरोध किया गया है कि मध्य प्रदेश के निर्वाह सूचकांक में परिवर्तन किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में आदिवासी श्रमिक

999. **श्री लखमू भवानी :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में आदिवासी श्रमिकों के काम करने की दशा का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या है; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल पैदा नहीं होता ।

पावलेश्वर के पास कोयला खान में दुर्घटना

1000. **श्री राम हरख यादव :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 नवम्बर, 1965 की दोपहर के बाद पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले में पावलेश्वर के निकट एक कोयला खान के एक भाग के धंस जाने से दो खनिक मर गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 3 नवम्बर, 1965 को दरूला कालियरी, पाडेश्वर, पश्चिम बंगाल, में छत से कोयला गिरने के कारण दो खनिकों की मृत्यु हो गई ।

(ख) यह दुर्घटना 3 बजे सायंकाल छत से 2.4 मी० की ऊंचाई से 14.1 मी० × 1.8 मी० × 1 मी० घनफल वाले कोयले का ढेर गिर जाने से हुई । उसी दिन सायंकाल को मुख्य खान-निरीक्षक के संगठन के अधिकारि ों द्वारा दुर्घटना की चांच की गई । चूंकि छिपे रूप में छत के एक ओर सरक जाने के कारण उस में हुई कमजोरी का पता नहीं चल सका, इस लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

Anti-corrosive paint for Naval Equipments

1001. Shri Ram Harkh Yadav : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Defence Scientists have developed anti-corrosive paints to prolong the life of precious Naval Equipments;

(b) if so, whether these paints are cheaper and more lasting than the imported ones; and

(c) the production capacity of the plant?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes, Sir.

(b) At present the trade is supplying the proprietary paints to the Navy, using imported ingredients. The anti-corrosive paints now developed by the Defence R. & D. Organisation are of better quality and cheaper than those proprietary paints supplied by the trade. These paints are also entirely manufactured from indigenous materials. Compared to cost of similar paints imported from abroad, the cost of the indigenous paint is slightly higher.

(c) There is ample production capacity in the indigenous paint industry, for the manufacture of marine paints developed by the Defence R. & D. Organisation to meet the requirements of the Services.

Cease-Fire Violations by Nagas

1002. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the details of incidents in violation of agreement with the underground Nagas to stop aggressive activities in Nagaland from the 24th September to 1st November, 1965;

(b) the total amount of loss of life and property as a result thereof; and

(c) the steps taken by Government to avoid the recurrence of such incidents in future?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) During the period September 24 to November 1, 1965 in Nagaland there were 8 instances of forcible collection of money; 12 instances of movement with arms and in uniform; kidnapping of 181 persons and one case of murder. Apart from these the underground also prevented the villagers of Chakhesang area of Kohima district from payment of taxes to the Government by threat of force.

(b) No damage to property has been involved in these violations. But the underground have extorted large sums of money under duress. The exact amount of money collected under duress is not known. As regards loss of life one person was murdered.

(c) The Civil Administration are taking necessary steps in accordance with law for protecting lives and property whenever complaints of extortion or forcible collection are received. Police action is being intensified in order to maintain law and order and to deal with the delinquents.

The Government of Nagaland have already taken firm steps in the Chakhesang area and taxes are being collected.

All important cases of violation of terms of suspension of operations have also been brought to the notice of the Peace Mission to enable it to take them up with the underground.

भारत द्वारा परमाणु हथियारों का निर्माण

1003. **श्री कर्णी सिंहजी :** **श्री बूटा सिंह :**

श्री गुलशन : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका सरकार से कोई राय प्राप्त हुई है कि भारत परमाणु हथियार न बनाये ; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका सरकार को क्या उत्तर भेजा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एटमी हथियार प्राप्त न करने के भारत सरकार के निर्णय की सराहना की है। ग़ैर एटमी देश जो एटमी हथियारों की क्षमता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है, उसके आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक परिणामों की ओर उन्होंने आम तरीके से ध्यान भी आकर्षित किया है । बहरहाल, भारत सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से इस संबंध में सरकारी तौर पर कोई पत्र नहीं मिला है; इसलिए कोई जवाब भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इण्डोनेशिया में जलाई गई भारतीय फिल्म

1004. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री प्र० के० देव :**

श्री हिम्मतसिंहका : **श्री सोलंकी :**

श्री दी० चं० शर्मा : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री कपूर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पाकिस्तान के विरुद्ध आत्मरक्षा के उपायों के विरुद्ध मध्य जावा में एक रैली में प्रदर्शनकारियों ने पटुडजी महिपाल शकीला नामक एक भारतीय फिल्म जला दी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इण्डोनेशिया की सरकार से विरोध प्रकट किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं । समुचित संचार-व्यवस्था के अभाव में और इन्डोनेशिया की वर्तमान अशांत स्थिति के कारण जकार्ता-स्थित भारत का राजदूतावास इन खबरों की पुष्टि नहीं कर सका ।

(ख) इन्डोनेशिया सरकार को अभी तक कोई विरोध-पत्र नहीं दिया गया है ।

टेलीफोन प्रणाली की कार्यकुशलता

1005. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के बड़े नगरों में टेलीफोन प्रणाली की कार्यकुशलता का अचानक निरीक्षण तथा मौके पर जांच की है;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा का विशेषतः लम्बी दूरी की 'टेलिफोन कालों' के बारे में स्तर गिर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) टेलिफोन सेवा की कार्यकुशलता को कायम रखा जा रहा है और नये एक्सचेंज खोलकर, जहां संभव हो, मौजूदा एक्सचेंजों को क्षमता बढ़ाकर, करचल एक्सचेंजों की जगह स्वचल एक्सचेंज लगाकर, क्रासवार स्विचिंग प्रणाली जैसे आधुनिक किस्म के स्विचिंग उपस्कर चालू करके, मुख्य मुख्य मार्गों पर सहधुरीय केवल तथा सूक्ष्मतरंग प्रणाली द्वारा बहुत से ट्रंक परिपथों की व्यवस्था, साथ ही महत्वपूर्ण ट्रंक परिपथों पर सब्सक्राइबर/आपरेटर ट्रंक डायलिंग सेवाएं चालू आदि करने जैसे विभिन्न कदम उठा कर उसमें आगे और वृद्धि की जा रही है ।

बेरोजगारी

1006. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क़दम उठाने का विचार है जिससे विशेषतः शिक्षितों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े और बेरोजगारी दूर हो ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) ठीक ठीक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । तथापि सितम्बर, 1964 और सितम्बर, 1965 के बीच काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या 26,71,633 से कम हो कर 26,52,695 हो गई ।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं की विभिन्न विकास योजनाओं से बेरोजगार लोगों को जिनमें पढ़ेलिखे लोग भी सम्मिलित हैं, काफी रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रादेशिक सेना के साथ एकीकरण

1007. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कैडट कोर प्रादेशिक सेना तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों का एकीकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एन० सी० सी० और प्रादेशिक सेना इत्यादि का समाकलन न करने का कारण यह है कि एन० सी० सी०, प्रादेशिक सेना और होम गार्ड इत्यादि जनता के विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में ऐसे उद्देश्य से स्थापित किए गये हैं कि जो प्रत्येक अवस्था में विभिन्न हैं।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में प्रचार

1008. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाराशर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष सम्बन्धी हिन्दी भाषणों, वार्ताओं तथा समाचार रूपकों का पूरे भारत में प्रचार नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) अंग्रेजी तथा हिन्दी के मामले में यह भेदभाव दूर करने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम प्रसारित सन्देशों को जो दोनों अंग्रेजी और हिन्दी में होते हैं, आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है। हिन्दी के अन्य महत्वपूर्ण प्रसारणों को हिन्दी क्षेत्र के केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है।

(ख) सभी केन्द्रों से हिन्दी के ऐसे सभी प्रसारणों को रिले न करने का कारण यह है कि गैर-हिन्दी क्षेत्रों वाले केन्द्रों को अपनी भाषाओं में बहुत से कार्यक्रम प्रसारित करने होते हैं। क्योंकि आकाशवाणी से बहुत से कार्यक्रम हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं, इसलिये गैर-हिंदी क्षेत्रों वाले केन्द्र अपनी भाषाओं में बहुत कम कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं यदि उन्हें प्रत्येक महत्वपूर्ण हिन्दी प्रसारण को रिले करना पड़े। दूसरी ओर, क्योंकि अंग्रेजी में कार्यक्रम बहुत कम प्रसारित किये जाते है, इसलिये उन्हें सभी केन्द्रों से रिले करने से दूसरी भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों में कोई बाधा नहीं पड़ती है।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी हलचल

1009. **श्री ब० कु० दास :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा से लगी पाकिस्तानी सीमा पर अब भी पाकिस्तानी सेना का जमाव है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यांक जाति के लोगों से कुछ दूर तक के स्थानों को खाली करने को कहा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पाकिस्तान नियमित सेना सैनिक पूर्वी पाकिस्तान राइफल्ज सेविवर्ग और मुजाहिदों अन्सारों नाम से अनियमित सेनाएं, पूर्वी पाकिस्तान सीमा के साथ साथ, काफी संख्या में फैला रखी गई है।

(ख) सरकार को इस बात का ज्ञान है कि अल्पसंख्यांक सम्प्रदाय के सदस्योंकी कुछ संख्या को सीमा वर्ती क्षेत्रों से हटा कर पूर्वी पाकिस्तान के अन्य भीतरी प्रदेशों में पहुंचा दिया गया है।

भारतीय नौसेना के लिए सोवियत "सीक्रॅफ्ट"

1010. श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० बरूआ :
श्री बासप्पा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना के लिए 'सीक्रॅफ्ट' खरीदने के बारे में बातचीत करने के लिए जो प्रतिनिधि मंड़ल मास्को गया थ. -में कुछ सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : जी हां। पनडुब्बियों और अन्य नौसेनिक पोत खरीदने के लिए एक करारनामा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अन्य विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

जवानों तथा उनके परिवारों के लिये सुविधायें

1011. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जवानों, उनके परिवारों तथा घायल सैनिकों के हित के लिए जनता द्वारा वस्तुएं देने के बारे में काफी भ्रांति फैली हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो जवानों तथा उनके परिवारों के लिए सुविधाएं जुटाने से सम्बन्धित सभी विषयों का समन्वित तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी नहीं। समाचार पत्रों द्वारा लोंगों को यह सूचित किया गया है कि नकद दान देना सबसे अच्छा रहता है और इससे जवानों को भी अधिकतम लाभ पहुंचता है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं के रूप में भी दान स्वीकार किया जाता है। इस बात का भी संकेत किया गया है कि यह दान कैसे भेजा जाना चहिये ।

नेपाल के लिए सहायता

1012. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री नेपाल के लिए वित्त सहायता के बारे में 6 सितम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1544 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल कालिज बनाने तथा नेपाल में छोटे पैमाने के अन्य उद्योगों के और विकास के बारे में नेपाल सरकार के अनुरोध पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) नेपाल में एक मेडिकल कालिज की आवश्यकताओं को आंकने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। आशा है कि नेपाल में लघु-उद्योगों के विकास का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिए एक लघु-उद्योग विशषज्ञ जल्दी ही नेपाल जाएगा ।

Departmental Meetings of Ambassadors

1013. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have any plan to hold departmental meetings o our Ambassadors in different regions of the world *e.g.*, South Asia, West Asia, East Europe, West Europe, Latin America from time to time to strengthen our relations and bring uniformity in our policies in regard to these countries; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) & (b). From time to time, meetings of our Ambassadors in different regions have been held. No such meetings have been held this year nor is there any likelihood of such meeting taking place in the near future but as such consultations with our representatives abroad have proved useful, it is intended to hold such meetings periodically.

New Transmitter for Ahmedabad

1014. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to instal a new transmitter at Ahmedabad for broadcasting the Vividh Bharati programmes; and

(b) is so, by what time it will be installed?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and(b). A medium-wave transmitter has already been installed in Ahmedabad for broadcasting of Vividh Bharati programmes; it went on the air on 2nd October, 1965.

Telephone Exchange in Meerut Distt.

1015. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Telephone Exchange is being installed at Sardhana town in Meerut District;

(b) if so, the number of telephone connections to be given from this exchange; and

(c) the expenditure involved?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) A telephone exchange at Sardhana town has been working from 12-9-1956.

(b) 38 connections are working at present and two applicants on the waiting list will be provided connections shortly.

(c) Initially a 20 line magneto exchange was installed at a cost of Rs. 4,600. This was replaced by a 50 line CB manual exchange at a cost of Rs. 41,000. The CB manual exchange has now been replaced by a small automatic exchange at a cost of Rs. 9,400.

चाय बागान के लिये मजूरी बोर्ड

1016. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चाय बागान मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शरणार्थियों को बसाने के लिये विदेशी सरकार की सहायता की पेशकश

1017. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालैंड की सरकार ने हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप भारत में विस्थापितों के लिये भारत सरकार को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य किसी देश ने इस प्रकार की सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या है और उन्होंने किस प्रकार की सहायता देने की पेशकश की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हालैंड की सरकार ने हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप भारत में विस्थापितों को कोई वित्तीय प्रस्ताव देने की पेशकश नहीं की है। तथापि, यह स्पष्ट ही है कि हालैंड के रिफार्मड़ चर्च युद्धपीड़ित क्षेत्रों से विस्थापित हुए लोगों के लिये धन इकठ्ठा कर रहे है। उन्होंने भारतीय महाद्वीप के लिये 5 लाख गिल्डर (लगभग 6.6 लाख रुपये) का लक्ष्य बनाया हुआ है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा विकास कारखाने

1018. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के तीन प्रतिरक्षा विकास कारखानों ने लाभांश घोषित किया है;

(ख) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग ने उन तरीकों तथा रीति के बारे में योजना आयोग को एक नोट भेजा है, जिससे प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा कारखानों को उनकी पूर्ण क्षमता पर चलाने के लिये आवश्यक पुर्जों तथा अन्य उपकरणों के आयात को अधिक प्राथमिकता दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) राजकीय क्षेत्र में चार रक्षा उत्पादन यूनिटों अर्थात् भारत इलैक्ट्रानिकी लि०, गार्डन रीच वर्कशाप लि०, मझागां डाक्स लि०, और प्रागा टूल्ज लि० ने 1964–65 में विभिन्न दरों के लाभांश घोषित किए हैं।

(ख) रक्षा उत्पादन विभाग ने सामरिक महत्व के विभिन्न खाम पदार्थ, तथा तैयार माल के लिए, योजना आयोग के साथ निर्माण योजना बना रखी है ।

(ग) जी हां ।

Nepal's Kamla Barrage and Janakpur-Jhapa Road Schemes

1019. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the blue-prints in respect of Nepal's Kamla-Barrage and the Janakpur-Jhapa road of the eastern sector of the East-West Highway have been prepared; and

(b) if so, the expenditure involved thereon?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री का भाषण

1020. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन के कलकत्ता में दिए गए भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका पाकिस्तान द्वारा चीन को भारत पर हमला करने के लिए बाध्य करेगा जिससे काश्मीर पर सौदेबाजी की जा सके;

(ख) क्या भारत सरकार को यह जानकारी पहले से है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह बयान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने नहीं दिया था बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया था जो उनसे मिलने आया था ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

एच० एफ० 24 जेट विमानों का उत्पादन

1021. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री श्रीनारायण दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 296 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एच० एफ० 24 जेट विमानों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त संयंत्र तथा मशीनें मंगाने कच्चे माल तथा पुर्जों की सप्लाई और वैज्ञानिक इंजीनियरी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : यू० एस० सरकार के कुछ संयंत्र और मशीनों की सप्लाई कार्यान्वित नहीं हुई । यू० एस० अधिकारियों से की गई अन्य मांगों के संबंध में, पहले बता दी गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम का उल्लंघन

1022. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान सेनाओं द्वारा 23 सितम्बर, 1965 के युद्ध-विराम के बाद युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन किये जाने के बारे में भेजे विरोध पत्रों पर सुरक्षा परिषद् ने क्या कार्यवाही की ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पाकिस्तान द्वारा किए गए युद्ध-विराम के उल्लंघनों की रिपोर्ट देता है और ये सुरक्षा परिषद्, में संयुक्त राष्ट्र प्रलेख के रूप में प्रचारित कर दी जाती है । संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार उल्लंघन की शिकायतें फौरन संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को भेजी जाती है कि वह सम्बद्ध जांच करके रिपोर्ट दें। संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षको की जांच के परिणाम महासचिव रिपोर्टों के रूप में सुरक्षा परिषद् के सामने रखते हैं ।

अमरीका जाने वाले विद्यार्थियों के लिये पासपोर्ट सम्बन्धी प्रतिबन्ध

1023. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए अमरीका जाने वाले केरल के विद्यार्थियों के एक दल को पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य कुछ ऐसे मेडिकल ग्रजुएटों की चर्चा कर रहे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमरिका जाना चाहते है । जैसा कि सदन को मालूम है मेडिकल छात्रों और डाक्टरों को पासपोर्ट जारी करने में कुछ शर्तें लगा दी गई है । इसका मतलब यह है कि उच्च शिक्षा

के लिए उन्हें ही सामान्यतः विदेश जाने दिया जाता है जो या तो (1) एम०बी०बी०एस० पास हो और सात वर्ष का अनुभव हों, या (2) जो 60 प्रतिशत नंबर लेकर एम०बी०बी०एस० में पास हुए हों और तीन वर्ष का अनुभव हो, या (3) जिनके पास एम०एस०,एम०डी० आदि जैसे स्नात ोत्तर डिग्री हो।

राष्ट्र मंडल सचिवालय

1024. **श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री हेमराज : श्री जसवन्त मेहता :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब लन्दन में स्थायी राष्ट्र मंडलीय सचिवालय बन गया है तथा उसने काम करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके काम में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इस में भारतीय अंशदान कितना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। राष्ट्र मंडल सचिवालय ने अपने थोड़े से अमले के साथ ही काम शुरू कर दिया है।

(ख) अभी तक महासचिव, दो उप-महासचिव और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। 11.4 प्रतिशत के अनुसार भारत का अंशदान पहले साल में 19,950 पौंड (260,000·00 रु०) आता है।

Post Offices in Punjab in Rented Buildings

1025. Shri Daljit Singh : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices in Punjab housed in rented buildings at present;

(b) the amount of rent paid by Government during 1964-65 and 1965-66 so far; and

(c) when it is likely to lodge these Post Offices in their own buildings?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) 685.

(b) (i) Rs. 3,45,441.00 during 1964-65.

(ii) Rs. 1,88,418.04 during 1965-66 so far.

(c) The P. & T. Department would prefer to have departmental buildings wherever it is considered necessary subject to availability of suitable sites and financial resources. While every efforts is being made to provide departmental buildings for important Post Offices or where satisfactory rented accommodation is not available, it is not possible to indicate the exact date by when, if at all, the departmental post offices would be lodged in departmental buildings.

पंजाब में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

1026. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में डाक तथा तार विभाग में तीसरी तथा चौथी श्रेणियों के कितने कर्मचारियों को अब तक क्वार्टर दे दिए गए हैं ;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको दस वर्ष की नौकरी के बाद भी क्वार्टर नहीं मिले हैं; और

(ग) इस मामले क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) :

(क) श्रेणी III 1563
श्रेणी IV 419।

(ख) श्रेणी III 4047
श्रेणी IV 1111।

(ग) विभिन्न स्थानों पर 49 क्वार्टर बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है जिनमें से उनकी 5 यूनिटें बन रही है, और अधिक क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

जालन्धर का आकाशवाणी केन्द्र

1027. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालन्धर के आकाशवाणी केन्द्र को पंजाबी आकाशवाणी केन्द्र कहा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कदम उठाये गये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

नेहरू माउन्टेनियरिंग इन्स्टीट्यूट

1028. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में नेहरू माउन्टेनियरिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार (रक्षा-मंत्रालय) के साथ सहयोग से उत्तर-काशी में एक नेहरू पर्वतारोहण संस्था स्थापित की है। प्रथम पाठ्यक्रम 11 अक्तूबर, 1965 को आरंभ हुआ था और 14 नवम्बर, 1965 भूतपूर्व जवाहर-लाल जी नेहरू के जन्म दिवस को संपूर्ण हुआ। रक्षा मंत्री उस संस्था के अध्यक्ष और मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश उसके उपाध्यक्ष हैं।

(ख) तथा (ग) : भारत सरकार ने आवर्तक व्यय का 50 प्रतिशत रक्षा बजट से अदा करना स्वीकार किया है, जो 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी

1029. श्री काजरोलकर :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने 6 अक्टूबर, 1965 को आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर डोकी पड़ताल चौकी के निकट आसाम राज्य परिवहन सेवा की यात्रियों से भरी हुई एक बस पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो जान और माल की क्या हानी हुई ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 4 अक्टूबर 1965 को पाकिस्तानी सेनाओं ने अपनी सीमा चौकी सिरन में से असम राज्य परिवहन की शिलांग से डावकी जाती हुई एक यात्रिक बस पर तीन गोलियां चलाई थीं, जब वह डावकी पुल पार कर चुकी थी ।

(ख) कुछ भी नहीं ।

(ग) तथा (घ) : इसके लिए डावकी क्षेत्र में तथा पाकिस्तान द्वारा अन्य उत्तेजनापूर्ण कामों के लिए विरोधपत्र भेजा गया है । उत्तर प्रतिक्षित है।

राइफल क्लबों के लिए कारतूस

1030. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संस्था ने क्ले पीजन शुटिंग के लिए शाट साईज नम्बर 7 के कारतूसों को जो भारतीय आयुध कारखानों में 12 गैज में बनाये जा रहे हैं वरियता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो शाट साईज नम्बर 7 आसानी से क्यों नहीं मिल रहा है जब कि बड़े साईजों का निर्माण हो रहा है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) भारत की राष्ट्रीय राईफल संस्था से इस विषय में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) क्ले पिजन शूटिंग के लिए 12 बोर के सात नम्बर के आवश्यक मानक के कारतूसों का उत्पादन आयुध कारखानों में अभी स्थापित किया जाना है।

राइफल क्लबों के लिए कारतूस

1031. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजारों में बिक्री के लिए भारतीय आयध कारखानों द्वारा दिए गए पौने तीन इंच के कारतूस अब तक दिए गए ढ़ाई इंच के कारतूसों से अच्छे है ;

5—3 L. Sabha/66

(ख) क्या इस तथ्य का निश्चय करने के लिए कोई तुलनात्मक परीक्षण किए गए कि मूल्य का अन्तर देखते हुए ये 2 के कारतूस से बहुत अच्छे हैं ; और

(ग) तुलनात्मक परीक्षण किस प्रकार किया गया है तथा भिन्न भिन्न दूरी से किए गए विभिन्न तुलनात्मक परीक्षणों से क्या प्रतिशतता मालूम हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) यह दावा कभी नहीं किया गया है कि पौने तीन इंच कारतूस ढ़ाई इंच कारतूसों से अच्छे होते है।

(ख) उपरोक्त (क) को सामने रखते हुए प्रतिरूपण निरीक्षणों की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। पौने तीन इंच कारतूस सीमित राशि में तैयार किए गए थे। इस लिए आवश्यक तौर पर उसकी उत्पादन लागत अधिक रही थी। कारतूस उनके वास्तविक लागत मूल्य पर असैनिक बाजार के लिए विमुक्त कर दिए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोस्टकार्डों तथा टिकटों की कमी

1032. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के गोहटी, जानाबाजार, सिल्पुखड़ी, जोरहाट आदि समेत बहुत से डाकखानों में पोस्टकार्ड तथा टिकट अगस्त तथा सितम्बर, 1965 में नहीं मिल रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण थे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री विजयचन्द्र भगवती) : (क) जी हां।

(ख) सिक्यूरिटी प्रेस से डाक-स्टेशनरी के प्राप्त होने में देरी के कारण।

P. M.'s Broadcast on Grow More Food

1033. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister's broadcast from All India Radio in regard to 'Grow more food' has been supplied by Government to farmers in national languages;

(b) whether his speech has been broadcast by different A.I.R. Stations in various States in their own regional languages; and

(c) if not, the steps taken in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) No, Sir, but a personal letter from the Prime Minister on this subject will shortly be addressed to every Village Panchayat in the country in all regional languages. The broadcast is also being published in the December issue of the Ministry of Food and Agriculture's monthly journals "Intensive Agriculture" (English) and "Unnat Krishi" (Hindi). Copies of these journals reach all blocks and field Extension workers in the country and such farmers as are subscribing to these journals.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Publicity Policy

1034. Shri Sidheshwar Prasad :

Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any suggestions for effecting necessary changes in the publicity policy were made at a meeting of the Standing Committee of the Directors of Publicity of States held on the 12th and 13th October, 1965 at New Delhi;

(b) if so, the important decisions taken at the above meeting; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). No suggestions for effecting changes in the publicity policy of the Government were made at the meeting of the Standing Committee of State Directors of Publicity held on October 12 and 13 last, in New Delhi, nor was it within the scope of this Committee to do so.

The Committee reviewed the publicity measures adopted by various media units of the Ministry of Information ad Broadcasting and by the States during the Indo-Pak conflict, with special reference to the difficulties experienced or short-comings noticed at the implementation stage. It also dealt with the question of long-term publicity with the objective of preparing the nation to be self-sufficient and self-reliant. In this context the Committee suggested certain measures to improve publicity arrangements and to effect greater coordination between the Centre and the States in the matter of publicity campaigns. These decisions have been conveyed to all State Governments and units of the Ministry for implementation.

Literature on Sino-Pak Conflict

1035. Shri Sideshwari Prasad : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the arrangements made for proper and timely distribution of the literature on Sino-Pak danger published by the Publications Division;

(b) whether it is a fact that those publications do not reach even the Capital of various States; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Immediately on release copies of pamphlets produced in connection with the emergency are despatched to the following persons Organisations/ Institutions:—

1. Members of National Defence Council.
2. Members of Parliament.
3. State Capital Information Centres.
4. Universities.

5. District Field Publicity Officers; Field Publicity Officers.
6. District Information Centres.
7. Important Libraries in India.
8. Colleges.
9. Universities Planning Forums.
10. State Legislature Libraries.
11. A. I. R. Stations.
12. State Directors of Publicity.
13. Newspapers (through P. I. B.)
14. Imporant officers of Govt. of India.
15. Public Relations Department of the Ministry of Defence.
16. Teachers' Associations.

Copies of pamphlets with large print orders are also supplied to Block Information Centres, Schools, voluntary organisations and State Citizens Councils.

The pamphlets are posted direct to the recipients.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अमरीकी महावाणिज्य दूत का सिक्किम का दौरा

1036. डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में अमरीकी महावाणिज्य दूत हाल में अपने साथ सिक्किम एक ऐसा व्यक्ति ले गये थे जिसका उनके कार्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

युद्ध विराम स्थिति सम्बन्धी नक्शा

1037. श्री हेडा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने युद्ध-विराम स्थिति नक्शा प्रकाशित किया था;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा गया था; और

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने नकशे को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है अथवा आंशिक रूप से स्वीकार किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : 23 सितम्बर 1965 को युद्ध विराम के समय पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर में भारतीय सेनाओं के अधिकार में आए क्षेत्रों, तथा भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं के कब्जे में क्षेत्र दर्शाने वाला एक नक्शा भारत सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 1965 को विमुक्त किया गया था।

(ग) तथा (घ) : चूंकि यह नक्शा संयुक्त राष्ट्रों को नहीं भेजा गया था, संयुक्त राष्ट्रों द्वारा उसे पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। तदपि, संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को, युद्ध-विराम के समय अपने सैनिकों तथा भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों की स्थितियों से अवगत करा दिया गया है।

जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणतन्त्र का पुनर्गठन

1038. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणतंत्र को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

1039. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 13 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 575 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड बनाने के प्रश्न पर सरकार ने और विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री सजीवय्या) : (क) और (ख) : इस मामले की अभी जांच हो रही है।

सेना के इंजीनियर

1040. **श्री बालकृष्णन् : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन इंजीनियरों को जो वर्तमान आपात काल में प्रतिरक्षा सेनाओं में सेवा करते हैं क्या रियायतें दी जायेंगी; और

(ख) ये रियायतें कब से दी जायेंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) आपात स्थिति की घोषणा से पहले ही वरीयता, पदोन्नति और वेतनवृद्धि के उद्देश्यों से विशिष्ट इंजीनियरी अर्हताएं रखने वाले इंजीनियर अफसरों को सेना और वायुसेना में दो वर्ष की पूर्वतिथि स्वीकार की गई थी। यह सुविधा जारी है।

आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात सेना में कमीशन प्राप्त इंजीनियरों के लिए निम्न सुविधाएं स्वीकार की गई हैं :—

(1) पूर्व असैनिक राजपत्रित सेवा के लिए, अगर हो अधिकाधिक दो वर्ष की अतिरिक्त पूर्व-तिथि उनके लिए, जिन्हें अल्पकालीन कमीशन प्रदान की जाए, जो उन्हें स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने पर प्राप्य नहीं होगी।

(2) उन स्थाई, असैनिक, सरकारी सेवकों की हालत में जो आपात कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर, अथवा अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर सेवाओं में आएं, उनकी असैनिक नियुक्ति में धारणाधिकार, और असैनिक वेतन, अवकाश, निर्वाह-निधि सुविधाओं और अन्य अधिकारों की सुरक्षा।

(3) आपात तथा अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों की हालत में स्थाई कमीशन के लिए पात्रता।

(ख) कमीशन प्रदान किए जाने की तिथि से।

कलकत्ता में पाकिस्तानी उपउच्चायोग

1041. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में ब्रिटेन के उपउच्चायुक्त कलकत्ता में पाकिस्तानी उप-उच्चायोग के कुछ सरकारी कागज़ात कराची ले गये ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचित किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को यह नहीं मालूम है कि कलकत्ता स्थित पाकिस्तान के उप हाई कमीशन के कोई कागज़ात कलकत्ता-स्थित यूनाइटेड किंगडम के उप हाई कमिशन द्वारा कराची ले जाए जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वीरता पुरस्कार

1042. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजलाल सिंह : श्री यशपाल सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद : श्री योगेन्द्र झा :
श्री व० कु० दास : श्री तु० राम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ हाल के युद्ध में कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किये गये ;

(ख) पुरस्कार-अनुसार उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनमें से कितने मरणोपरान्त थे; और

(घ) इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को कुल कितनी राशि प्रदान की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पाकिस्तान से हाल के युद्ध के संबंध में अब तक 79 शौर्य अलंकरण प्रदान किए जा चुके हैं।

(ख) तथा (ग) : परम वीर चक्र––2, दोनों मरणोपरान्त।

महावीर चक्र (महावीर––20, जिनमें से 6 मरोणोपरान्त हैं। चक्र के लिए एक कड़ी समेत)

वीर चक्र––57, जिन में से 9 मरणोपरान्त हैं।

(घ) कमीशन प्राप्त अफसरों को छोड़कर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र पानेवालों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न दरों पर आर्थिक भत्ते दिए जात हैं :—

परमवीर चक्र . .	50 रुपये मासिक (70 रुपये मासिक उन कनिष्ठ आयुक्त अफसरों की हालत में जिन्हें पहले द्वितीय वर्ग का शौर्य अलंकरण प्रदान किया गया हो, जैसे कि महावीर चक्र)।
परमवीर चक्र की प्रत्येक कड़ी के लिए	20 रुपये मासिक।
महावीर चक्र .	30 रुपये मासिक (50 रुपये मासिक उन कनिष्ठ आयुक्त अफसरों को जिन्हें पहले तृतीय वर्ग का शौर्य अलंकरण प्रदान किया गया हो, जैसे कि वीर चक्र)।
महावीर चक्र की प्रत्येक कड़ी के लिए	10 रुपये मासिक।
वीर चक्र . .	20 रूपये मासिक।
वीर चक्र की प्रत्येक कड़ी के लिये	8 रुपये मासिक।

भत्ता अलंकरण प्राप्त करने वाले को देय है, और उसकी मृत्यु उपरान्त उसकी विधवा को।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परमवीर चक्र, महावीर चक्र अथवा वीर चक्र पाने वालेको, उसके पद का ध्यान न रखते हुए उस राज्य सरकार द्वारा, कि जिस से वह संबोधित हो एक यकमुश्त उपदान तथा/अथवा वार्षिक उस दर पर दी जाती है जो उस द्वारा निर्धारित की गई हो।

यह आर्थिक सहूलतें ऐसी हालतों में उस पेन्शन और अन्य सहूलतों (उदाहरणत: बच्चों की शिक्षा) के अतिरिक्त देय हैं।

इन इनामों के पाने वालों के कुटुंबों के सदस्यों को अब तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी हैं, इस समय हिसाब लगा पाना संभव नहीं है।

Wealthy People's help for Jawans

1043. Shri Ram Sewak Yadav :

Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some wealthy people are prepared to help the wounded Jawans and the families of those killed in Indo-Pak conflict; and

(b) if so, whether these people would be furnished a list of the families of the killed and wounded jawans or whether Government would itself collect moneys from them and send the same to the said families?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Donations being received are being credited to the Disabled Army Personnel Widows and Orphans Fund. Donors are being informed that they may send their donations for credit to the above fund or to the Air Force Benevolent Fund as the case may be, and that their wishes in respect of the purposes and categories of persons for which their donations should be used will be respected as far as possible although the actual amount to be disbursed to each individual family will depend on the assessment of their needs made by the Managing Committee of the Fund. As regards the supply of list of families of killed or wounded jawans, a scheme to permit recognised institutions to render assistance direct to the families of such Jawans through the various Regimental Centres is also under consideration.

Jodhpur State

1044. Shri Prakash Vir Shastri :

Shri Jagdev Singh Sidhanti :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a major portion of the Jodhpur State was ever given on lease to the British Government;

(b) whether it is a fact that at the time of Partition that lease had ceased to be valid and still that portion acceded to Pakistan for the reason that the British Government did not agree with the then Maharaja of Jodhpur; and

(c) the total area of that portion and the efforts being made to recover it?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) to (c). Information is being collected by the Ministry of Home Affairs and this will be placed on the Table of the House as soon as the same is received.

Vienna Convention regarding diplomatic relations

1045. Shri Sidheswar Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have ratified the Vienna Convention in regard to the diplomatic relations;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the names of other countries which have ratified the Convention?

The Miniser of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) The Vienna Convention on Diplomatic Relations, Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality and Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes, which were adopted by the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, held in Vienna in 1961 have been accepted by the Government of India. The President signed the Instrument of Accession to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, on the 28th August, 1965. The Instrument of Accession was deposited with the U. N. Secretariat on the 15th October, 1965.

(b) The Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, consists of a preamble and fifty-three articles. Broadly speaking the Convention can be divided into four parts. The first part of the Convention deals with problems of diplomatic relations in general. The second part of the Convention comprising Articles 20 to 28 deals with well-established privileges and immunities accorded to the premises of the mission and to its archives, such as inviolability, exemption from all national, regional or municipal dues and taxes, etc. These Articles also contain provisions relating to the facilitation of the work of the mission such as freedom of movement, freedom of communication between a mission and the sending and receiving States, etc. The third part of the Convention comprising Articles 29 to 36 specifies the privileges and immunities to be enjoyed by a diplomatic agent, such as personal inviolability, inviolability of residence and property, immunity from civil, administrative and criminal jurisdiction, exemption from social security regulations, taxation and customs duties etc. The persons entitled to these privileges and immunities have been divided under Article 37 into four categories, namely, members of the diplomatic staff, the administrative and technical staff, the service staff of the mission and private servants of the members of the mission. The privileges and immunities vary with each category. Article 38 of the Convention deals with the privileges and immunities to be enjoyed by diplomatic agents and other members of the staff of the mission who are nationals of or permanently resident in the receiving State. Articles 43 to 45 deal with matters like modes of termination of the functions of a diplomatic agent; facilitation of departure of persons enjoying privileges and immunities, the protection of the diplomatic premises, archives, and interests of the sending State when diplomatic relations are broken off between two States as a result of war or an armed conflict, or a mission is permanently or temporarily recalled. Article 47 provides that while applying the Convention, the receiving State shall not discriminate as between states. The fourth part of the Convention consisting of Articles 48 to 53 contains final provisions on signature, accession, ratification, entry into force of the Convention, etc.

The Convention broadly reflects existing practice with respect to diplomatic relations and is based on the principle of functional necessity. Accordingly to the

principle of necessity, privileges and immunities are accorded to ensure the efficient performance of the functions by diplomatic missions and not to benefit individuals. The functional principle pervades the entire Convention and is in consonance with present trends in international law and relations.

(c) The 48 States, other than India, that have either ratified or acceded to the Convention are the following :

Algeria, Argentina, Brazil, Byelorussia, Cambodia, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Ecuador, Federal Republic of Germany, Gabon, Ghana, Guatemala, Holy See, Hungary, Iran, Iraq, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Kenya, Laos, Liberia, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mexico, Nepal, Niger, Pakistan, Panama, Poland, Rwanda, San Marino, Sierra Leone, Switzerland, Tanganyika, Uganda, Ukraine, Union of Soviet Socialist Republics, United Arab Republic, United Kingdom, Venezuela and Yugoslavia.

Employment for widows of Jawans

1046. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme under which the widows and other dependents of Jawans who died in recent Indo-Pak conflict would be provided with employment immediately for earning their livelihood ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of widows and dependents of martyrs who have been provided with employment so far?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Government have already issued orders that the wife/son/daughter of a member of Armed Forces who is killed or disabled by enemy action would be considered for employment in any vacant civil post in a Defence Establishment, Defence Factory etc. in relaxation of normal procedure of reference to the Employment Exchange and for this purpose 400 to 500 vacanices in the Defence Factories have been set apart for such personnel. As regards posts in the Civil Departments, a proposal to issue similar orders is under consideration.

(c) The information regarding number of widows and dependents thus employed is not readily available and is being collected from the Organizations concerned.

Medical Facilities for Army personnel

1047. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number and location of Colonies for Defence Services personnel in the capital where they reside these days;

(b) whether Government have opened M. I. Rooms for their treatment in all these colonies; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Besides Delhi Cantt. Army personnel, including officers, reside mainly in Dhaula Kuan, Ramakrishnapuram, Moti Bagh, hired houses in certain South Delhi Colonies, hostels situated in the area between the Sectt. and the National Stadium, Khyber Pass Hostel, Vinay Nagar, Factory Road, Sewa Nagar and National Stadium. Some officers are also residing in other areas like Lodi Road, Akbar Road, Tin Murti Marg etc.

(b) & (c). M. I. Rooms are at present functioning in the following places in Delhi/New Delhi.

(i) National Stadium.
(ii) Ramakrishnapuram.
(iii) Signals Enclave.
(iv) Aramgah, Delhi Jn.
(v) Khyber Pass Hostel.
(vi) Dalhousie Road-Central Armed Forces M.I. Room.
(vii) Central Vista Mess.

They are located at Central places. The question of opening additional M. I. Rooms is considered on merits from time to time.

National Flag

1048. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some boards displaying the National Flag with the caption 'Jhanda Uncha rahe hamara' have been put up at the road crossings in Delhi;

(b) whether it is also a fact that three hands have been shown holding the mast of the flag ; and

(c) if so, the reasons for showing the flag being held only by three hands when the whole country has fought with the enemy unitedly ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Three hands are symbolic and were shown to indicate that the whole country was united and one against the aggressor. The inclusion of many more hands would have cluttered the design and perhaps taken away from its effectiveness.

Agricultural Labour

1049. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) the number of recommendations of the last Seminar on Agricultural Labour accepted by Government;

(b) the details thereof; and

(c) the reasons for not accepting the remaining recommendations ?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The Seminar adopted the Reports of its four Committees and the Joint Report of the Chairmen of these Committees. A statement showing the main recommendations contained in these reports was laid on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 1060 answered on 30-8-1965. These recommendations have already been brought to the notice of the State Governments and Central Ministries concerned for taking further necessary action.

केन्द्रीय श्रम संगठन

1050. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री बृजराज सिंह :

श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी मज़दूर संघ को केन्द्रीय श्रम संगठन के रूप में मान्यता देने के लिये कोई शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चार मान्यताप्राप्त संगठनों के अतिरिक्त कोई और श्रम संगठन निर्धारित शर्तें पूरी करता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस श्रम संगठन को मान्यता देने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के लिए मान्यता प्राप्त केन्द्रीय मज़दूर संगठनों को भारतीय श्रम सम्मेलन (सत्रहवां अधिवेशन, मद्रास, जुलाई 1959) द्वारा निश्चित की गई निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं :—

(i) संगठन अखिल भारतीय ख्याति के होने चाहियें ;

(ii) संगठन की सदस्य संख्या कम से कम एक लाख होनी चाहिये और सदस्य अनेक राज्यों में होने चाहियें;

(iii) कम से कम संगठन के अधिकांश उद्योगों में काफी सदस्यता होनी चाहिये;

(ग) निम्नलिखित तीन मज़दूर संगठनों ने इस प्रकार की मान्यता के लिए प्रार्थना की है :–

(i) भारतीय मज़दूर संघ ।

(ii) हिंद मज़दूर पंचायत ।

(iii) इंडियन फेड्रेशन आफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन ।

(घ) इन संगठनों को मान्यता देने के प्रश्न पर स्थायी श्रम समिति की आगामी बैठक में विचार किया जायगा ।

कृषि श्रमिक परिषद्

1051. **श्री बृजराज सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य तथा जिला स्तर पर कृषि श्रमिक परिषदें स्थापित करने अथवा इनकी स्थापना को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : गत अगस्त में हुई कृषि श्रमिक सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्टी में यह सिफारिश की गई थी कि देहाती जनशक्ति कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्विति के लिये यह वांछनीय है कि राज्य तथा जिला दोनों स्तरों पर समन्वयी एजेंसी स्थापित की जाये। कृषि श्रमिक संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भी यह सिफारिश की है की श्रमिक सहकारी समितियां स्थापित की जायें। ये सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई हैं। इस सत्र में "कृषि श्रमिक परिषदें" स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

इण्डोनेशिया में स्थिति

1052. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया में हुए हाल के विप्लव के कारणों और प्रभाव का अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या इस विषय में इण्डोनेशिया सरकार ने भारत सरकार को कोई पत्र भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह पत्र या इसका संक्षेप सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(घ) क्या भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में इण्डोनेशिया सरकार का दृष्टिकोण जानने के लिये सरकार का विचार इण्डोनेशिया सरकार से नये सिरे से बातचीत करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इण्डोनेशिया में स्थिति अब भी इतनी अस्थिर है कि हाल ही में हुई घटनाओं के कारणों और प्रभावों का ठीकठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। बहरहाल, स्थिति पर बड़ी ध्यानपूर्वक नज़र रखी जा रही है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : इस संबंध में अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा।

बाल श्रमिक

1053. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या कम करने के कार्यक्रमों संबंधी एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित करने के राष्ट्रीय मजदूर संघ के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) सरकार को राष्ट्रीय मजदूर संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस प्रकार की त्रिपक्षीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

नैनिताल में सैनिक स्कूल

1054. श्री कृ० चं० पन्त : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल के सैनिक स्कूल के बारे में अबतक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : राज्य सरकार ने आवश्यक भूमि अर्जित कर ली और अपनी जायदाद पर पुराने भवन की मरम्मत कर ली है । उन्होंने शयनशाला, रसोई औ भोजनालय भी बना लिए हैं । स्कूल का नामित प्रिन्सिपल नियुक्त कर दिया गया है । 1966 के फरवरी मार्च से आरम्भ होने वाले सत्र के लिए प्रविष्टि परीक्षा हो चुकी है । स्कूल के लिए अन्य सुविधाओं के लिए, जैसे कि वास्य भवन, स्वीकृति दे दी गई है । आशा है कि स्कूल फरवरी मार्च 1966 में काम करना शुरू कर देगा ।

आई० सी० सी० का लापता विमान

1055. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 अक्तूबर, 1965 से लापता अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के विमान में कितने भारतीय बैठे थे;

(ख) क्या लापता विमान का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पांच ।

(ख) और (ग) : 18 अक्तूबर 1965 को जो विमान सैगांन से नोम पेन्ह और वियनतियान होता हुआ अपनी नियमित कोरियर उड़ान पर हनोई जा रहा था, उसकी संबद्ध अधिकारियों द्वारा तो हेलींकोप्टरों और अन्य विमानों के जरिये लाओस और उत्तर वियतनाम दोनों ही जगह खोज शुरू की गई थी । रेडियो से भी घोषणाएं की गई थी । अभी तक इस विमान का कोई पता नहीं चला है और खोज अभी जारी है ।

सरकारी उपक्रमों में श्रम सम्बन्धी कानून

1056. श्री हिमतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की तरह ही सरकारी क्षेत्र में भी श्रम संबंधी कानूनों को लागू करने के बारे में चर्चा करने के लिए सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों (हड्स) का एक सम्मेलन हाल में ही हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) यह विचार किया गया कि श्रम कानूनों को उचित ढंग से लागू करने के बारे में सरकारी क्षेत्र में अब काफी ज्यादा जागरूकता है। यह आग्रह किया गया कि सरकारी क्षेत्र द्वारा श्रम कानूनों का और अधिक अच्छे ढंग से अनुपालन कराने के लिए सतत प्रयास किया जाना चाहिए।

खेतिहर मजदूर जांच

1057. **श्री दिनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा की जा रही तीसरी खेतिहर मज़दूर जांच के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) खेतिहर मज़दूरों के परिवारों की आय और उपभोक्त व्यय के बारे में आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं और सारणीबद्ध किए जा रहे हैं। रोज़गार, बेरोज़गारी, आय तथा ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में भी आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(ख) मार्च, 1968 तक कार्य के पूरा होने की सम्भावना है।

राजस्थान में परमाणु भट्टी

1058. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में परमाणु भट्टी स्थापित करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस भट्टी में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) राजस्थान परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट की स्थापना में प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। दूसरे यूनिट की स्थापना के बारे में हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। बशरते कि होने वाले व्यय में सम्मिलित विदेशी मुद्रा के लिये उचित वित्तीय व्यवस्था कर ली जाये।

(ख) पहले यूनिट के 1969 में चालू होने की सम्भावना है।

मूल्य देशनांक

1059. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1965 के महीनों में मूल्य देशनांक में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों को अन्तरिम सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 1949-100 के आधार पर जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1965 के अखिल भारतीय (अन्तरिम) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस प्रकार हैं :—

जुलाई, 1965	**168**
अगस्त, 1965 .	170
सितम्बर, 1965 . . .	172

अक्तूबर, 1965 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

इस प्रकार अगस्त के दौरान जुलाई के आंकड़ों में दो पाइंट की वृद्धि और सितम्बर के दौरान अगस्त के आंकड़ों में दो पाइंट की वृद्धि हुई है।

(ख) जहां महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाता है वहां सूचकांक में वृद्धि के कारण कामगार समझौते या अवार्ड के अनुसार अधिक महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं। अन्य मामलों में, सहायता प्राप्त करने का प्रश्न मालिकों और मज़दूरों के बीच आपसी समझौते और सामूहिक करार का मामला है।

पाकिस्तान से भारतीय सम्वाददाताओं की वापसी

1060. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दी बनाये गये संवाददाताओं की अदला-बदली के बारे में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए करार के अधीन पाकिस्तान से सभी भारतीय संवाददाता प्रत्यावर्तित हो गए है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश से कितने संवाददाता प्रत्यावर्तित हुए हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच संघर्ष के समय पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन प्रत्यावर्तित भारतीय संवाददाताओं के साथ जो व्यवहार किया उस के बारे में इन संवाददाताओं के क्या अनुभव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तानी अधिकारियों से काफी समय तक पत्रव्यवहार करने के बाद अब सभी भारतीय संवाददाता पाकिस्तान से वापिस आ गये हैं।

(ख) पांच ।

(ग) नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को भारत सरकार द्वारा दिये गये विरोध पत्र में पाकिस्तान में उन्हें हुए अनुभव का ब्यौरा दिया गया था। जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 5198/65।**]

टेलीफोन कनैक्शन

1061. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर तथा लखनऊ में इस समय टेलिफोन कनेक्शन लगाने के कितने आवेदन पत्र पड़े है ;

(ख) ये अभ्यावेदन-पत्र अधिक से अधिक कितने समय से पड़े हैं ;

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का विचार यदि कोई कार्यवाही करने का है, तो क्या ; और

(घ) इन कार्यवाहियों से स्थिति कितनी ठीक हो जायेगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) :—

नगर का नाम	शेष आवेदन-पत्रों की संख्या	सबसे पुराने आवेदन पत्र की तारीख
बम्बई .	83,400	1956
कलकत्ता	69,513	1957
दिल्ली . . .	45,628	1954
मद्रास . . .	15,896	1958
कानपुर .	6,931	1956
लखनऊ	1,974	1960

(ग) तथा (घ) : प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने और नए एक्सचेंज खोलने के कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि शेष मांगों में से अधिक की अधिक की पूर्ति की जा सके। फिर भी सभी शेष और नई मांगों की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि अतिरिक्त एक्सचेंज उपस्कर व केबल लगाना सीमित उपलब्ध साधनों पर ही निर्भर है।

अफ्रीकी एकता संगठन (ओ० ए० यू०)

1062. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्करा में हुए अफ्रीकी एकता संगठन (ओ० ए० यू०) सम्मेलन में भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या विचार-विमर्श हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान प्रतिरक्षा कोष में भारतीयों का अंशदान

1063. **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष में पाकिस्तान में भारतीय व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के पाकिस्तान प्रतिरक्षा कोष में अंशदान के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं। जहां तक सरकार को मालूम है पाकिस्तान में भारतीय व्यापारी फर्मों की संपत्ति पाकिस्तान सरकार ने सम्भवतः शत्रु संपत्ति के रूप में अपने हाथ में ले ली है। अब इन फर्मों पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों को बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान

1064. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रवर न्यायालयों द्वारा अन्तिम निर्णय सुनाये जाने के बाद मुकदमे की अवधि में पड़ने वाली कोई भी वेतन तरक्की (इन्क्रीमेंट) को आगे बढ़ाये बिना बकाया वेतन और भत्तों की पूर्ण राशि का भुगतान पाने का हकदार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों को इसके अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा उन्हें अपना अधिकार पाने के लिए न्यायालयों में जाना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सदस्य महोदय के मन में शायद केन्द्रीय सरकार के उन असैनिक सेवकों के मामलों का ध्यान है जो, डिसमिस या डिस्चार्ज किए गए थे, और न्यायालय के फैसले के फलस्वरूप बाद में बहाल किए गए थे। ऐसी हालतों में वर्तमान आदेशों के अनुसार किसी सरकारी सेवक के डिसमिस होने से लेकर, उसके पुनः ड्यूटी संभालने की तिथि तक, अदायगी का प्रश्न सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकल 193 के अन्तर्गत निपटाया जाना होता है। अदायगी परिसीमा विधि की शर्तों के अनुसार की जाएगी—अगर बकाया वेतन के सम्बन्ध में न्यायालय का कोई फैसला न हो, और न्यायालय के आदेश के अनुसार अगर बकाया वेतन के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट फैसला हो। तदपि, जहां सरकारी सेवक का डिसमिस किया जाना, किसी आपराधिक आरोप के कारण हुआ था, उसका मामला सिविल सर्विस रैगुलेशन्स के आर्टिकल 193 के अन्तर्गत निपटाते हुए, वह बरी घोषित होने की तिथि से वेतन और भत्तों का अधिकारी माना जाएगा, और वह अवधि सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी माना जाएगा और डिसमिस होने की तिथि से लेकर, बरी घोषित होने की तिथि तक उसे उससे कम वेतन और भत्ते न दिए जाएंगे, जो उसे निलम्बित होने की हालत में देय होते।

(ख) सरकार को किसी ऐसे मामलों का ज्ञान नहीं है, जहां वर्तमान आदेशों का पालन न किया गया हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोलम्बो योजना सम्मेलन

1065. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नवम्बर 1965 में कराची में होने वाले कोलम्बो योजना सम्मेलन में भाग नहीं लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर कोलम्बो योजना सम्मेलन के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : (क) जी हां। लेकिन यह मीटिंग जनवरी 1966 में किसी तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

(ख) पाकिस्तान के साथ वर्तमान संबंधों के कारण और खास तौर से असभ्य बर्ताव के कारण जो पाकिस्तान में राजनयिक कर्मचारियों और हमारे राष्ट्रिकों के प्रति किया गया है और किया जा रहा है।

(ग) हमारे रुख को अच्छी तरह समझा गया है।

National Defence Fund

1066. Shri Bade :

Shri D. S. Patil :

Will the **Prime Minister** be pleased to state the amounts contributed in the National Defence Fund, State wise after the Pakistani aggression till now?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : A statement showing the Statewise receipts in the National Defence Fund during the period 5th August, 1965 to the 15th November, 1965 is attached. **[Placed in the Library, See No. LT-5199/65.]**

Pak Firing at Belonia

1067. Shri Bade : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the loss sustained as a result of about seven thousand bullets fired by the Pakistanis at Belonia town of Tripura on the 23rd October, 1965; and

(b) the reply received to the letter which was sent to Pakistan by India on the 31st October, 1965?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) There was no casualty or tangible loss of property from the Pakistani firing of 23rd October on Belonia township.

(b) No reply has been received so far.

नेफा में टेलीफोन और तार की सुविधायें

1068. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में नेफा में हुई असफलता के बावजूद भी नेफा के सीमान्त क्षेत्रों में तार या टेलीफोन की कोई सुविधायें नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उप-आयुक्तों के मुख्यालयों जैसे बहुत से प्रशासनिक केन्द्रों में तार या वायरलेस, टेलिफोन नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इनकी कब व्यवस्था करने का है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5200/65।**]

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

1070. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने उड़ीसा के कुल कितने सर्वेक्षण किये; और

(ख) इसी अवधि में इन पर कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) सर्वेक्षणों की सूची विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5201/65।**]

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर खर्च (1) तकनीकी डिजाइनों, जिसमें नमूने, अनुसूचियों, हिदायतें आदि तैयार करना भी सम्मिलित है, (2) आंकड़े इकट्ठे करने और (3) सारणीकरण के लिये किया जाता है। उड़ीसा में आंकड़े इकट्ठे करने का क्षेत्रीय काम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। डिज़ाइन और सारणीकरण सम्बधी बहुतसा काम भारतीय आंकड़ा संख्या द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की अवधि का वित्तीय वर्षों से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिये संलग्न विवरण में बताये गये कुछ सर्वेक्षण प्रश्न में पूछी गई अवधि के भीतर नहीं आते हैं। डिजाइन और सारणीकरण का काम अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। इन मदों पर राज्यवार और सर्वेक्षणवार किये गये खर्च के पृथक् पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन बातों के होते हुए 1965–66 के लिए सर्वेक्षणों पर किये जाने वाला कुल व्यय निश्चित रुप से नहीं बताया जा सकता। वर्ष 1965–66 के लिए उड़ीसा में क्षेत्रीय काम पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा किया गया खर्च भी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कुछ समय बाद ही बताया जा सकता है। तथापि, वर्ष 1965–66 में (अक्तूबर, 1965 तक) उड़ीसा में क्षेत्रीय काम पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा किया गया वास्तविक व्यय लगभग 1,43,000 रुपये है।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रेडियो

1071. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 के अन्त तक उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों को कितने रेडियो दिए गए हैं ; और

(ख) 1965–66 में इस राज्य को कितने रेडियो देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 8567।

(ख) 600। राज्य सरकार ने इतनी संख्या की मांग की है।

भुवनेश्वर में डाक तथा तार के क्वार्टर

1072. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भुवनेश्वर (उड़ीसा) में डाक तथा तार के क्वार्टरों के निर्माण के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : 62 क्वार्टर बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इमारतें बनाने का 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

सम्बलपुर में आकाशवाणी के नियमित कलाकार

1073. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 को सम्बलपुर के आकाशवाणी केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों तथा अन्य कर्मचारियों में अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
स्टाफ आर्टिस्ट .		
नियमित कर्मचारी . .	10	4
कुल	10	4

केन्द्र के कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :

स्टाफ आर्टिस्ट . .	
नियमित कर्मचारी . . .	42

Facilities to Radio Artistes

1074. **Shri Prakash Vir Shashtri** : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that benefits of dearness allowance have been extended to the staff artistes of the All India Radio with effect from October, 1964;

(b) whether it is also a fact that the Commentators of Films Division have not been given this benefit so far; and

(c) if so, when a final decision is likely to be taken in this respect?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration.

उपहार आदान-प्रदान कार्यक्रम

1075. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1965 के 'स्टेट्समैन' में 'रेड टेप बौग्स डाउन एक्सचेंज आफ गिफ्टस प्रोग्राम' (उपहार आदान-प्रदान कार्यक्रम खटाई में) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच है कि उपहार आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के ग्रामीण रेडियो बाक्पीठों (फोरम) के लिए उपहार में दिये गये 125 ट्रैंजिस्टर रेडियो. जिसके लिए आकाशवाणी को 1961 में धन दिया गया था अभी तक प्रदान नहीं किये गये हैं; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : यह कहना ठीक नहीं है कि ट्रैंजिस्टर रेडियों खरीदने के लिए आकाशवाणी को धन दिया गया था। इस उपहार आदान-प्रदान योजना में मुख्य पार्टियां कनाडा की नेशनल फार्म रेडियों फोरम और नई दिल्ली स्थित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था थीं। कनाडा की नेशनल फार्म रेडियो फोरम ने भारत में कुछ ग्रामीण रेडियों फोरमों को उपहार में देने के लिये ट्रैंजिस्टर रेडियों खरीदने हेतु भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था के पास कुछ धन जमा करा दिया था। इस लेन देन में आकाशवाणी ने जो काम किया है वह यह है कि उसने देहाती क्षेत्रों में लोगों के सुनने के लिये उचित ट्रैंजिस्टर रेडियों का विशिष्ट विवरण दिया है और राज्य सरकारों को कहा है कि वे इस योजना में सम्मिलित करने के लिये ग्रामीण रेडियों फोरमों की एक सूची भारती प्रौढ़ शिक्षा संस्था को प्रदान करें। आकाशवाणी से प्राप्त अन्तिम सूचना से पता चलता है कि रिसीवरों की सप्लाई आकाशवाणी द्वारा दिये गये विशिष्ट विवरण पर आधारित आदिरूप के राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित किये जाने के तुरन्त बाद कर दी जायेगी। तथापि, उक्त प्रक्रिया में हुई देरी को ध्यान में रखते हुए तथा सामुदायिक रेडियो की सीमित उपलब्धी के कारण, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था को हिदायतें दी जा रही है कि वे घरेलु रिसीवर खरीद कर देहाती क्षेत्रों मे दे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी (सामाजिक) समिति

1076. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी (सामाजिक) समिति में भारतीय प्रतिनिधि ने भारतीय वैज्ञानिकों-इंजीनियरों तथा डाक्टरों के बड़ी संख्या में विदेशों में बस जाने के कारण भारत को होने वाली सामाजिक क्षति के बारे में शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि ने बैठक में इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक क्या मांग की थी; और

(ग) उस पर समिति की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) "विश्व की सामाजिक स्थिति" नामक मद पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भाषण करते हुए, भारत के प्रतिनिधि, श्री के० सी० पंत ने बताया कि "भारत ने अपनी सीमित निधि का बड़ा अंश शिक्षा पर भी लगाया था जिसे उसने आर्थिक विकास के लिए अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के तत्व के रूप में अत्यंत आवश्यक समझा। बहरहाल, बहुत से भारतीय इन्जीनियर और डाक्टर अधिक उन्नत देशों में अपना अध्ययन करते रहने के लिए गए और प्रायः वहां बस गए। परिणाम यह हुआ कि कठिनाई से जो अत्यल्प धन राशि उनको शिक्षा के लिये नियत की गई थी, उससे अन्ततः देश के विकास को योगदान न मिल सका"।

(ख) और (ग) : भारतीय प्रतिनिधि ने कोई मांग नहीं की और इसलिए किसी प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार पत्रों के लिए सफेद कागज

1077. **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में ही भारतीय तथा पूर्वी समाचार पत्र सोसायटी को आश्वासन दिया है कि समाचारपत्रों के लिए छपाई के सफेद कागज का अतिरिक्त कोटा देने के प्रश्न पर सहानभूति से विचार किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उनकी निश्चित मांग कितनी है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : दि इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी ने बढ़ते हुए परिचालन की मांग को पूरा करने के लिये समाचार पत्रों को 10,000 टन सफेद कागज़ का अतिरिक्त कोटा देने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को लिखा था। प्रधान मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि सुझाव पर विचार किया जायेगा।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Furnace for Utilizing Natural Uranium

1078. Shri Ram Sewak Yadav : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether any furnace has been set up or is likely to be set up in India in the near future to utilize natural uranium as fuel.

(b) whether natural uranium could not be utilised in other atomic furnaces like Apsara.

(c) if so, the difficulties in the way.

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) Two of the research reactors at Trombay (CIR and Zerline) use natural uranium fuel elements fabricated by the Atomic Energy Establishment Trombay. The Rajasthan Atomic Power Station, now under construction and the Madras Atomic Power Station will also use natural uraniumin the form of uranium oxide as fuel.

(b) Apsara, the first research reactor, requires enriched uranium and so does the Tarapur Atomic Power Station which is under construction.

(c) The designs of Apsara, and the Tarapur Atomic Power Station are based on the use of enriched uranium as fuel and therefore, it is not possible to change over to natural uranium.

Broadcasts for South East-Asian and African Countries

1079. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the foreign languages other than English in which programmes are broadcast by the All-India Radio;

(b) whether any programmes are broadcast for South-East Asian and African countries;

(c) if so, the languages of these broadcasts; and

(d) if not, the reasons therefor and whether there is any proposal to broadcast programmes in Malayan, Indonesian, Siamese and Burmese languages?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) Arabic, Afghan-Persian, Burmese, Cantonese, French, Indonesian, Kuoyo, Nepali, Persian, Pustu, Thai (Siamese), Tibetan and Swahili languages.

(b) Yes, Sir.

(c) The programmes in Burmese, Indonesian and Thai (Siamese) are intended to serve listeners in South East Asian countries; programmes in Arabic and Swahili are directed to listeners in African countries and programmes in French are meant for some countries in South East Asia as well as Africa.

(d) As stated under (a) above, programmes in Burmese, Indonesian and Thai (Siamese) are already being broadcast. A programme in Malay will be introduced in the near future.

पाकिस्तानी आक्रमण में मृत एम०ई०एस० कर्मचारी

1080. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के पाकिस्तानी आक्रमण में एम० ई० एस० के बहुत से असैनिक मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उस कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या ऐसे सभी मामलों की व्यवस्था की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) केवल दो ।

(ग) दोनों व्यक्तियों में से एक पीछे कोई कुटुम्ब छोड़ कर नहीं मरा इस हालत में कुटुम्ब पेन्शन देने का प्रश्न उठता ही नहीं। चूंकि दूसरा व्यक्ति एक अस्थायी औद्योगिक कर्मचारी है, नियमों के अन्तर्गत कोई कुटुम्ब पेन्शन देय नहीं है। तदपि इस कर्मचारी के कुटुम्ब को पेन्शन देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में तकनिशियनों की सेवा अवधि का बढ़ाया जाना

1081. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के कारण तथा उनकी प्रवीणता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में तकनीकी तथा वैज्ञानिक अधिकारियों की सेवायें 58 वर्ष से अधिक बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इस बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख) : रक्षा सिब्बंदियों के तकनीकीग तथा वैज्ञानिक अफसरों की हालत में 58 वर्ष के अधिक, अधिवार्षिकी आयु को बढ़ाने के लिए, कोई व्यापक सुझाव नहीं है। तदपि, हर स्थिति गुणों के आधार पर, 58 वर्ष की आयु के पश्चात अधिवार्षिकी आयु बढ़ा दी जाती है अगर वैज्ञानिक अथवा तकनीकी विशिष्टता विशेष में कमी हो, या संबंधित व्यक्ति ऐसे किसी कार्य या समस्या में लगा हो, जिसके एक अथवा दो वर्षों में अति महत्वपूर्ण परिणामों की आशा हो।

दिल्ली में टेलीफोन की बकाया रकम

1082. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने व्यक्तियों के पास टेलीफोन हैं जिन्होंने गत कई वर्ष से विभाग को टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि नहीं दी है ;

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों को साधारण विभागीय नियमों के प्रतिकूल टेलीफोन सेवा का उपयोग करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) ठीक ठीक संख्या फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) : बकाया रक़म की अदायगी न होने के कारण कुछ टेलीफोन पहले ही काटे जा चुके हैं और उनसे बकाया रक़म वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य के सम्बन्ध में, उनके मामलों की जांच करने, उन्हें काटने की कार्रवाई करने और उनसे बकाया रक़म वसूल करने के लिए एक विशेष सेल बनाया गया है। हाल ही में अदायगी न होने पर सरकारी तथा निजी दोनों ही प्रकार के उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने के आदेश भी जारी कर दिये गए हैं।

टेलीफोन

1083. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बम्बई में बन्द हो चुकी संस्थाओं तथा बहुत समय पहले मर चुके व्यक्तियों के नाम में कितने टेलिफोन हैं ;

(ख) विभाग द्वारा स्थायी नियमों के विरूद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा इनका प्रयोग क्यों करने दिया जा रहा है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग) : ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और न ऐसी कोई सूचना इकट्ठा करना संभव ही है। जब कभी विभाग को यह पता चलता है कि किसी टेलीफोन का अनधिकृतरूप से प्रयोग किया जा रहा है तो विभागीय नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र महा सचिव का प्रतिवेदन

1084. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध-विराम उल्लंघनों के बारे में एक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र को हाल में ही पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मुख्य विचार क्या थे ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्यों ने इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया प्रकट की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने युद्ध विराम के पालन के संबंध में कई रिपोर्टें सुरक्षा परिषद् के सम्मुख रखी हैं। इन रिपोर्टों में उन्होंने युद्ध-विराम के उल्लंघनों की शिकायतों की जांच के परिणाम दिए हैं। इन रिपोर्टों से प्रायः यही पता चलता है कि युद्ध-विराम वस्तुतः स्थिर नहीं है।

(ग) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

विशाखापट्टणम में नौसेना गोदी

1085. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापट्टणम में गोदी बनाने के बारे में भारतीय नौसेना को सलाह देने के लिए सोवियत संघ के नौसेना विशेषज्ञों का एक दल भारत आने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) विशाखापट्टणम में एक गोदीवाड़ा स्थापित करने के लिए एक प्रायोजना रिपोर्ट तय्यार करने में एक दल भारतीय नौसेना की सहायता करेगा।

पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा का उल्लंघन

1086. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध-विराम लागू होने के बाद पाकिस्तान ने 8 बार त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं के कारण दोनों पक्षों को कुल कितनी क्षति हुई ;

(ग) क्या इस अवधि में वायु-सीमा के उल्लंघन की भी कोई घटना हुई ; और

(घ) पाकिस्तान द्वारा सीमा के उल्लंघन की इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 23 सितम्बर से, जब युद्ध विराम हुआ था त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान ने 24 सीमोल्लंघन किए है।

(ख) 16 नवम्बर तक प्राप्त होने वाली रिपोर्टों के अनुसार 2 भारतीय मारे गये थे और 6 पाकिस्तानीयों द्वारा अपहृत कर लिए गए थे। इस के अतिरिक्त 5 पशु मारे गए थे। और 42 उन द्वारा ले जाए गए थे। पाकिस्तान की ओर, विश्वास है, कि 6 मारे गए हैं और दो घायल हुए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऐसी घटनाओं की रोक थाम के लिए हमारी सीमा सुरक्षा सेनायें समस्त सीमा पर निरन्तर सतर्क हैं। जभी आवश्यक होता है वह उत्तर में गोली चलाती हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों को विरोध-पत्र भी भेजे जाते हैं।

Training in Poisonous Gas Warfare in Pakistan

1087. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that training is being imparted in Pakistan in poisonous gas warfare; and

(b) if so, the preventive measures being taken by Government in border areas?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Government have no information that training is being imparted in Pakistan in poisonous gas warfare. Pakistan is one of the countries which have ratified the Geneva Protocol (1925) which prohibits the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. It is hoped that it will live up to its obligations under the convention.

नागालैंड में युद्ध-विराम

1088. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य के बावजूद भी नागालैण्ड में युद्ध-विराम की अवधि दो महीने बढ़ाने का निर्णय किया है कि युद्ध-विराम के बाद विद्रोहियों की गतिविधियां फैल रही हैं ; और

(ख) क्या लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा फिजो को दिया गया व्यक्तिगत आश्वासन का सरकार को कोई उत्तर मिला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तमाम तथ्यों और वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने लड़ाई बंदी की अवधि को 2 महीने और बढ़ाने का निर्णय किया ।

(ख) जी नहीं ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा क्षमता

1089. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अन्य मंत्रालय के परामर्श से गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा क्षमता का उपयोग करने के लिये कोई विस्तृत योजना तैयार की है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने दिये जाने वाले आर्डरों का इन्डेंट तैयार कर लिया है तथा इन आर्डरों की सापेक्ष प्राथमिकता, गैर-सरकारी क्षेत्र को कच्चे माल, मशीनी उपकरण तथा अन्य उपकरणों का जो अतिरिक्त सम्भरण किया जायेगा उसके बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ग) क्या उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा क्षमता का पता लगाने तथा उसका उपयोग करने में प्रतिरक्षा मंत्रालय की सहायता करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी अनुभवी तथा उत्साही सार्वजनिक व्यक्ति को नियुक्त करने का निश्चय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) राष्ट्रीय योजनाओं के उपयुक्त अभिस्थापन और देश में वर्तमान क्षमता के प्रयोग द्वारा रक्षा उत्पादन बेस को सशक्त बनाने के लिये रक्षा मंत्रालय की सिफारिशें योजना आयोग को भेज दी गई है, और उनका तकनीकी अध्ययन दलों द्वारा निरिक्षण हो रहा है, जो उन द्वारा स्थापित किए गए है । अध्ययन दलों द्वारा की गई सिफरिशों पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जाएगा, और उपयुक्त तौर पर राष्ट्रीय योजनाओं में उन्हें निगमित कर लिया जाएगा ।

(ख) रक्षा आवश्यकताओं का सामना करने के लिए यथासंभव असैनिक व्यवसाय को आर्डर पहले से भेज दिए गए हैं। उन्हें भेजे गए आर्डरों की मदों के उत्पादन के लिये असनिक व्यवसाय के दुर्लभ खाद्य पदार्थ मुहैया किए जाते हैं। प्राप्य क्षमता तथा अतिरिक्त क्षमताका जो असैनिक व्यवसाय में प्राप्त की जा सकती है उन आफरों की हालत में निर्धारण किया जा रहा है, जो क्षमताओं के प्रयोग के लिए प्राप्त हुई है, और स्वीकार कर ली गई है ।

(ग) जी नहीं ।

विभिन्न भाषा यूनिटें

1090. **श्री मुथिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला 'पब्लिसिटी-सैल ब्रेन्स ट्रस्ट' बनाया जाय; और

(ख) क्या मुख्य सूचना अधिकारी के स्थान पर अधिक अधिकार और ऊंचे पद वाले एक प्रचार महानिदेशक नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे वह अन्य मंत्रालयों से और अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यवहार कर सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विभिन्न भाषा माध्यम यूनिटों द्वारा किए गए प्रचार का समन्वय अच्छी तरह किस प्रकार हो सकता है सरकार इस बारे में विचार कर रही है। अभीतक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बनाये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) सैनिक शिविर पर नागा विद्रोहियों द्वारा हमला

(2) आसाम के शिवसागर जिले में द्वारा नागा विद्रोहियों द्वारा सात व्यक्तियों का अपहरण

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : श्रीमन, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

"मनीपुर के उखरुल सब-डिवीजन के एक गांव में आसाम राइफल के एक सैनिक शिविर पर नागा विद्रोहियों द्वारा हमला जिसके परिणामस्वरूप 6 जवानों को गहरी चौटें आई।"

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय अपना दूसरा नोटिस भी पढ़ सकते हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं उसे पहले ही पढ़ चुका हूं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : मैं दोनों का उत्तर दूंगा।

श्रीमान जी, मनीपुर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 नवम्बर, 1965 को सुबह के 5 बजे नागा विद्रोहियों ने उखरूल सब डिविजन में हालयांग की चौकी पर दो इंची मार्टरों, ब्रेन गनों और राइफलों से गोलाबारी की। 'उस चौकी पर तैनात' आसाम राइफल्स के जवानों ने जवाबी गोला बारी की। नागा विद्रोही सुबह के 6 बजे तक गोली चलाते रहे। आसाम राइफल्स के 6 जवानों को मौर्टरों के टुकड़ों से मामूली चोंटे आई और मौर्टरों ने चौकी की इमारत को भी कुछ नुकसान पहुंचाया। प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि विद्रोहियों ने अपनी ब्रेन गनों तथा राइफलों से कई हजार गोलियां चलाई। आसाम राइफल्स के जवानों ने इस चौकी से दो हजार से ज्यादा चले हुए कार्तूसों के खोल इकट्ठे किये हैं। दूसरी ओर के हताहतों की संख्या ज्ञात नहीं है। पास की एक चौकी से कुमक पहुंचाई गई है और ज़ख्मियों को डाक्टरी सहायता भी पहुंचाई गई।

श्रीमान जी, मैंने आसाम के सिबसागर जिले के एक सीमावर्ती बाजार से सात व्यक्तियों के नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण पर भी वक्तव्य देने का वायदा किया था। हमने आसाम सरकार से पूछताछ की है। उन्होंने बताया है कि 29 अक्तूबर को सिबसागर जिले में नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण की ऐसी कोई वारदात नहीं हुई।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि नागा विद्रोही उनके तथा सरकार के बीच हुए युद्ध-विराम समझौते का बार-बार उल्लंघन करते रहे हैं, और लूट मार तथा अग्निकाडों में लगे रहे हैं, पाकिस्तान में प्रशिक्षित किये जाने वाले वॉलन्टियर्स की

[श्री पें० वेंकटासुब्बया]

संख्या बढ़ाते रहे हैं, और स्थानीय जनता पर दबाव डालकर धन इकट्ठा करते रहे हैं, क्या सरकार इन नागा विद्रोहियों के साथ समझौते करना, जो कि हमारे राज्यक्षेत्रीय अखण्डता तथा सरकार के प्रतिकूल होंगे, वांछनीय समझती है ?

श्री हाथी : शान्ति-वार्ता आदि सम्बन्धी प्रश्न के बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जहां तक मनीपुर तथा वहां के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, तीन डिवीजनों को वहां "सैनिक कार्यवाही-बन्द" वाले क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है, जहां तक शेष क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार का यह विचार है कि उन्हें उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) **:** क्या यह सच है कि शान्ति वार्ता के लिए भी फीजों को भारत सरकार के शान्ति मिशन के निमंत्रण के पश्चात् नागा-विद्रोहियों की विद्रोही गतिविधियां और भी अधिक बढ़ गई हैं क्योंकि इससे उन्हें प्रोत्साहन मिला है, यदि हां, तो क्या भारत सरकार यह घोषणा करेगी कि वह श्री फिजो के साथ कोई भी वार्ता नहीं करेगी ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि यह सच है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) **:** युद्ध विराम समझौता होने के बावजूद भी नागा-विद्रोही मनीपुर के क्षेत्रों में अपनी विद्रोही गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ाते रहे हैं और स्थिति दिन प्रति दिन और भी बिगड़ती जा रही है और सरकार श्री फिजो को खुश करने के लिये उनके पास शान्ति मिशन के नाम पर लोगों को भेजते रहती है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसी खुश करने की नीति का अनुसरण करती रहेगी अथवा इस सम्बन्ध में कुछ उपयुक्त कार्यवाही भी करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : खुश करने का कोई सवाल नहीं है। जैसा की मैंने पहले कहा है, हम इस समय सम्भवत: विचार-विमर्श तथा वार्ताओं के अन्तिम प्रक्रमों पर हैं। जैसा सुझाव दिया गया था, कि वे श्री फीजो से विचार-विमर्श करना चाहेंगे, हमने इसे मान लिया। तथापि, श्री फीजो क्या रवैया अपनायेंगे अर्थात वह भारत आना पसन्द करेंगे अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने इस संबंध में समाचार पत्रों में पढ़ा है, किन्तु अभी तक सरकारी तौर पर हमें इस बारे में सूचना नहीं मिली है।

श्रीमती रेणु बड़कटकी (बारपेटा) **:** क्या सरकार का ध्यान आसाम के मुख्य मंत्री श्री बी० पी० छलिहा जो शान्ति मिशन के एक सदस्य भी हैं, के इस आशय के एक कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि नागा-विद्रोही काफी आत्म-सम्मान वाले लोग हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी कोई सांठ-गांठ नहीं है और न ही उन्हें पाकिस्तान से शस्त्र तथा प्रशिक्षण मिल रहा है; यदि हां, तो क्या सरकारी प्रतिवेदन इस वक्तव्य की पुष्टि करते हैं, यदि नहीं, तो क्या सरकार नागा विद्रोहियों के शस्त्र तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के स्त्रोत का पता लगा सकी है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक प्रतिवदनों का सम्बन्ध है, हमें यह जानकारी है कि नागा लोग पाकिस्तान जाकर वहां प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

श्री हेम बरुआ : आसाम के मुख्य मंत्री ने इसका खण्डन कैसे किया ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह हो सकता है कि उनके वक्तव्य को सही तौर पर प्रकाशित न किया गया हो, तथापि इस सम्बन्ध में सरकार उनसे पता करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ब्रिगेडियर सेन को लन्डन में एक विभिन्न कार्य सौंपा गया था किन्तु उसका वास्तविक उद्देश्य श्री फीजो से विचार-विमर्श करना था ? क्या वह लन्दन गये थे अथवा नहीं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उन्हें ऐ ा कोई भी कार्य नहीं सौंपा गया था।

Shri Yogendra Jha (Madhubani) **:** Since the peace talks have been going on with the Naga Hostiles, they have extended their activities to areas in Manipur and have indulged in hostile activitis in that area. I want to know the number of citizens of Manipur and our Soldiers who have been kidnapped and those who have been killed so far by the Naga Hostiles after the peace talks started?

Shri Lal Bahadur Shastri : I cannot give full details, however, I do not also agree with the views of the hon. Member though the Naga Hostiles have not left the Naga land, yet it is true that in the area of Manipur which has been included in the purview of the peace talks, they have tried to create some disturbance there and have created a lot of trouble. But the Manipur Government have with a view to maintain law and order there, firmly decided to take stringent action against the Naga Hostiles irrespective of the peace talks in progress.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सचिव से उनके साथ विचार-विमर्श करने तथा कोई तरीका निर्दिष्ट करने के लिए कह दिया है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) **:** वहां कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार से शीघ्र उत्तर प्राप्त करना अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह बात महसूस करनी चाहिये कि यदि मैं प्रतिदिन एक ध्यान दिलाने वाली सूचना भी लूं, तो भी सारा सप्ताह निकल जायगा क्योंकि कई सूचनाएं गृहीत करली गई हैं।

श्री वासुदेवन नायर : केरल एक विशेष मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतिदिन एक ध्याद दिलाने वाली सूचना ले सकता हूं। यदि सभा इस मामले पर मुझे कोई निर्देशन दे, तो मुझे उसकी अनुमति की आवश्यकता है। यदि किसी दिन बहुत सी सूचनाएं आ जाती हैं, तो मुझे उस दिन सभी का निबटारा कर देना चाहिये अर्थात् मुझे उनमें से केवल एक ही सूचना को लेना चाहिये, उस स्थिति में अन्य सभी सूचनाएं व्यपगत हो जायेंगी और सदस्यगण अन्य त ीकों से उन्हें ला सकत हैं। एक तरीका यह है। अन्यथा, यदि मेरे पास किसी विशष दिन एक से अधिक महत्वपूर्ण ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं आ जाती हैं, तो मैं उस दिन एक ही सूचना ले सकता हूं और दूसरी सूचना अगले दिन।

श्री हेम बरुआ : उसी दिन आप एक सुबह और एक अपराह्नकाल में ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी मैं ऐसा भी करता रहा हूं किन्तु यह नियमों का अतिक्रमण करता है। लेकिन जब कभी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हो, तो मैं सदस्यों को सदैव यही सलाह देता

[अध्यक्ष महोदय]

रहा हूं कि वे उसे अल्प सूचना प्रश्न के रुप में रखें। ध्यान दिलाने वाली सूचना देकर उनका उद्देश्य हल नहीं होगा क्योंकि वह सम्भवतः बहुत देर में लिया जायगा, जब कि अल्प सूचना प्रश्न के रुप में गृहीत हो जाने पर उस पर और शीघ्र चर्चा हो सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : किन्तु अल्प सूचना प्रश्न को मंत्री स्वीकार करते हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : जैसी कि अब तक परम्परा अथवा प्रक्रिया रही है, आप अपनी इच्छानुसार किसी भी ध्यान दिलाने वाली सूचना को चुनकर उसे सभा के समक्ष रख सकते हैं। अन्य सूचनाओं में से तीन अथवा चार ऐसी सूचनाओं को जिन्हें आप अविलम्बनीय समझें उनके सम्बन्ध में आप सम्बन्धित मंत्रियों से सम्बन्धित सदस्यों को उनके उत्तर भेज देने के लिए कह दें, यदि वे चाह, तो अपनी इच्छानुसार उन उत्तरों को प्रेस में भेजकर प्रकाशित भी करवा सकते हैं। इससे सम्बन्धित सदस्यों को मामले की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में कम से कम सन्तोष तो प्राप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर एक और प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। मैं सदस्यों से उस सूचना को सभा पटल पर रखने के लिए कह सकता हूं। मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूं किन्तु मैं अपने माननीय मित्र श्री वासुदेवन नायर की इस उक्ति से भी सहमत हूं कि केरल एक विशेष विषय है और उसे इस सभा में विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें यह पहले ही बता दिया है कि मैं, निसंदेह उनकी सहायता करूंगा। वह एक अल्प सूचना प्रश्न भेज सकते हैं जिसे ध्यान दिलाने वाली सूचना की अपेक्षा शीघ्रतर लिया जा सकता है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : केरल से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में, क्या आप पूर्णतः अपने विवेक के आधार पर ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के विषय को सभा के समक्ष नहीं ला सकते हैं? इस आशंका से कि सम्भवतः मंत्री महोदय अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार न करें, यह ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई थी। इसलिए, जब कि आपको अपना विवेक काम में लाने की पूरी शक्ति प्राप्त है, और केरल सम्बन्धी शिकायतें व्यक्त करने का केरल के सदस्यों को अन्य कोई अवसर प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति में आप उनकी सहायता कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि, जब मैंने उन्हें यह सुझाव दे दिया है, यदि मंत्री महोदय इसके पश्चात् इन्कार करें, तो मैं फिर दूसरा मार्ग अपनाऊंगा मैं इसे या तो फिर अगले दिन ले लूँगा अथवा इस बारे में कुछ करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्रियों को आपकी सलाह लेनी चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I would like to make a submission that half an hour be daily devoted to a general Adjournment motion, I certainly do not like certain procedures in the House of Commons but I appreciate that they devote half an hour daily to a general adjournment motion. I have repeatedly said about it. I wanted to raise a general adjournment motion this morning about the Prime Minister's oft-repeated phrase 'peace with dignity'. This phrase has been used twice earlier, once by Disralie and once by Chamberlane and on both the occasions it yielded most dangerons results.

My submission, may therefore, be accepted that half an hours time may be devoted to a general adjournment motion. You may restrict the time for speeches on it even up to three minutes.

Mr. Speaker : It is not within my powers. If the hon. Member so desires, he may give notice in the form of a resolution and the matter will come up before the House. I cannot have any objection if the house adopts the same.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I would like you to hear me because my Resolution will not yield any result unless the importance of this suggestion is appreciated by the leader of the House. I would, therefore, request you to explain to him the propriety of my suggestion.

Mr. Speaker : I cannot order the House at my own pleasure to devote half an hour daily for the purpose, if your resolution will not mean anything. I have no powers to exercise except those conferred upon me by the House in the form of Rules. And if any change is sought in the existing rules, it is not possible to make without the pleasure of the House

---

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान् मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश देना है :—

(एक) "कि लोक-सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1965, को पारित किये गये दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1965 से राज्य-सभा अपनी 17 नवम्बर, 1965, की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1965, को पास किये गये दिल्ली मोटार गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1965, से राज्य-सभा अपनी 18 नवम्बर, 1965, की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

(तीन) कि राज्य-सभा ने अपनी 18 नवम्बर, 1965, की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया कि विदेश विवाह विधेयक, 1963, को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिस में राज्य-सभा के 15 सदस्य, अर्थात् :

(1) श्रीमती वायलेट अल्वा

(2) श्री अब्दुल गनी

(3) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी थिम्मारेड्डी

(4) श्री फरीदुल हक़ अन्सारी

(5) श्रीमती बेदवती बरगोहाई

(6) श्री के० दामोदरन

(7) श्री ए० सी० गिल्बर्ट

(8) श्री जोजफ मैथेन

(9) श्री ओम मेहता

7—3 Lok Sabha/66

(10) श्रीमती मोहिन्दर कौर

(11) श्री सुन्दर मणि पटेल

(12) श्री नारायण पात्र

(13) श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

(14) श्री बाबा साहेब सावनेकर

(15) पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा

और राज्य-सभा के 15 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो सभापति करें ; और

कि यह सभा लोक सभा, से सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक

COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक
METAL CORPORATION OF INDIA (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजस्थान राज्य के जवार क्षेत्र में और इसके पास जस्ते और सीसे के निक्षेपों का लोक हित में पूर्ण सम्भव विस्तार तक समुपयोजन करने तथा उन खनिजों का ऐसी रीति से उपयोग, जिससे सामान्य भलाई हो, करने के लिये केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से दी मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह मामला काफी देर से विलम्बित चला आ रहा है। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कि जस्ते तथा सीसे के निक्षेप पाये जाते हैं। इस दुर्लभ धातु को निकालने के लिए जो अवसर मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया को दिया गया था, उससे उसने कोई लाभ नहीं उठाया है। इसके फलस्वरूप यह विधान पुरःस्थापित किया गया है।

यह कम्पनी 21 वर्ष पूर्व बनाई गई थी और तब से इसकी अवस्था में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। धन की कमी के कारण, वहां अपना काम बढ़ा नहीं सकते हैं और अब पिछले दो वर्षों से ऐसी अवस्था आ गई है कि वह पतनों में पड़ी मशीनरी को नहीं छुड़ा सकी है। श्रमिकों को दो महीने से मजूरी भी नहीं दी गई है। स्थिति इतनी विचित्र हो गई थी कि हमने यह अनुभव किया है कि इसे अपने हाथ लेने में और विलम्ब से कुछ हानि भी पहुंच सकती है।

कई मास तक बातचीत चलती रही। मंत्रि-मण्डल के सचिव ने, जिन्हें इस काम पर लगाया गया था, कम्पनी के साथ कुछ अस्थायी समझौता किया था परन्तु कम्पनी ने अन्तिम रूप से उनके द्वारा पेश की गई शर्तें नहीं मानी हैं।

यदि ऐसे समय पर जब कि जस्ते की इतनी अधिक आवश्यकता है और हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा व्यय करके इसको आयात कर रहे हैं, खाने ठीक प्रकार से कार्य न करें तो हमें उन्हें ठीक करना ही होगा। सरकार ने उसे विस्तार करने के तथा विस्तार के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन प्राप्त करने के सभी अवसर दिये। वह वित्त निगम तथा राजस्थान सरकार को देय किश्तें नहीं दे सकी।

सरकार उन्हें करोड़ों रुपये देने में असमर्थ है। जब कि वह स्वयं साम्यागत अंश पूंजी के रूप में कुछ लाख रूपये भी इकट्ठे करने में असमर्थ थे। हमने उन्हें सुझाव दिया था कि विदेशी कम्पनियों से साज-सामान तथा अन्य सहायता के लिये बातचीत करें ताकि उन के सहयोग से मैटल कारपोरेशन धातु का उत्पादन कर सके परन्तु यह भी नहीं किया जा सका।

कारपोरेशन को इस प्रकार कार्य करने देना राष्ट्रीय हित में नहीं है। इसलिए हम इसे अपने हाथ में लेने के लिये मजबूर हो गये हैं। हमने उन के साथ वही शर्तें रखी हैं, जो कि "जीवन बीमा निगम" के समक्ष रखीं थी। जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, हम उन्हें सभी मशीनरी तथा साज सामान के लिए उचित प्रतिकर देना चाहते हैं। वे चाहते है कि कोई विदेशी विशेषज्ञ आकर मूल्यांकन करे। स्वाभाविक ही है कि हम इसे नहीं मान सकते।

अलौह धातुओं पर लगाये गये मूल्य नियन्त्रण तथा वितरण नियंत्रण के विरुद्ध कम्पनी के उच्च-न्यायालय में मुकदमा दायर किया है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान में अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश के मामले में भी निगम न्यायालय तक पहुंची है। उच्च न्यायालय ने "कार्यवाही रोकने" का आदेश नहीं दिया है और अगले महीने की किसी तिथि को सुनवाई होगी।

[श्री संजीव रेड्डी]

संसद के स्थगित होने से पहिले अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित करना होगा इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम विधेयक को पारित करें। मुझे आशा है कि सदन इस के महत्व को महसूस करके इस विधेयक को पारित कर देगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मैं किसी पर सन्देह नहीं करता। इसके दो आधार है। क्या हम इस विधेयक पर चर्चा कर सकते है, जब कि उस अध्यादेश को चुनौती दे दी गयी है, जिसके आधार पर यह विधेयक आया है। मामला अदालत में है। इस पर दिसम्बर 1965 के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होगी। चुनौती देने वाली याचिका को 27 अक्टूबर, 1965 को ले लिया गया था। आपने कुछ दिन हुए इस पर कहा था कि ऐसे मामलों में विधि मंत्री का परामर्श ले लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं नियम का उल्लेख भी करना चाहता हूँ। मैं नियम 175 का उल्लेख करना चाहता हूँ जो कि पृष्ठ 73 पर है। यद्यपि यह संकल्पों के लिए है फिर भी यह विधयकों पर भी लागू हो सकता है। अतः न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर चर्चा करने पर यह रोक लगाता है। इस लिए मेरा निवेदन है कि यदि हम विधेयक पर चर्चा न करे तो कोई हानि नहीं होगी। मामला न्याया-धीन है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : माननीय मंत्री का कहना है कि उच्च न्यायालय ने अध्यादेश को रोका नहीं। हो सकता है कि यह ठीक हो परन्तु मेरा निवेदन यह है कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन आदेश याचिका के कई इस प्रकार के आधार है जिनका इस विधेयक के उपबन्धों पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये अध्यादेश की धारा 4 तथा 6 विधान मंडलों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, इस लिये तो इसे चुनौती दी गयी है।

इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य की बात है कि हमारे प्रक्रिया नियम 352 (अ) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कोई सदस्य भाषण देते समय किसी भी ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं करेगा जो कि विचा-राधीन हो। यह मामला विचाराधीन है। अतः कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्या का उल्लेख नहीं कर सकता जो विधेयक के उपबन्धों से सम्बन्धित हो। अतः मेरा कहना है कि इस समय इस विधेयक पर चर्चा करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं कही जा सकती। इसके अतिरिक्त यह अवैध भी होगा।

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं इस संदर्भ में केवल दो बाते कहना चाहता हूं। एक यह कि उत्तर प्रदेश की एक घटना को लेकर जो विवाद विधायिका और न्यायपालिका में चला था, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब एक और बिकट सी स्थिति सामने आ गयी है। इस अध्यादेश को चुनौती दी गई है। यद्यपि इस दिशा में कार्यवाही रोकने के लिए कोई आदेश नहीं जारी किया गया परन्तु 'शर्त के साथ आदेश' जारी किया गया है। और इसको विभिन्न उच्च न्यायालय भी स्वीकार करते हैं। इस मामले में तकनीकी औपचारिकताओं में न जाकर बात को स्पष्ट रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने कई बार यह निर्णय दिया है कि एक बार जब "सशर्त आदेश" जारी कर दिया जाता है, और वह आदेश सरकार तक पहुँच जाता है तो न्यायालय यह आशा करता है कि सरकार इस आदेश के विपरीत कार्यवाही करना बन्द कर दे। इसका आशय यह होता है कि यथापूर्वस्थिति को बनाये रखा जाय। मेरा निवेदन यह है कि यदि यह सभा इस विधेयक को, जिसके उपबन्धों की व्यवस्था एक ऐसे अध्यादेश में की गयी है, जिस पर कि संवैधानिक आपत्ति की गयी है, पारित कर देगी तो इसका अर्थ यह होगा कि सभा वास्तव में विधेयक के बारे में संवैधानिक स्थिति का निर्णय करना होगा। हमें इस पर दिसम्बर के प्रथम सप्ताह के बाद विचार करना चाहिए। तब तक न्यायालय इस पर अपना निर्णय दे चुका होगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी मामला ही नहीं। यह विधानमण्डलों तथा न्यायपालिका के सम्बन्धों के बारे में है। हमें इसके बीच प्रथायें तथा परम्पराओं को स्थापित करना है। इन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा मत तो यही है कि इस समय इस विधेयक पर चर्चा करना बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि हमने ऐसा किया तो यह एक अनुचित और अवैध बात होगी।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मेरा निवेदन यह है कि जहां तक विधेयक की भावना का सम्बन्ध है, यह मामला न्यायालय में है। यदि हम इस पर विचार करते है तो कठिनाइयां पैदा हो सकती है।

श्री अ० च० गुह (बारसाट) : मामला न्यायालय में हैं अत: इस पर कोई निर्णय करना उचित नहीं होगा।

श्री संजीव रेड्डी : मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक में कोई असंवैधानिक बात नहीं है। इस मामलें पर विधि मंत्रालय द्वारा जांच कराई गयी है। अध्यादेश का वहीं संवैधानिक प्रभाव है जो कि सभा द्वारा पारित विधि का है। इसके पारित होने के बाद भी, यदि उसमें कोई दोष हो तो न्यायालय इसे रद्द कर सकता है। यदि हम अध्यादेश को अधिनियम में नहीं बदलते तो 6 सप्ताह की अवधि के कारण वह व्यपगत हो जाएगा। इससे दुर्लभ धातुओं के खनन में सरकार का जो प्रभाव है, उसमें बाधा पड़ेगी।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : अध्यादेश उस समय पारित किया गया था जब संसद के दोनों सदन का सत्र चल रहा था। अत: यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। ऐसा करने का यही कारण है कि किसी व्यक्ति ने अध्यादेश की संवैधानिकता या मान्यता को न्यायालय में चुनौती दी है। मेरा कहना है कि सरकार पर अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करने के मामलें में रोक नहीं लग सकती। यदि उच्चतम न्यायालय इसे रद्द कर देता है तो निश्चय ही विधेयक भी रद्द हो जायेगा। न्यायालय ने कार्यवाही रोकने का कोई आदेश नहीं दिया। अत: सरकार को अपनी आगे की कार्यवाही को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दो तीन बातें प्रस्तुत की गयी है। एक यह कि अध्यादेश को चुनौती दी गयी है, अत: न्यायालय के फ़ैसले तक विधेयक नहीं आना चाहिए। इस बारे में स्थिति यह है कि "शर्त के साथ आदेश" सरकार को दिया गया है, हमें नहीं। यह बात स्पष्ट है कि सरकार ने इस मामले पर विचार किया है, यदि सरकार इस सम्बन्ध में और आगे कार्यवाही करना चाहती है तो हम उसे एसा करने से रोक नहीं सकते। सरकार ने उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है। यह पूर्णतया वैध है। सरकार को सप्ताह की अवधि में ही ऐसा करना है।

इस विधेयक की संवैधानिकता के बारे में भी वही बातें कही जायेगी जो कि न्यायालय में कही जानी थी। इससे हमारे विधेयक पर विचार करने और उस पर आगे कार्यवाही करने पर रोक नहीं लगती। चाहे अध्यादेश हो अथवा कोई विधि, संवैधानिकता के प्रश्न का निर्णय न्यायालयों द्वारा गुणों अथवा अवगुणों के आधार पर दिया जायेगा। उस पर यदि यहां विचार हो जाय तो यह एसी बात बिलकुल नहीं है जिससे कि न्यायालय से संघर्ष उठे। नियम 175 का उल्लेख किया गया है। उसका सम्बन्ध केवल संकल्पों से है विधेयकों से नहीं। नियम 352 (एक) के अन्तर्गत सदस्यों को ऐसे तर्क देने से कोई मनाही नहीं है जो वे देना चाहेंगे।

श्री कपूर सिंह : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो कारण प्रस्तुत किये है वे सब निराधार है। मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि विधेयक के सभी आशयों तथा प्रयोजनों से यह प्रतीत होता है कि यह एक समाजवादी विधान है। परन्तु मेरा

[श्री कपूर सिंह]

कहना है कि इसका वास्तविक प्रभाव अल्प संख्यक समुदाय के नागरिकों के नियन्त्रण में एक गैर सरकारी उद्योग को हानि पहुंचाने वाला है। अतः यह दण्डात्मक विधान है। विधेयक का वास्तविक अभिप्राय सामूहिक हित के लिए नहीं है, यद्यपि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में इसका दावा किया गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया की स्थापना 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गयी थी जब कई अलौह धातुओं का विदेशों से आयात नहीं किया जा सकता था। 1956 में इसका उत्पादन प्रतिदिन 200 टन अयस्क के स्थान पर 500 टन हो गया। अर्थात् दुगुना से अधिक हो गया है। विदेशी सहयोग तथा देश के भीतर पूँजी में वृद्धि द्वारा अग्रेतर विस्तार करने का प्रयास किया गया। 1961 में मैटल कारपोरेशन ने लगभग 2 करोड़ रूपये का नया साम्यागत वित्त प्राप्त किया। भारतीय वित्त निगम ने विदेशी मुद्रा में एक करोड़ रुपये का आस्थगित ऋण दे दिया था और इसी प्रकार 4.5 करोड़ के अग्रेतर ऋण की प्रत्याभूति दी है। इस दिशा में कम्पनी जब काफी आगे बढ़ गयी तो एक बड़ी फर्म "मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया" में रूचि लेने लगा। इस कारपोरेशन ने इस फर्म की बात नहीं मानी। फर्म के मालकों का शासक दल पर बहुत प्रभाव था। अत: उसके द्वारा दौड़ धूप की गयी, तदनुसार सरकार द्वारा "मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया" को असफल बनाने के लिए घोर कदम उठाये गये। सरकार द्वारा उन आवश्यक ऋणों को रोक दिया जिसका कि आश्वासन उन्हें दिया गया था। कई प्रकार के अवैध तथा दुर्भावनापूर्वक मूल्य नियन्त्रणों तथा आवंटनों द्वारा "मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया" की उत्पादित वस्तुओं की खुले बाजार की दर पर विक्रय की रोक लगा दी गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके अंशों के दाम बाजार में गिर गये। इस पर सरकार ने यह उचित समझा कि 1964 के बाजार दर के अनुसार इसके अंश खरीद लिए जाये।

भारतीय स्टील तथा वायर-प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने, जिनके 45 प्रतिशत अंश है। आस्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भजा है, जिसे मंत्रिमंडल सचिव ने तर्क संगत स्वीकार किया था। परन्तु इस प्रस्ताव पर अमल करने के बजाय भारत सरकार ने दुर्लभ औद्योगिक माल (नियन्त्रण) आदेश, 1965 जारी किया जिसके अनुसार मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा तैयार किये गये सीसे के सामान का मूल्य खुले बाजार के मूल्य का लगभग 25 से 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इस समवाय की उचित तथा वैध आय समाप्त करके इस द्वारा किये जाने वाले कार्य को बन्द किया गया। वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार ने अपनी कार्यकारी उदण्डता द्वारा कम्पनी के लिए सरलता से विक्रय वस्तुओं को नकद राशि में परिवर्तित करना असम्भव बना दिया तथा इससे 1954 के किये गये आवंटनों के लिए उपलब्ध होने वाले उचित देय मूल्य का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। यदि ऐसा न होता तो कम्पनी न केवल शोधक्षम ही होती परन्तु इसने अपने कार्यक्रम में विस्तार भी किया होता।

मेरे पास कागज है जिनसे पता चलता है कि अगर कम्पनी को देय राशी दे दी जाती तो वह सरकार की सहायता के बिना ही अपने विस्तार कार्यक्रम चला सकती थी।

यही कारण था कि इस गैर-सरकारी कम्पनी को विवश होकर 12 अक्तूबर, 1965 को न्यायालय में लेख याचिका भजनी पड़ी। इस लेख याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस की सुनवाई अगस्त 1965 के आरम्भ में होगी।

इन कानूनी कार्यवाहियों के कारण, न कि लोक हित के लिये, इस अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण की अन्तिम कण्डिका में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि चूकि संसद की बैठक नहीं हो रही थी इसलिये अध्यादेश के अन्तर्गत मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया को हाथ में ले लिया गया था। इसलिए उन्होंने इस अध्यादेश के स्थान पर संसद का अधिनियम बनाने का प्रस्ताव रखा।

मेरी जानकारी तो यह है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने का निर्णय मंत्री महोदय द्वारा लिया गया था और जब यह निर्णय फाइल में लिया गया था तब संसद का सत्र अभी चल रहा था। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात का अवश्य उत्तर दें।

उद्देश्यों तथा कारणों में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पक्ष में आठ विशिष्ठ कारण बतलाये गये है। (एक) ऐसा पता लगा था कि परियोजना को पूरा करने के लिये कम्पनी को 6 करोड़ रुपयों तथा एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। (दो) ऐसा पता लगा था कि कम्पनी ने बहुत से उपकरणों के लिये क्रयादेश दे दिया था। (तीन) कम्पनी ने बहुत सा ऋण ले रखा था। (चार) अधिक ऋण लेना उचित नहीं था। (पांच) कम्पनी अतिरिक्त साम्य (इक्वीटी) नहीं ले सकती थी। (छः) धन की कमी के कारण निर्माण कार्य बन्द हो गया था। (सात) पाकिस्तान की लढाई के कारण जस्ता की कमी हो गई थी और यह स्पष्ट ही था कि इस का आयात नहीं किया जा सकता। (आठ) कम्पनी अपनी सीमित योजना को भी पूरा न कर सकी।

मेरे विचार से ये जो कठिनाईयां बताई गई हैं ये सरकार द्वारा जान बूझ कर पैदा की गई थी।

मेरे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि यह सब कुछ धोकेबाजी की गई है।

म मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दें ताकि सभा को पता लग सके कि यह जो विधेयक लाया गया है वह ठीक ही लाया गया है। सब से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब कुछ ही दिनों के बाद यानी 3 नवम्बर को आगामी सत्र आरम्भ होने वाला था तो यह अध्यादेश क्यों प्रख्यापित किया गया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि इस अध्यादेश को जारी करने से पहले कमचारियों को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा था दूसरे, क्या 14 सितम्बर, 1965 के नियंत्रण से एक टन मीट्रिक सीसे अथवा जस्ते का प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये आवंटन किया गया था। यदि नहीं तो यह नियंत्रण आदेश कहा तक उचित है। तीसरे, यदि सीसा और जस्ता प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये महत्वपूर्ण हैं तो क्या ताम्बा और एल्युमिनियम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं? ताम्बा और एल्युमिनियम कम्पनियों को सरकार अपने नियंत्रण में क्यों नहीं ले रही है? चौथे, यदि जस्ते का राष्ट्रीयकरण करना लोकहित में है तो सरकार केरल में स्थापित किये जा रहे जस्ता विद्युत् विश्लेषी प्रद्रावक (जिंक इलैक्ट्रोलिटिक स्मैल्टर) को अपने नियंत्रण में क्यों नहीं ले रही है। पाचवे; क्या प्रस्तावित निगम पर पूर्णरूपसे सरकार का नियंत्रण होगा। मेरा छठा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि वह उसी मूल्य पर जस्ता बेचेगी जिस पर वह नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत मैटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को उसे बेचने के लिये कहती रही है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की दी गई सूची में दिये गये मूल्यांकन का सिद्धान्त ठीक नहीं हैं अतः मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर कुछ कहने से पहले मैं श्री कपूर सिंह के एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। वह हर चीज़ में अल्पसंख्य समुदाय की बात करते हैं। दुर्गापुर में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी . . .

श्री कपूर सिंह : थोड़ी सी गड़बड़ नहीं हुई थी। तीन आदमियों को निर्दयता से मारा गया था। क्योंकि वे अल्पसंख्य समुदाय के लोग थे इसलिये आप यह नहीं कह सकते कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। यदि आप कहते हैं कि सिखों की हत्या करना छोटी सी बात है, तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अ० चं० गुह : मेरे विचार से सिख समुदाय भारत में अल्पसंख्यक समुदाय नहीं हैं। वह हिन्दुओं का ही एक भाग हैं। सभी हिन्दु गुरु नानक और गुरु गोबिन्द सिंह को अपने गुरु समझते हैं।

अब मैं विधेयक पर आता हूं। मेरे विचार से इस विधेयक को लाने में बहुत देरी हो गई है। यह बहुत पहले लाया जाना चाहिये था। भारत में कोयला तथा अन्य धातुयें तो बहुत होती है परन्तु यहां अलौह धातुओं की कमी है। इसके अतिरिक्त सामरिक दृष्टि से इन का बहुत महत्व है। हम अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उत्पादन को पूरा करने के लिये कुछ अलौह धातुओं का होना आवश्यक होता है जो मिल नहीं पाते।

जब यह हालत है तो सरकार के लिये समस्या बन जाती है। 1955 में अलौह धातु नियंत्रण आदेश जारी किया गया था। मेरे विचार से यह आदेश अत्यावश्य पण्य अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया था। जब "अलौह धातु" की परिभाषा में जस्ता, सीसा, गन्धक आदि शामिल हैं तो यह आदेश केवल ताम्बे पर ही क्यों लागू किया गया था और अन्य इन धातुओं पर नहीं।

सरकार का वितरण का तरीका अनुचित और तर्कहीन था। मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाऊंगा परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि अलौह धातुओं के वितरण के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं रही है। मुझे आशा है कि दो महीने पहले पास किया गया दुर्लभ सामग्री नियंत्रण आदेश, 1965 प्रभावी रूप से लागू किया जाये ताकि उन धातुओं के मूल्य तथा वितरण पर वास्तविक नियंत्रण हो सके।

मुझे खेद है कि श्री संजीव रेड्डी ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय इस निगम को लेने की आवश्यकता के बहुत कम कारण बतलाये थे। उन्हें सभा को इस बारे में सरकार की नीति से अवगत करना चाहिये था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में अलौह धातुओं विशेषकर ताम्बे, सीसे और जस्ते के विकास के बारे में कुछ पता चलता है। परन्तु मुझे इस बात का पता नहीं है कि खेत्री और सिक्कम में मूल्यवान धातुओं का पता लगाने के बाद उनके अनुसन्धान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ 470 में ताम्बे के वार्षिक उत्पादन का उल्लेख किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है इंडियन मैटल कारपोरेशन के लिये ताम्बे का एक ही साधन बिहार में कहीं घटशिला में एक यूनिट है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इस सभा को बतायें कि यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त कर लिया गया है।

मैटल कारपोरेशन प्लांट की जस्ते की वार्षिक क्षमता 15,000 टन थी।

कम्पनी को जो काम सौंपा गया था वह उसे पूरा नहीं कर पाई है।

सरकार द्वारा उचित संरक्षण पाये बिना धातु निकालने का कोई मूल उद्योग 10 अथवा 15 वर्षों में सफल नहीं हो सकता। अगर सरकार ने जस्ते और सीसे के विकास का कार्य एक गैर-सरकारी कम्पनी के हाथ में छोड़ने का निर्णय किया था तो अब तक उसे आत्मनिर्भर बनाने में सरकार ने क्या सहायता की।

जब कम्पनी ने फ्रांस की एक कम्पनी को 6 करोड़ रुपये का क्रयादेश दिया था तो सरकार को यह देखना चाहिये था कि इसके वित्तीय परिणाम क्या हो सकते हैं क्योंकि कम्पनी के पास पूंजी बहुत

कम है। इसी प्रकार सरकार ने यह बात भी नहीं सोची कि इतनी कम पूंजी से कोई कम्पनी जस्ता कैसे निकाल सकेगी और देश की थोड़ी सी मांग भी पूरी कर सकेगी। सरकार इस बारे में बहुत असफल रही है।

1950 में हमारा ताम्बे का उत्पादन 3,60,000 टन था। 1964 में यह बढ़ कर 4,41,000 टन हुआ। इस प्रकार 10 वर्षों में केवल 80,000 टन की वृद्धि हुई। इसी तरह सीसे और जस्ते के उत्पादन में भी कम ही वृद्धि हुई। इस के अलावा कितने ही वर्षों तक इस कम्पनी को जापान को जस्ते का सार भेजने और उसे जस्ते की चादरों के रूप में वापस लेने की अनुमति दी गई। इस तरह से हमें विदेशी मुद्रा की काफी हानि उठानी पड़ी। ऐसा क्यों होने दिया गया और समवाय में ही पिघलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

लगभग तीन वर्षों से फ्रांसीसी सहयोग से मशीनें आ रही हैं। इनमें से कुछ मशीनें बम्बई पत्तन पर पड़ी हैं जिन पर भारी विलम्ब-शुल्क पड रहा है। इस प्रकार तीन वर्षों से जस्ता न बनाये जाने को कारण हमें प्रति वर्ष 3--4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। प्रशासन में कुछ दोष हैं। पता नहीं सरकार इस कम्पनी और इस उद्योग के विकास के प्रति इतनी उदासीन क्यों रही है। यह क्षेत्र और अन्य अलौह धातु उद्योग सरकार के नियंत्रण मे होने चाहिये और सरकार ही इनका विकास करे। यदि सरकारने यह निर्णय किया है कि इस्पाद पर सरकार का एकाधिकार होना चाहिये तो अलौह धातु उद्योग पर भी वह एकाधिकार क्यों नहीं करती।

इस समवाय को कहा गया कि वह अपना सारा उत्पादन टाटा समूह को तथा इण्डियन आयरन के निर्धारित मूल्यपर, जो भारत में चल रहे बाजार के खुले भाव से बहुत कम था, दे और समवाय ने यह आरोप लगाया है कि इस कारण समवाय को हानि हो रही है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह बुरी अर्थव्यवस्था है ; प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह गलत कदम उठाया गया। कुछ लोगों ने, जो इस कम्पनी के नहीं थे, मेरे से कहा कि बडे उद्योगपतियों के दबाव में सरकारी प्रशासन में किसीने इस कम्पनी के कार्य में ये सब बाधायें उत्पन्न कीं।

राजस्थान सरकार तथा भारतीय वित्त निगम का इस समवाय में काफी हित था। उन्होंने बार-बार सरकार से यह प्रार्थना की कि वह दो बारा मूल्य निर्धारित करे। 1962 में प्रशुल्क आयोग ने एक प्रतिवेदन दिया था। लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, 1963 में सरकार ने स्वयं जस्ता का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति स्थापित की। इस समिति ने मार्च 1964 में अपना प्रतिवेदन दे दिया लेकिन तब से अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जब बहुत कुछ गलत कार्य हो चुका है तब सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है। इस समवाय द्वारा अलौह धातुओं के उत्पादन में काफी हेरा-फेरी की गयी है, तीसरी योजना के विकास कार्यक्रम, जस्ते और सीसों के वितरण, आयात, मूल्य नियंत्रण और उत्पादन के बारे में कार्यक्रम के विकास में बाधा पहुंचायी गयी है। यदि समवाय को जस्ते और सीसे का कार्य सौंपा ही गया था तो इसको इनके विकास के लिये उचित अवसर, उचित अधिकार और समुचित सहायता दी जाती। वह राष्ट्र के हित में होता। मुझे आशा है कि अब सरकार स्थिति को समझेगी और ऐसे क्रियाकारी कदम उठायेगी जिससे इन अलौह धातुओं का उत्पादन, वितरण और मूल्य-नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से किया जा सके।

श्री दाजी (इन्दौर) : यह न तो समाजवादी विधान है और न ही राष्ट्रीयकरण का विधान है, बल्कि यह तो प्रतिशोधात्मक विधान है। इससे पता चलता है कि टाटा और बिरला किस प्रकार सरकार पर शासन चलाते हैं। इस मंत्रालय का कहना है कि यह कम्पनी अपने लाखों अथवा करोड़ों

[श्री दाजी]

रुपये के दायित्व पूरे नहीं कर सकीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने टाटा कम्पनी को दिये गये 10 करोड़ रुपये, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये 10 करोड़ रुपये तथा एक इंजीनियरी कम्पनी को दिये गये 5 करोड रुपये वापस लेने के लिये क्या किया है। आप उनके बारे में कुछ नहीं करते। यहां पर आपने अलाभप्रद स्तर पर मूल्य निर्धारित किये हैं। जैसे ही टाटा का नाम लिया जाता है, मंत्री महोदय उसको संरक्षण देने खडे हो जाते हैं। मुझे राष्ट्रीयकरण पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिये। आप इस कार्य में लगी सभी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करिये।

इस कम्पनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं का नितान्त अलाभप्रद मूल्य निश्चित किया गया। अब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि हुई तो प्रशुल्क आयोग की 6 वर्ष पुरानी सिफारिश को लागू कर दिया गया। यदि अवतारण मूल्य में $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत जोडना उचित मूल्य है तो उसे बाल बियरिंग और मोटरगाडी उद्योग पर क्यों नहीं लागू कर दिया जाता ? इसमें भेदभाव क्यों है ? इस कम मूल्य से किसको लाभ हुआ ? टाटा को और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को; सरकार के उन मित्रों को जिनको ब्याज-रहित 10 करोड रुपये का ऋण दिया गया है और अभी तक वापस नहीं लिया जा सका है। इस कम्पनी का इसलिये राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है क्यों कि इसने बिडला के सामने घुटने टेक कर उसके साथ साझेदारी नहीं की।

"ज्योलाजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया, 1962" नामक प्रकाशन में, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था, बताया गया है कि इण्डियन कापर कारपोरेशन का, जिसके स्पष्टः स्वामी बिडला हैं, तकनीकी प्रबन्ध "न्यू कान्सोलिडेटेड गोल्डफील्ड्स साउथ अफ्रीका लिमिटेड" कर रही है जो रोडेशिया के प्रधान मंत्री के बैंकर हैं।

श्री अ० चं० गुह : मैंने भी यह सुझाव दिया था कि सरकार इस कम्पनी का, जिसका लक्ष्य के अनुसार विकास नहीं हुआ है, राष्ट्रीयकरण करे।

श्री दाजी : एक और प्रायवेट कम्पनी को केरल में इजाजत दी गयी है। यह कनाडा और ब्रिटेन के सहयोग से है। पता नहीं सरकार की नीति क्या है ? आप एक को इजाजत देते हैं, इण्डियन कापर कारपोरेशन को इजाजत देते हैं और इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि यह समाजवाद है। यह समाजवाद का उपहास है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत सरकार यह कार्यवाही कर सकती है। सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी अपने देश में अलौह धातु के उद्योग के विकास के लिये कुछ नहीं किया है। अब पाकिस्तानी आक्रमण से हमारी आंख खुल गई है। अब इस विभाग ने अलौह धातुओं के विकास के लिये एक जोरदार कार्यक्रम चलाने की सोची है और यह चौथी योजना में इसके लिये 250 करोड रुपये का आवंटन करने के बारे में विचार कर रहा है। यदि यह 250 करोड रुपये की योजना पूरी भी हो जाती है तो भी चौथी योजना के अन्त तक हम अपनी आवश्यकता का 50 प्रतिशत भी कठिनाई से पूरा कर सकेंगे। इस विधेयक से उस समस्या का समाधान नहीं होता जिस समस्या के समाधान के लिये यह विधेयक पेश किया गया है।

इस कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय में दिये गये 'कार्यवाही रोको' प्रार्थनापत्र पर सरकार ने उच्च न्यायालय में वचन दिया था कि 20 अक्तूबर तक वह इस कम्पनी इकट्ठा किया गया 1100 टन माल उठा लेगी क्यों कि उसकी प्रतिरक्षा कार्यों के लिये आवश्यकता है। लेकिन 3 नवम्बर तक जरा सा भी माल नहीं उठाया गया। उच्च न्यायालय में झूठा वचन-पत्र दिया गया और उसके स्थान पर एक अध्यादेश की पुष्टि करने के लिये संसद् से कहा जा रहा है। यह कोई राष्टीयकरण और समाजवाद नहीं है। अलौह धातु के समूचे प्रश्न पर गौर किया जाना चाहिये। सरकार की यह बात नहीं

जंचती कि खानें बन्द हो रही थी और श्रमिकों को बेरोजगार किया जा रहा था और इसलिये सरकार ने कार्यवाही की। भारतीय खान ब्यूरो ने, जो एक सरकारी उपक्रम है, तीन महीने से भी अधिक समय से श्रमिकों को मजूरी नहीं दी है। मैंने लिखित रूप से मंत्री महोदय और उपमंत्री महोदय से शिकायत की थी लेकिन उनको अभी तक भी मजूरी नहीं दी गयी है। यदि खान श्रमिकों को मजूरी न दी जाय तो वह राशन कहां से लायेंगे? मैं नहीं समझता कि क्या राष्ट्रीयकृत कम्पनियां अपने श्रमिकों को नियमित रूप से मजूरी दे रही हैं।

पहले तो मूल्य में इस तरह हेराफेरी की जाती है कि कम्पनियां हिल जाती हैं; फिर उससे कहा जाता है कि किसी बडी कम्पनी के साथ साझेदारी करे और ऐसा करने से इन्कार करने पर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। हमारे देश के समुचित औद्योगिक विकास का यह तरीका नहीं है। अतः अलौह धातु उद्योग में से इस त्रुटि को दूर करना होगा। समूचे उद्योग के विकास के लिये दृढ योजना बनायी जाये। आज एक राष्ट्रीय अलौह धातु उद्योग की आवश्यकता है। अतः भारत को इस दिशा में आत्म निर्भर बनाने के लिये सरकार समूचे उद्योग को अपने हाथ में ले ले और उसका अपनी प्रतिरक्षा के लिये और विकासोन्मुख इंजीनियरी उद्योग के लिये उसका एक राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकास करे।

श्री हरीश्चन्द्र माथुर (जालौर): श्री गुह ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। अब दखना यह है कि इस निगम को अपने नियंत्रणाधीन लेना राष्ट्र हित में होगा या नहीं।

इस सरकार की बडी स्पष्ट नीति है, इसकी क्रियान्विति एक भिन्न बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि मूल उद्योग सरकारी क्षेत्र में हों। यदि इस सभा का कोई माननीय सदस्य इस खान क्षेत्र का दौरा करें तो लौटने पर वह यही सिफारिश करेगा कि इसको अपने नियंत्रण में लेना राष्ट्रहित में होगा, चाहे वह सदस्य गैर-सरकारी क्षेत्र का कितना ही समर्थक क्यों न हो। मैंने इस क्षेत्र का दो बार दौरा किया लेकिन काफी समय से वहां बडी गडबडी है। इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

सरकार ने इस परियोजना को अपने नियंत्रणाधीन लेने में बहुत विलम्ब कर दिया है। हम इस बारे में प्रश्न पूछते रहे हैं। अन्दरूनी कहानी का मुझे पता नहीं कि क्या यह बिडला गुट के हित में था कि इसका काम ऐसे ही चलने दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि इस कम्पनी को कुछ करोड रुपयों का ऋण भी दे दिया जाता तो यह कम्पनी प्रगति नहीं कर सकती थी। इस निगम तथा सरकार के बीच सरकार द्वारा इसको अपने नियंत्रणाधीन किये जाने के प्रश्न पर इतना विवाद नहीं है। वास्तव में, इस समवाय के स्वामी इसके विरुद्ध नहीं हैं। वे कुछ निश्चयात्मक शर्तें चाहते हैं और ऐसी राशियों पर कुछ लाभ तथा उनके बारे में कुछ प्रतिकर चाहते हैं जिनको सरकारी अभिकरण फिजूल समझते हैं। अतः इस बारे में कुछ लम्बी बातचीत हुई और उसका कोई फल नहीं निकाला। जब इसकी आवश्यकता और अविलम्बनीयता अनुभव की गई तो निगम को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना पडा। यदि हम ठंडे दिमाग से सोचे तो हम इससे सहमत होंगे कि सरकार ने सही कदम उठाया है। जहां तक शिकायतों और आरोपों का सम्बन्ध है, उन पर गौर किया जा सकता है लेकिन इसको अपने नियंत्रण में लेने का कार्य ठीक है। सरकार ने राष्ट्र हित में ही इस निगम को अपने हाथ में लिया है। सभा को सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन करना चाहिये क्यों कि यह कार्य राष्ट्र-हित में है।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इसमें ठीक व्यक्तियों को उपयुक्त स्थानों पर लगाया जाये और वह यह सुनिश्चित करें कि काम वास्तव में सही ढंग से चले। इसमें ऐसे व्यक्ति रखे जायें जिनको इस विषय का ज्ञान हो और जो इस कार्य को चला सकें। हम इस पर पहले ही काफी समय खो चुके हैं। मंत्री महोदय कृपया यह बताये कि इसका प्रशासन किस प्रकार देश के लिए संतोषजनक रूप से चलाया जायगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker. Sir, Indu Mills of Bombay are not paying the salaries and wages to their workers. There are 22,000 workers employed there on whom about 1 lakh persons depend. For quite a long time we have been asking for a discussion on Indu Mills affairs and that Government should take over these mills.

So long as there is controlled private sector and limited public sector of mixed economy, the country can never flourish. During the Fourth and Fifth Five Year Plans all the big industries should be nationalised. Until all the big industries are nationalised, corruption in Government departments cannot be eliminated. Besides taking our this metal corporation, I would urge the Hon. Minister, that he should take over immediately companies owned by Tata, Birla and other big capitalists. Nationalisation of a few companies will not usher in socialism. Unless restrictions are imposed on distribution of property and on income and expenditure in the private as will as public sector, nothing will be achieved. The problem cannot be solved by limited nationalisation.

Today in the name of nationalisation, bureaucracy is developing. The figures given by the hon. Minister show that there has been 3½ times increase in the number of big officers in the secretariat since 15th August, 1947. Certain restrictions should be imposed on the expenses on Government officers in public sector companies. The hon. Minister should make clear the basic policy in this respect.

श्री अल्वारिस (पंजिम) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण तो कर रही है लेकिन इससे इस बात की क्या गारंटी है कि इसके सार्वजनिक क्षेत्र में होने के बाद इससे जनता का हित होगा। यहां तक तो ठीक है कि सरकार ने इस देश में अलौह धातुओं के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण करने की नीति का सुत्रपात किया है ताकि यह धातु उन उद्योगों को मिल सके जिनको इसकी अधिक आवश्यकता है। लेकिन इस समय आवश्यकता उस तरीके पर विचार करने की है जिस पर इस कम्पनी में शुरू से घोटाला हुआ। विधेयक में यह व्यवस्था है कि क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न एक न्यायाधिकरण को सौंपा जायगा। सरकार क्षतिपूर्ति बाजार भाव पर देगी। बाजार भाव कम्पनी के कार्यकरण पर निर्धारित किया जायगा। इसके कार्य के बारे में कौन जिम्मेवार है ? प्रशुल्क आयोग ने जस्ता और सीसे की बिक्री के लिये एक निश्चित दर की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके मूल्य में इतनी कमी कर दी कि एक ही वस्तु पर निगम को तीन करोड रुपये की हानि हुई। इतना ही नहीं, सरकार ने इण्डियन वायर एण्ड स्टील प्राडक्स कम्पनी के शेयर खरीद कर इस पर नियंत्रण करने की सोची। इस कम्पनी में 45 प्रतिशत शेयर मैटेल कारपोरेशन आफ इण्डिया के थे फिर सरकार ने बाकी 55 प्रतिशत शेयर न खरीद कर इस कम्पनी को खरीदने की क्यों सोची ? एक ओर तो सरकार यह मानती है कि देश में एकाधिकारवाद का विकास हो रहा है और दूसरी ओर वे एक एकाधिकार संस्था को खरीद रही है जिसका मेटल कारपोरेशन आफ इण्डिया में एकाधिपत्य है और इस प्रकार देश में एकाधिकार प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रही है। यदि सरकार बाकी 55 प्रतिशत शेयर बाजार में खरीदती तो मामला आसान होता।

यह कम्पनी कई वर्षों से चल रही है। इसको भारत के औद्योगिक वित्त निगम ने काफी ऋण दिया है। फिर भी इस समवाय ने अभी तक कोई प्रगति नहीं की है। यदि समवाय विधि प्रशासन जरा सतर्क होता तो वर्तमान स्थिति कभी भी उत्पन्न न होती। सरकार ने भी इस कम्पनी की पूंजी बढाये जाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार 5–6 वर्षों से क्या करती रही जब कि इस कम्पनी को दो महत्वपूर्ण धातुओं के उत्पादन का काम सौंपा गया था जिनकी प्रतिरक्षा के लिये और देश के औद्योगिक विकास के लिये आवश्यकता थी। इससे पहले कि हम इस विधेयक का समर्थन करें, हमें इन बातों का उत्तर मिलना चाहिये। यदि समवाय विधि प्रशासन ने, यदि केन्द्रीय सरकार ने

प्रतिनिधियों ने और यदि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने इस कम्पनी की प्रगति में जरा भी रुचि ली होती तो वर्तमान स्थिति को टाला जा सकता था। वास्तव में इस कम्पनी के कार्य के बारे में कई प्रकार से राजनीतिक दबाव डाले गये हैं। अतः इस स्थिति के लिये अंशतः भारत सरकार जिम्मेवार है।

यदि समवाय के मामलों पर सरकार अपना नियन्त्रण रख सके, तो अंशमूल्य के नीचे ऊपर होने का दायित्व भी उसे लेना चाहिए। इस लिए यह आशा की जा सकती है कि वह उन साम्य अंशदारों को उनकी प्रदत्त पूँजी का पूरा भुगतान कर देगी। इस का कारण यह है कि समवाय की अर्थ क्षमता को बनाये रखना, अंशपूजी को जारी करने, उत्पादन तथा मूल्य निश्चित करने, इन सब बातों का मुख्यतः उत्तरदायित्व तो सरकार पर ही था। मेरे विचार में एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग स्थापना न केवल यह पता लगाने के लिए ही जरूरी नहीं कि भविष्य का क्या कार्यक्रम रहता है। वह इसलिए भी जरूरी है कि इस बात की जांच की जाय कि समवाय की आज की स्थिति के लिए उत्तरदायित्व किस का है। समवाय में अव्यवस्था के लिए कम्पनी के कर्मचारी, राजस्थान के कर्मचारी, भारत सरकार, अथवा भारतीय वित्तनिगम, आखिर किस का दोष है।

Shri H. C. Soy (Singhbhum) **:** I am a supporter of the nationalization of key industries. I appreciate that in the interest of the country certain Industries are being nationalized, I support the view put forward by certain honourable members that nationalization should be done whenever it is in the interest of the country. This company has taken over by the Government because it had taken several loan for it. It has not been able to return the loan and now a days involved in a serious financial crisis. There are a number of Companies which have defaulted in the payment of debts and interest thereon to the Government. It is the duty of the Government to deal with them properly. Before advancing any money to anybody in any shape, Government should examine every aspect of thing. This should also be judged whether the company will be able to repay the advanced money or not.

We are hearing the talk of I.C.C. I fully support this demand of nationalizing this corporation. I am of the opinion that in the interest of the company the I.C.C. should have been nationalised long before. Let me also state that the procedure relating to grant of leave in regard to lime stone in Bihar should be reconsidered. I am also urge upon the Government that the application for the grant of leave should not be rejected till it have been considered by the Government. As you are proceeding towards nationalisation in the interest of the country.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं दो तीन बातों के कारण इस विधेयक का विरोध करता हूं। जब विधेयक का पुरःस्थापन हुआ था उस समय भी मैंने इस सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न प्रस्तुत किया था। यह विधेयक इस बात की याद दिलाता है कि अध्यादेश एक ऐसे समय पर लागू किया गया जब कि इस बात का पूरा पता था कि लोक सभा का सत्र 3 नवम्बर 1965 को होने वाला है। यह बहुत बड़ा पाप है। कानपुर में बड़ी बड़ी मिलों ने कर्मचारियों को तीन तीन चार चार महीने से मजूरी नहीं दी। परन्तु कोई जांच नहीं की गयी। म्युर मिल को 40 लाख सरकार द्वारा दिये जाने के आश्वासन के बाद भी मिल को चालू नहीं किया गया। मैं राष्ट्रीयकरण का पक्षपोषक हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता परन्तु मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मेरा निवेदन है कि यह बहुत अच्छी बात होती यदि सरकार सभी अलौह धातु उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय करती। मैं इस प्रकार के निर्णय का स्वागत करता और मंत्री महोदय को बधाई देता।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि इस मैटल कारपोरेशन के हलात खराब थे, तो सरकार को इससे बहुत पहले कार्यवाही करनी चाहिए थी। सरकार बात चीत ही क्यों करती रहीं ? राजस्थान के मुख्य मंत्री तथा समवाय महानिदेशक को आश्वासन किस आधार पर दिये गये थे ? उन्हें कहा गया था कि समवाय की आर्थिक स्थिति ठीक हो जायेगी और सरकार इसके लिए अपेक्षित सहायता देगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह सब क्या है। जिस्त तथा सुरमें के बारे में मेरा निवेदन है कि इसकी प्रतिरक्षा के कामों में बहुत आवश्यकता है। इस के बारे में 1965 के नियन्त्रण लागू होने के बाद की स्थिति क्या है। क्या यह ठीक है कि 1965 में जब नियन्त्रण आदेश लागू किया गया तो उसके बाद से जिस्त और सुरमा किसी मात्रा में प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है। यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि क्या सरकार एक नया निगम बना रही है। और उस निगम का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान में बनाया जा रहा है ? यदि यह ठीक है तो फिर प्रश्न यह है कि इस निगम की रचना का आधार क्या होगा ?

राष्ट्र के हित की दृष्टि से हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि देश में अलौह धातुओं की कच्ची मात्रा उपलब्ध नहीं है तो यह बहुत अच्छा समय है कि अलौह धातुओं का निर्माण करने वाली सभी परियोजनाओं का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। केवल इस कम्पनी का ही विशेष रूप से राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाय। मेरा यह भी आग्रह है कि इस बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री तथा माननीय मंत्री के मध्य जो पत्र व्यवहार हुआ है, उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जानी चाहिए। यह पत्र व्यवहार तो अधिक गोपनीय नहीं है। सिद्धान्त रूप में राष्ट्रीयकरण अच्छी बात है परन्तु यह लोगों की सहायता करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। उसके समक्ष यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि एक अन्य निगम की स्थापना की जाय। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, मुझे इस बारे में गलत नहीं समझा जाना चाहिए।

Shri Yadhvir Singh (Mahendragarh) : We are discussing the nationalisation of Metal Corporation. Many honourable members have approved it and many have supported the motion and expressed their views. But in this connection the most important thing is, the charges put forward by Shri Homi Daji regarding this nationalisation. I want to urge upon the Minister that he should clarify the position in this direction. There are serious charges.

It has not been stated in the statement of objections and reasons of the Bill that this metal corporation is being nationalised because the items manufactured by it are needed for the defence purposes. In my opinion the Government have done well to acquire the company if it is not being run properly or it is financially not found. It is within the right of the Government to do so in all such cases. But I would like to state this also that Government should control other metals together with this specially those which are important from the point of view of defence.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिबसागर) : मैं सरकारी क्षेत्र के प्रगतिशील विस्तार का समर्थक हूं। किसी उपक्रम को सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करना और बात है और गैरसरकारी दल रहे उपक्रम को अर्जित कर लेना दूसरी बात है। हमारे सरकारी क्षेत्र की काफी आलोचना की जाती है। हमने इस दिशा में 1780 करोड़ रूपये की पूंजी लगा रखी है और इससे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रूपये का लाभ मिल रहा है। सरकारी उपक्रम समिति ने भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र का खर्च बहुत अधिक है। हमने इस बात की जांच करनी है कि सामान्यतः सरकार अर्जित करने के मामले में किस प्रकार और मैटल कारपोरेशन के साथ किस प्रकार व्यवहार किया है।

आमतौर पर तीन कारणों के लिए सरकार किसी उपक्रम को अपने हाथ में लेती है। पहला यह कि वहां अव्यवस्था हो। दूसरा कम्पनी ठीक ढंग से कोई लाभ न दे रही हो और मजदूरों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा न कर सके। यह भी एक कारण हो सकता है कि कम्पनी का उत्पादन सुनिश्चित न हो सके और वह अपेक्षित पुंजी को जुटाने में असफल रहे। मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री ने सभा के समक्ष अव्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसमें उद्देश्यों और कारणों को बताते हुए भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। स्थिति यह है कि कम्पनी में अभी उत्पादन होना शुरू ही नहीं हुआ है। इसलिए मेरा कहना है कि इस स्थिति में मुनाफाखोरी का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। मेरा यह भी विचार है कि ऋण के बराबर राशि में साम्य पुंजी एकत्रित करने में जो असफलता प्राप्त हुई है उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस उद्योग की प्राथमिकता का ध्यान रखते हुए सरकार को इस कम्पनी को ऋण देना चाहिए था जो कि सरल किश्तों में अदा किया जाता। सरकार ने ऐसा ऋण टिस्को और आइस्को को भी दिया है। मेरा विचार यह है कि यदि सरकार ने 1963 और 1964 में इस उपक्रम को ऋण दे दिया होता तो अब तक कभी का उत्पादन आरंभ हो जाता। और जो भी हानि आज कम्पनी को उठानी पड़ी है वह न उठानी पड़ती।

इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं निदेशक बोर्ड में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहियें। बोर्ड में सरकारी व्यक्ति 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये। बोर्ड का सभापति गैर-सरकारी विशेषज्ञ होना चाहिये। अधिक कर्मचारी नहीं रखे जाने चाहियें। जिम्मेवारी निश्चित की जानी चाहिये। प्रबन्धक कर्मचारियों को अंशधारियों के रूप में सम्बन्धित किया जाना चाहिये और उन्हें निदेशकों के पत्रों का कुछ अंश देना चाहिये ताकि कार्यकुशलता को प्रोत्साहन मिल सके।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं अपना अनुभव सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। हमें यह भूभौतिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों को अपने अपने संगठित खनन और भूतत्वीय विभाग है। जम्मू और काश्मीर राज्य में अलौह धातुओं के बारे में इस प्रकार का कार्य 1960–61 से हो रहा है। क्या देश में जिन भागों में इन धातुओं के उपलब्ध होने की सम्भावना है उनका सविस्तर विश्लेषण किया गया है। क्या वह उपलब्धि भविष्य के विकास में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है कि यह धातूएँ काफी मात्रा में उपलब्ध हो।

सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अलोह धातुओं के अभाव के कारण तथा जो कुछ उपलब्ध है, उसके उचित वितरण न होने के कारण उद्योग को जो बहुत हानि हो रही है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। सरकार को यह बात बहुत पहले सोचनी चाहिये कि वह किस प्रकार के उद्योग सरकारी क्षेत्रों में स्थापित करना चाहती है। इस दिशा में काफी उपेक्षा की गयी है।

अलौह धातु उद्योग आरम्भ से ही सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिये था। सरकार ने ऐसा नहीं किया और उस उद्योग के लिए गैर-सरकारी कारपोरेशन स्थापित कर दी। ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो गया है कि इस सम्बन्ध में उचित रीति से कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री महोदय को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

लद्दाख में गंधक काफी उपलब्ध है। अब समय आ गया है कि सविस्तार सर्वेक्षण किये जायें और परिणाम बताये जायें। सरकार जो मेटल कारपोरेशन स्थापित कर रही है, उसे उचित रूप से कार्य करना चाहिये।

श्री शिकरे (मरमागोआ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से सम्बन्ध सभी महत्वपूर्व तथा आवश्यक बातें कही जा चुकी हैं। मैं केवल एक-दो बातें रखूँगा। इससे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं पूरी तरह सरकार के साथ हूं क्योंकि मैं सिद्धान्त रूप से प्रमुख और मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक हम देश में राष्ट्रीय हितकी भावना से पूर्ण अधिकारी-तंत्र नहीं बना पाते तब तक मूल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना व्यर्थ बात है और देश का कल्याण नहीं हो सकता।

जहां तक मुझे मालूम है इस निगम ने 1962 अथवा 1964 में सरकार से इसे अपने अधिकार में ले लेने के लिए अनुरोध किया था, और 1963 में सरकार इसके लिए सिद्धान्त रूप में सहमत भी हो गई थी क्योंकि उस समय इसे ऐसी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जो यह अपने प्रयासों से दूर नहीं कर सकता था। मुझे आश्चर्य होता है कि फिर इसमें इतने वर्ष क्यों लगे। इस सम्बन्ध में बहुत गंभीर आरोप लगाये गये हैं। सरकार ने स्वयं माना है कि इस विलम्ब के कारण 9 करोड़ रूपय की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है। उस समय इसकी पूंजी लगभग 6 करोड़ रुपये होती जबकि अब इसके 20 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। इसका उचित स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि इस विलम्ब और उससे होने वाली हानि के लिए कौन उत्तरदायी है।

मेरे विचार में विधेयक के एक-दो उपबन्धों को और स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। विधेयक की अनुसूची की कंडिका 2 में भूमि और इमारत के लिए प्रतिकर बाजार भाव के आधार पर दिया जायेगा। मेरे विचार से यह तरीका ठीक नहीं है। इससे सरकार को भारी हानि हो सकती है। इस देश में यह हमारा आम अनुभव है कि सरकारी उपक्रमों के पास की भूमि का भाव बढ़ जाता है। गोआ में ही स्वाधीनता के बाद भूमि का मूल्य पांच-छः गुना हो गया है। और स्थानों पर भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए कोई अन्य उचित तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष को हानि न हो। केवल राष्ट्रीयकरण के नाम के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस ओर ध्यान देना चाहिए। लोगों को इस निगम के बारे में पहले की तरह अनुभव न हो और वह यह न कहें कि यह क्या समाजवाद है यह तो राज्य का सामान्य पुँजीवाद है।

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this Bill whole heartedly. I feel that this is a belated step. In fact, this step should have been taken long ago. We all know it well that not only our country but the entire British empire had to depend on Burma for meeting its requirements of copper, zinc and lead. During the second World War when Burma was occupied by the Japanese, Britain for the first time thought of taking our Zawar Mines. Certain steps were taken in this direction but with the reoccupation of Burma by Britain the scheme was given up. After independence this company should have been immediately taken over by Government, which had no adequate funds at its disposal.

Just now my hon. friend Shri Saraf had said that a major small scale industry, *viz.* the copper and brassware manufacturing industry is dependent on zinc and copper. The copper ware manufacturers of Indore, Ujjain and Ratlam in Madhya Pradesh have all along been trying for adequate supplies of zinc and copper. As a result of non-availability of the basic raw material these factories are working to half of their capacity. Then, the quota of non-ferrous metals for Madhya Pradesh is very much inadequate in comparison to other states. I want to draw your attention to this injustice. Next, I will like to point out that our past experience regarding the working of public sector undertakings is not very encouraging. The administration of public industries, particularly those engaged in defence production, should be run efficiently. The heavy Electricals, Bhopal have suffered a loss of Rs. 25 crores so far. The performance of Machine Tools industry has been appreciable, which should be followed in other industries.

श्री संजीव रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उन्होंने अत्यन्त उपयोगी सुझाव दिये हैं। लेकिन श्री दाजी का भाषण आवेगपूर्ण था और उसमें तथ्य की बात बहुत कम थी। उन्होंने मंत्रिमंडल के सचिव तथा एक अन्य सचिव के विरुद्ध निराधार आरोप लगाये हैं; दूसरा हर आदमी टाटा और बिड़ला का एजेन्ट है और वह स्वयं केवल इस के एजेन्ट हैं। साथ में ऐसे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। यदि इन आरोपों में कोई सच्चाई होती तो वे निश्चय ही प्रधान मंत्री के पास जा सकते थे और प्रधान मंत्री निश्चय ही उन्हें मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में नहीं रखते यदि लेशमात्र भी सच्चाई होती। उन्होंने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया लेकिन हम उनके जैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

सरकार और मैं स्वयं भी इस उद्योग को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे। लाचार होकर ही हमें ऐसा करना पड़ा है। वित्त मंत्री के कमरे में इस उद्योगपति की सहायता करने के उपायों पर विचार करने के लिए एक बड़ी बैठक हुई थी। उसने भारतीय वित्त निगम से 1 करोड़ रुपया ले रखा है और भारतीय वित्त निगम ने 4,25,00,000 रुपये की गारन्टी दे रखी है। उसके द्वारा लिये गये ऋणों आदि की सूची देखने पर पता चलेगा कि अब 106 करोड़ रुपया चाहिये। मुझे इन सज्जन से जो "मैटल कारपोरेशन" के प्रबन्ध निदेशक हैं, कोई मतलब नहीं है। देश में अलौह धातुओं की कमी है। देश में जस्ता बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता है। हम दूसरे देशों से सार (कंसैनट्रेट्स) आयात करके देश में पिघलाना चाहते हैं ताकि 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। देश में उत्पादन केवल 18,000 टन है। चादरें तथा पाईप बनाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। जस्ते की बाल्टियां भी बनाई जा सकती हैं लेकिन हमारी स्थिति एसी नहीं है कि इस बहुमूल्य वस्तु को बाल्टियों के लिए प्रयोग करें। इसे हम केवल औद्योगिक तथा प्रतिरक्षा कार्यों के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। टाटा समूह को यह लाभ कमाने के लिये नहीं बल्कि इसलिए दी जाती है कि वे इससे प्रतिरक्षा के लिए चादरें और पाइप बनाकर सरकार को देते हैं। राज्यों की 10 प्रतिशत मांग भी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि 90 प्रतिशत चादरें प्रतिरक्षा कार्यों के काम आती हैं। सार का आयात करके यहां पिघलाने के बाद भी लगभग 40–50 हजार टन का आयात करना पड़ेगा।

रूस और अमरीका की तकनीकी सहायता से देश में विमानों द्वारा सर्वेक्षण कराने के लिए हमने कार्यवाही की है। यदि इन सर्वेक्षणों से किसी क्षेत्र में जस्ता अयस्क के मिलने की संभावना हुई तो हमें इसकी मात्रा तथा लाभ-हानि का पता लगाने के लिए वेधन (बोरिंग) करना पड़ेगा। यदि यह सफल सिद्ध हुआ तो हम बाद में खनन और धातु पिघलाने का कार्य आरम्भ-कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इसमें कुछ वर्ष और लगेंगे। मैं समझता हूं कि ऐल्यूमिनियम के बारे में हम कुछ महीने में ही आत्म-निर्भर हो जायेंगे क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त हम सरकारी क्षेत्र में भी दो बड़ी परियोजनायें अर्थात् कोयना और कोबी आरम्भ कर रहे हैं। लेकिन कुछ वर्षों तक जस्ता, सीसा और ताम्बे की कमी बनी रहेगी। चौथी अथवा पांचवी योजना में इस कठिनाई को किसी न किसी प्रकार दूर करने के लिए कार्यवाही की जायेगी। योजना आयोग और वित्त मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि अलौह धातुओं के उत्पादन के लिए धन की कमी नहीं होगी।

श्री दाजी ने एक अन्य आरोप लगाया था कि भारतीय तांबा निगम में रोडेशिया की पूंजी लगी हुई और विश्व के निकम्मे आदमी इस कम्पनी में हैं। लेकिन सच यह है कि इसमें 97 प्रतिशत शेयर भारतीय हैं। इस कम्पनी के परामर्शदाता कंसालिटेड गोल्डफील्डस साऊथ अफ्रीका लिमिटेड नहीं बल्कि कुछ ब्रिटिश परामर्शदाता हैं।

श्री दाजी : मैंने 1964 में प्रकाशित "ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया" में पढ़ा है, जो एक सरकारी प्रकाशन है।

श्री संजीव रेड्डी : मैं ठीक जानकारी दे रहा हूं । रोडेशिया और दाक्षिण अफ्रीका के लोगों को, जिनकी विश्व भर ने निन्दा की है, इस देश में कोई भाग नहीं लेने दिया जा सकता है । श्री दाजी ने आगे कहा कि इस कम्पनी ने बिड़ला समूह को शेयर देने से इन्कार कर दिया था इसलिये इसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है । यह बात मैं पहली बार सुन रहा हूं । न तो बिड़ला समूह ने ही इस कम्पनी में शेयर मांगे थे और न ही किसी और ने इस कम्पनी से ऐसा प्रस्ताव किया था । बिड़ला समूह ने खत्री ताम्बा परियोजना आरम्भ की थी लेकिन जब हमने देखा कि यह ठीक काम नहीं कर रही है तो सरकार ने उसे अपने हाथ में ले लिया । गैर-सरकारी क्षेत्रमें कुछ कम्पनियां संतोषजनक ढंग से ऐल्यूमीनियम का उत्पादन कर रही हैं । हम उनको लेना नहीं चाहते । सरकार की नीति स्पष्ट रूप में मिलिजुली अर्थव्यवस्था के लिए है । हमारे पास जो थोड़ी सी पूंजी हम उसे नई परियोजनाओं में लगाते हैं ताकि देश आत्म-निर्भर हो सके । ऐल्यूमीनियम के बारे में हमें आशा है कि आने वाले चार अथवा पांच वर्षों में हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि यदि संभव हो तो यह अन्य धातुओं के स्थान पर भी काम आने लगे ।

श्री गुह ने कहा कि मूल्य पर नियंत्रण क्यों किया गया । यदि नियंत्रण न रुक जाये तो जस्ता, जस्ते की चादरों के काम न आकर बाल्टियों आदि के काम आयेगा । जब किसी माल का इतना अभाव हो तो खुला मूल्य रखना देश के लिए हानिकारक होगा और प्रतिरक्षा उत्पादन संभव नहीं हो सकेगा । प्रशुल्क आयोग ने सभी बातों पर विचार करके एक विशेष मूल्य निर्धारित किया और हमने उसमें एक रुपये की भी कमी नहीं की । सीसे के मूल्य पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो वह 4,000 रुपये प्रति टन बिका जबकि आयात मूल्य लगभग 1200 रुपये था । यदि जस्ते के बारे में ऐसा किया जाये तो प्रतिरक्षा उद्योगों को हानि होगी ।

श्री कपूर सिंह : जब सरकार इस वस्तु का स्वयं उत्पादन करेगी क्या तब भी मूल्य इस स्तर पर नियंत्रित रखेगी ।

श्री संजीव रेड्डी : अवश्य ही । अभी हमने उत्पादन आरम्भ नहीं किया है । 18,000 टन से हमारे समस्या हल नहीं होने जा रही है, हमें 1,50,000 टन उत्पादन करना होगा । हमारी मंशा इस कम्पनी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है । हम किसी कम्पनी को इसलिए हाथ में नहीं लेना चाहते कि इससे सिखों अथवा अन्य किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी । श्री कपूर सिंह को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए । इससे देश की विभिन्न जातियों में संगठन-शक्ति नहीं आयेगी । इसके प्रबन्ध के लिए हम एक पृथक निगम बनाने की बात सोच रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास पहले ही बहुत काम है । इस समय हम संकट से गुजर रहे हैं । प्रतिरक्षा उद्योगों के लिए अलौह धातुओं का बहुत महत्व रहेगा । इसलिए हम अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं । इसके लिए मैं सबसे सहयोग करने की अपील करता हूं और उनके सहयोग से मैं भरसक प्रयत्न करूंगा । श्री शिंकरे ने प्रतिकर के बारे में कहा तो भूमि के मूल्य का अनुमान करने आदि के लिये एक न्यायाधीश निर्णय करेंगे । उचित प्रतिकर दिया जायेगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : क्या प्रतिकर निश्चित करते समय इस कम्पनी द्वारा दस वर्षों तक विलम्ब करने के कारण देश को होने वाली हानि को भी ध्यान में रखने के लिए कहा जायेगा । इस हानि को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या सरकार यह मानने को तैयार है कि इस कम्पनी को अपने हाथ में लेने में विलम्ब के लिए वास्तव में सरकार उत्तरदायी है क्योंकि 1960 में स्पष्ट हो गया था यह कम्पनी अपने आप जस्ता पिघलाने का कार्य नहीं कर सकती है । मोटे तौर पर इससे सरकार को 9 करोड़ रुपये की विदशी मुद्रा का घाटा हुआ है । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मूल्य संबंधी अधिसूचना पर आपत्ति तथा अध्यादेश के बारे में न्यायालय में चल रही कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री संजीव रेड्डी : दिसम्बर के पहले सप्ताह में इसकी सुनवाई होगी। यह मैं मानता कि शर्तें तय करने और बातचीत के कारण कुछ विलम्ब हुआ है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : विलम्ब के बारे में इस स्पष्टीकरण से दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मूल्यांकन के बारे में अनुसूची से पता चलता है कि अगोचर परिसंपत्ति के लिये कुछ भी नहीं देना है। कम्पनी को चालू रखने के लिये रुपया उधार लिया गया और उसका अपव्यय होता रहा और घाटा बढ़ता रहा। आयकर दरों के अनुसार मूल लागत में से मूल्य-ह्रास निकालकर मूल्य-ह्रास होने वाली परिसम्पति का मूल्यांकन करना ठीक नहीं है जबकि विलम्ब के लिए सरकार उत्तरदायी है।

श्री संजीव रेड्डी : मुझे और कुछ नहीं कहना है। आखिरकार प्रतिकर उसी ढंग से दिया जायेगा जैसा जीवन बीमा निगम बनाते समय लिये गये बीमा समवायों के मामले में तथा अन्य निगमों को लेते समय किया गया था। विलम्ब का कारण यह नहीं था कि सरकार इस समवाय को पहले लेना नहीं चाहती थी बल्कि विलम्ब इसलिए हुआ कि बातचीत समाप्त होने को नहीं जा रही थी और अन्त में सरकार को बाध्य होकर यह निर्णय करना पड़ा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि राजस्थान राज्य के ज़वार क्षेत्र में और उसके आसपास जस्ते और सीसे के निक्षेपों का लोक हित में पूर्ण संभव विस्तार तक समुपयोजन करने तथा उन खनिजों का ऐसी रीति से उपयोग, जिससे सामान्य भलाई हो, करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से दी मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 17 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 से 17 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 2 to 17, and the Schedule were added to the Bill.*

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clause 1, The Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.*

श्री संजीव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

एकस्व विधेयक

PATENTS BILL

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजिनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"एकस्व संबंधी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात्:— श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव, सेठ अचल सिंह, श्री पीटर अल्वारेस, श्री रामचंद्र विठ्ठल बड़े, श्री पन्ना लाल बारुपाल, श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री विभूति मिश्र, श्री प्र०चं० बरुआ, सरदार दलजीत सिंह, श्री बसन्त कुमार दास, श्री व० बा० गांधी, श्री एच० के० वी० गौड, श्री काशी राम गुप्त, श्री प्रभु दयाल हिम्मतसिंहका, श्री माधवराव लक्ष्मणराव जाधव, श्री मैथ्यू मणियंगाडन, श्री मी० रु० मसानी, श्री ब्रज बिहारी महरोत्रा, श्री विभुधेंद्र मिश्र, श्री छोटू भाई पटेल, श्री नवल प्रभाकर, श्री रामनाथं चेट्टियार, श्री श्यामलाल सर्राफ, श्री अ० त्री० शर्मा, डा० चं० भा० सिंह, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री पदेकन्टि वैकटासुब्बया, श्री कृ० क० वैरियर, श्री बालकृष्ण वासनिक और श्री राम सेवक यादव और राज्य-सभा के 15 सदस्य हो ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

आविष्कार का संरक्षण करने के लिये सबसे पहले 1856 में कानून बनाया गया था।

उस कानून को बने आज कोई 100 वर्ष हो चुके हैं। उसमें कई परिवर्तन किये गये हैं ताकि वह ब्रिटेन के कानून जैसा बन सके। वर्तमान एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम 1911 में बना था। इस अधिनियम में भी बहुत से संशोधन किये गये हैं। अन्तिम संशोधन 1953 में किया गया था। एकस्व पद्धति का उद्देश्य यह है कि अनुसन्धान और आविष्कार को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि आविष्कार करने वाले कुछ समय के लिये अपने आविष्कार के एकाधिपत्य से कुछ लाभ उठा सकें। यूरोप के देशों में भी ऐसी प्रथा रही है कि आविष्कर्ता अपने आविष्कार को गोपनीय रखता था और उसे अपने लड़कों को ही बताता था जिससे वे ही उसका लाभ उठा सकें। एकस्व कानून में यह एक सुधार हुआ है कि आविष्कर्त्ता को अपने आविष्कार का विशिष्ट विवरण जनता को बताना होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रगतिशील औद्योगिक देशों में एकस्व पद्धति से उद्योग विकसित ही हुए हैं परन्तु उद्योगों में पिछड़े देशों में इससे लाभ नहीं हुआ है। भारत में भी एकस्व पद्धति से देश के उद्योगों की प्रगति के लिये आविष्कारों में कोई तेजी नहीं आई है। कुछ लोगों का तो यह मत है कि इससे लाभ के स्थान पर हानि हुई है।

इस विचार के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि एकस्व पद्धति से भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास इस लिये नहीं हो पाया है क्योंकि यहां के एकस्व प्राप्त करने वाले गैर-भारतीय थे जो उनका प्रयोग भारत में नहीं करते थे।

स्वाधीनता मिलने के बाद 1948 में एक समिति बनाई गई जिस का काम यह देखना था कि एकस्व पद्धति से उद्योगों का विकास कैसे किया जा सकता है। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1950 में प्रस्तुत किया। उसी के आधार पर एकस्व विधेयक, 1953 में पुर:स्थापित किया गया था। अभी यह विधेयक पास नहीं हुआ था कि यह समझा गया कि इसमें और संशोधन किये जायेंगे। इसलिये इसे वहीं छोड़ दिया गया।

फिर 1957 में भारत सरकार ने श्री राजागोपाला आयंगार से, जो उस समय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, कहा कि वह एकस्व पद्धति के सभी पहलुओं पर विचार करें और सरकार को बताये कि इस कानून में क्या क्या परिवर्तन किये जाने चाहिये जिससे एकस्व पद्धति का देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। श्री आयंगर ने अपना प्रतिवेदन 1959 में प्रस्तुत किया। उनके प्रतिवेदन का एकस्व कानून में बहुत महत्व है। एकस्व पद्धति के गुणदोषों को देखते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अल्प-विकसित देशों में इस पद्धति के बिना अधिक सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि यह पद्धति रूस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड और यूगोस्लाविया जैसे देशों में भी है।

उन्होंने कहा कि आविष्कर्त्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिये एकस्व पद्धति का होना नितान्त आवश्यक है। इसलिये उन्होंने सिफारिश की कि यह पद्धति ऐसे ही रहनी चाहिये परन्तु इसमें कुछ सुधार किये जाने चाहिये। सुधार करने के लिये उन्होंने पांच सिद्धान्त बताये। विचाराधीन संशोधन विधेयक में इन पांचों सिद्धान्तों को शामिल किया गया है। सरकार ने इस विषय में रूचि लेने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को भी ध्यान में रखा है।

सरकार ने श्री आयंगर की इस सिफारिश को मान लिया है कि वर्तमान एकस्व और रूपांकन अधिनियम के एकस्व सम्बन्धी नियमों का निरसन कर दिया जाये और उस के स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया जाये जिसका सम्बन्ध केवल एकस्वों से ही हो। वर्तमान अधिनियम में रूपांकन सम्बन्धी उपबन्ध रहेंगे। उनके बारे में पृथक विचार किया जा रहा है और बाद में संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

अब मैं विधेयक की महत्वपूर्ण बातों को लूंगा। विधेयक में ऐसे आविष्कारों को संहिताबद्ध किया गया है जिनका एकस्व नहीं कराया जा सकता। विधेयक में कहा गया है कि ऐसे आविष्कारों का, जिनका प्रयोग करने से कानून भंग होता है या जिनका प्रयोग करने से लोक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है, एकस्व नहीं कराया जा सकता। वैज्ञानिक सिद्धान्तों के कृषि अथवा उद्यान विज्ञान के तरीकों, डाक्टरी, शल्यचिकित्सा सम्बन्धी उपचार आदि के आविष्कार का भी एकस्व नहीं कराया जा सकता। परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी आविष्कार का भी एकस्व नहीं कराया जा सकता।

विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि रासायनिक उत्पादों के आविष्कारों का एकस्व नहीं कराया जा सकेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण नया उपबन्ध है।

दूसरा महत्वपूर्ण उपबन्ध अनिवार्य लाइसेंस के बारे में है। जिन कारणों से अनिवार्य लाइसेंस के लिये कहा जा सकता है उनके सम्बन्ध में वर्तमान अधिनियम में जो उपबन्ध किये गये हैं उनसे देश में नये उद्योग आरम्भ करने के लिये बढ़ावा नहीं मिल सकता है। परन्तु विधेयक का उद्देश्य उनको कई तरीकों से बढ़ावा देने का है।

जैसे मैं पहले कह चुका हूं देश में बहुत से पंजीकृत एकस्व गैर-भारतीयों के हैं इस लिये बहुत समय के लिये वे भारत में प्रयोग में नहीं लाये जा सके। अत: विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि अनिवार्य लाइसेंस के लिये आदेश देने की तारीख के दो वर्षों के दौरान आविष्कार का प्रयोग न किया जाये तो एकस्व वापिस लिया जा सकता है।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

अब मैं विधेयक के उन उपबन्धों पर आता हूं जो श्री राजागोपाल आयंगर के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के अतिरिक्त बनाये गये हैं। मैं सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इन उपबन्धों को विधेयक में सम्मिलित करने के लिये सरकार ने सब बातों को ध्यान में रखा है। विधेयक में यह उपबन्ध है कि रासायनिक उद्योग से सम्बधित आविष्कार के प्रत्यक एकस्व में ये शब्द—अधिकार के लाइसेंस को पृष्ठांकित किये जाने चाहियें। देश के रासायनिक उद्योगों के विकास के लिये ऐसे उपबन्ध का होना आवश्यक समझा जाता है। वर्तमान कानून में यह व्यवस्था है कि अनिवार्य लाइसेंस से सम्बन्धित एकस्व नियंत्रक के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती हैं। परन्तु व्यवहार में देखा गया है कि इससे देर अधिक हो जाती है और खर्च भी बहुत होता है। इसका परिणाम यह होता है कि चाहे अनिवार्य लाइसेंस सम्बन्धी आवेदक बाद में सफल भी हो जाता है परन्तु एकस्व को प्रयोग में लाने का समय बहुत कम रह जाता है। इससे अनिवार्य लाइसेंस के लिये आवेदन करने के लिये लोग डरते हैं। इस लिये अनिवार्य लाइसेंस के लिये अन्तिम निर्णय देने में होने वाली देरी को दूर करने के लिये इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि अनिवार्य लाइसेंस नियंत्रक के आदशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की बजाय केन्द्रीय सरकार से की जायेगी।

वर्तमान कानून के अनुसार एकस्व 16 वर्षों के लिये मान्य होता है परन्तु इस अवधि को घटा कर 14 वर्ष करने के लिये विचार किया जा रहा है।

अब मैं विधेयक में दिये गये उन उपबन्धों को लूँगा जिनका सम्बन्ध दवाइयों और खाद्यपदार्थों के एकस्वों से है। सदस्यों को पता है कि इस सम्बन्ध में देश व विदेशों में बहुत चर्चा हुई है।

मैं यह साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत से लोगों का यही विचार है कि जहां तक एकस्व पद्धति का सम्बन्ध दवाइयों और खाद्यपदार्थों से है इससे तो इस क्षेत्र के उद्योग के विकास में रुकावट ही होती है। ऐसे अभ्यावेदन दिये गये है कि एकस्व पद्धति के कारण आधुनिक दवाइयां उचित दामों पर नहीं मिल रही है। ऐसा कहा जाता है कि यदि एकस्व विधि न होती तो दवाइयां और खाद्य पदार्थ उचित दामों मिल सकते थे। इस पहलू पर सरकार ने खूब विचार किया है। परन्तु अभी स्थिति यह है कि हमें उद्योग विकसित देशों की सहायता की आवश्यकता है। इसलिये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि एकस्व पद्धति तो जारी रहे परन्तु एकाधिपत्य की स्थिति उत्पन्न न हो जाये। इस के लिये हमने विधेयक में कई उपबन्ध रखे हैं। वर्तमान विधि में एक एकस्व की मान्यता की अवधि 16 वर्ष की है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि उस अवधि को कम कर के 14 वर्ष कर दिया जाये। साथ ही साथ यह प्रस्ताव भी किया गया है कि दवाइयों तथा खाद्यपदार्थों के एकस्वों के मामले में यह अवधि केवल दस वर्ष की रखी जाये।

विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि एकस्व प्राप्त व्यक्ति को एकस्व का प्रयोग करने के लिये जो रायल्टी दी जायेगी वह कारखाने के विक्री मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

सरकार लाइसेंसधारी को प्राधिकार भी दे सकती है कि वह जहां कही भी एकस्वित पदार्थ सस्ते हों वहां से भारत मंगवाये।

इन उपबन्धों के कारण इन पदार्थों के दाम उचित रह सकते हैं।

विधेयक में एक और भी महत्वपूर्ण उपबन्ध किया गया है कि सरकार उत्पादन के लिये एकस्वों का प्रयोग कर सकती है अथवा अपने उपयोग के लिये एकस्वित सामग्री को आयात कर सकती है।

हमने विधेयक में दवाइयों, खाद्यपदार्थों आदि के एकस्वों को विचार में रखा है। वर्तमान अधिनियम की धारा 23(गग) के अन्तर्गत एकस्वित दवाई के अनिवार्य लाइसेंस के लिये एकस्व मिलने पर तुरन्त ही आदेश दिया जा सकता है परन्तु दूसरे एकस्वों के सम्बन्ध में अनिवार्य लाइसेंस एकस्व मिलने की तारीख के तीन वर्षों के बाद दिया जा सकता है।

मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक के उपबन्धों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और जो अभ्यावेदन उसे प्रस्तुत किये जायेंगे उनका भी गौर करेगी।

अब मैं इस प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (पटना) : यह बड़ी हैरानी की बात है कि समिति के 30 सदस्यों में महिला सदस्य कोई भी नहीं है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं एकस्व विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का समर्थन करता हूं। इस कानून का मूलभूत उद्देश्य यह है कि आविष्कर्त्ता को उसके आविष्कार के लिये स्वामित्व का अधिकार दिया जाये। यह अधिकार कानून के जरिये एक शताब्दी से भी अधिक समय से सभी देशों में दिया जाता रहा है। यदि आविष्कर्त्ता को यह अधिकार न दिया जाये तो कोई भी आविष्कार करने के लिये इतनी रकम खर्च करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा।

हमारे देश में प्रयोगशालायें तो बहुत है परन्तु उनमें कोई विशेष आविष्कार नहीं हुए हैं।

आविष्कर्त्ता को आविष्कार के लिये किये गये खर्च को ही नहीं बल्कि आविष्कार के बाद तथा एकस्व अधिकार प्राप्त करने के बाद उस एकस्व का प्रयोग करके उससे कितना लाभ हो सकता है इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इतना अनुसन्धान करने के बाद जो जिन मशीनों का आविष्कार किया जाता है उनमें से बहुत कम को ही एकस्व दिया जाता है। एकस्वित होने पर प्रायः बहुत-सी मशीनें लाभप्रद सिद्ध नहीं होती हैं और इसलिये सफल नहीं होती है। विश्व के सभी औद्योगिक देशों का यह अनुभव रहा है कि किसी आविष्कार के लिये स्वामित्व अधिकार के बारे में संरक्षण इस बात पर आधारित करता है कि इससे न केवल औद्योगिक विकास ही हो बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में भी प्रगति हो। इसलिये हमें अपने देश में भी इन बातों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

[**डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई**
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

इसलिये मंत्री महोदय का भाषण सुन कर मुझे बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि अल्पविकसित देशों में एकस्व विधेयक का विपरीत प्रभाव पड़ता है। विश्व में एकस्वों के प्रयोग के इतिहास से पता चलता है कि ठीक उसी समय से जबकि वर्तमान विकसित तथा उन्नत देश भी अल्पविकसित थे तो उन्होंने एकस्व सम्बन्धी कानून बनाया था। सच तो यह है कि उद्योग, विज्ञान तथा व्यवहार्य अनुसन्धान के सम्बन्ध में इतनी तेजी से प्रगति हुई है कि यह एकस्व संबंधी कानून का ही परिणाम है। संयुक्त राज्य अमरीका में गत सौ वर्षों में जो कुछ प्रगति हुई है यह एकस्व संबंधी कानून का ही परिणाम रहा है।

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य को पता ही होगा कि अमरीका ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी के एकस्व अधिकार का त्याग कर वे वस्तुयें अपने कारखानों में बनानी आरम्भ कर दी थीं।

श्री नारायण दांडेकर : वह तब किया गया था जब वे लड़ाई की स्थिति में थे ।

श्री त्रि० ना० सिंह : परन्तु उन्होंने लड़ाई के बाद भी उस कानून को पुनः लागू नहीं किया ।

श्री नारायण दांडेकर : युद्ध के बाद जर्मन ने फिर एकस्व सम्बन्धी कानून का लाभ उठाया । उन देशों का यह अनुभव रहा है कि एकस्व में अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों के अबाध विनिमय से बहुत से देशों को लाभ हुआ है । इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है ।

इसलिये इस कानून में परिवर्तन करने से पूर्व हमें इस मामले में काफी विचार करना होगा । इस सम्बन्ध में श्री आयंगर ने अपने प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये है हमें उनकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

एक ओर तो सरकार यह चाहती है कि वैज्ञानिक विकास हो, नये नये आविष्कार हो और दूसरी ओर सरकार को सस्ती दवाइयां, सामाजिक न्याय आदि का ख्याल आता है ।

इस विधेयक के खंड 5 में यह उपबन्ध किया गया है कि खाद्यपदार्थों, दवाइयों तथा रासायनिक तरीकों से बनाई गई चीजों के संबंध में एकस्व नहीं दिये जायेंगे । मिश्रित धातुओं के संबंध में बहुत अनुसन्धान की आवश्यकता पड़ती है और यदि एकस्व की गारन्टी नहीं दी जायेगी तो अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । एकस्व केवल तरीक के लिये दिया जा रहा है न कि निर्मित वस्तु के लिये । जहां तक तरीके का संबंध है उसे तो कोई किसी को बतायेगा ही क्यों । एकस्व तो निर्मित वस्तु के लिये दिया जाना चाहिये और यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो लोग निर्मित वस्तु को किसी व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत बेचेंगे और लोग अनुमान ही लगाते रहेंगे कि वह वस्तु कहां से और कैसे आई । कम से कम आवश्यक वस्तुओं के संबंध में तो एकस्व का दिया जाना बहुत ही आवश्यक है ताकि देश में उनका अविष्कार हो सके ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो अत्यावश्यक वस्तुएं नहीं हैं या जो सामान्य वस्तुएं हैं उनके लिये तो 14 वर्ष का एकस्व अधिकार दिया जा रहा है परन्तु अत्यावश्यक पदार्थों के संबंध में केवल 10 वर्ष का एकस्व अधिकार दिया जा रहा है । सरकार को अत्यावश्यक वस्तुओं पर अधिक समय के लिये एकस्व अधिकार देना चाहिये ताकि लोगों को उन वस्तुओं के संबंध में व्यय करने और अविष्कार करने के संबंध में प्रोत्साहन मिले ।

इस विधेयक का एक और आपत्तिजनक उपबन्ध यह है कि यदि कोई निर्माता एकस्व की प्राप्ति के पश्चात 3 वर्ष के भीतर उस वस्तु के संबंध में देश की समस्त मांग को पूरा नहीं कर सकता है तो तीसरे व्यक्तियों को भी उस वस्तु के निर्माण करने की अनुमति होगी । किसी भी एकस्व के वाणिज्यिक विकास में, संयन्त्रों तथा मशीनों के लगाने, वस्तु की खपत के स्थान ढूंढने तथा इन सब बातों से संबंधित खर्च को पूरा करने में काफी समय लगता है । फिर यह स्पष्ट नहीं है कि एकस्व के मालिक को क्या मुआवजा दिया जायेगा ।

एकस्व के मालिक तथा अन्य व्यक्तियों के बीच स्वामित्व (रायल्टी) की दर संबंधी झगड़ों के निबटाने का अधिकार नियन्त्रक को दिया गया है। हम जानते हैं कि इस प्रकार के कार्यकारी अधिकरण प्रायः तथ्यों तथा विधि संबंधी गलतियां करते हैं। और इस मामले में अपील का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया है। यह गलत चीज़ है जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अपील का अधिकार पहले की तरह उच्च न्यायालय को ही दिया जाये।

इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार किसी भी समय एकस्व अधिकारों को जब्त कर सकती है और उस वस्तु का निर्माण कर सकती है जिसका कि किसी और ने अविष्कार किया है। सरकार सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के एकस्व अधिकारों को समाप्त कर सकती है। यह एक बहुत अनुचित बात है। प्रतिरक्षा संबंधी वस्तुओं के संबंध में तो यह छूट दी जा सकती है परन्तु सामान्य वस्तुओं के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिये।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support this Bill. As the hon. Minister has stated there are two main objectives behind this Bill; firstly to provide for adequate compensation to the patent owners in case their patents are acquired, to safegard their rights and secondly that the society should benefit the maximum from the latest inventions. In the case of inventions a man has to put in his time, energy and resources before he can achieve any measure of success and it is not in all the cases that one achieves success. Therefore unless adequate protection is made of the rights of the patent owners this system of patents cannot work successfully. Side by side we must also take note of the fact that in making new inventions in the field of technology or science one also takes advantage of the inventions in the past and there in this background the patent owners have a debt to the society also.

Now we have to see as to what extent we should protect the rights of the individuals and to what extent they should be destroyed. We have seen the foreigners coming to the undeveloped countries for their patent rights.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें।

---

*पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

**ANTI-INDIAN PROPAGANDA BY PAKISTAN

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कहता कि प्रचार हमारे लिये जादू का असर कर सकता है। परन्तु बात यह है कि हमारे खराब प्रचार के कारण विदेशों में हमारी कूटनीति को बड़ा धक्का लगा है। जब भी संकट का समय आता है हमारी प्रचार सेवाएं बुरी तरह विफल हो जाती। हमारी प्रचार सेवाओं की इन त्रुटिओं को हमारा देश कभी क्षमा नहीं कर सकता है।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-hour discussion.

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी] ।

युद्ध में लगे हुए एक राष्ट्र के लिये प्रभावशाली प्रचार एक महत्वपूर्ण हथियार का काम देता है। देश के भीतर हमारे लोगों के हौसले को ऊंचा रखने और विदेशों में हमारी कूटनीति को सफल बनाने के लिये इसका बड़ा महत्व है। जब कि हमारे जवानों ने वीरगति पाई है हम विदेशों में अपने मामले को ठीक तरह से नहीं रख सके हैं। जब घुसपैठिये भारतीय प्रदेश में आये तो विश्व के समाचार-पत्रों में और वास्तव में हमारे समाचारपत्रों में इस खबर को नहीं दिया गया। जब पाकिस्तान ने छम्ब पर आक्रमण किया तो विदेशों में इसके बारे में नहीं बताया गया जब लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान का प्रचार इतना तीव्र था कि विदेशों से तार आये कि क्या वास्तव में कनॉट प्लेस में लड़ाई हो रही है। क्या हमारी विदेश प्रचार सेवा की विफलता का इससे बड़ा कोई और प्रमाण हो सकता है। विदेशों में हमारे प्रतिनिधि मंडलों के पास जहां पर लड़ाई हो रही थी न तो उन स्थानों की जानकारी थी और न ही नक्शे थे।

विदेशों के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तियों ने बार बार यह कहा है कि हमारा विदेश प्रचार बहुत ही अप्रभावशाली है। स्वयं श्री सत्यनारायण सिंह ने अपने विदेशों के दौरे के पश्चात यह कहा है कि हमारा विदेश प्रचार बहुत ही अपर्याप्त है। प्रचार की नीति, संसाधनों और तकनीकी पर अब तक पूरा ध्यान नहीं दिया गया है।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री के समय में इस विषय पर जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं। हमें अपने विदेश प्रचार को नौकरशाही के असर से बचाना है और जब तक ऐसा नहीं होगा हमारी विदेश प्रचार सेवा मजबूत नहीं हो सकती।

हमारा कार्य बहुत कठिन है क्योंकि हमारा शत्रु संसार में सब से अधिक झूठा है। हमें अपने मित्रों के दिमागों से गलत धारणाओं को निकालना है। हमारे विदेश प्रचार में पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। माननीय विदेश मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह देखें कि क्या हमने इस कार्य में उपयुक्त व्यक्तियों को रखा हुआ है, क्या इस कार्य के लिये पर्याप्त राशि नियत की गई है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में बहुत अधिक समन्वय की आवश्यकता है जिसका इस समय अभाव है।

स्वयं श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने कहा है कि हम विदेशों में अनेक प्रतिनिधिमंडल भेज कर हम अपने लिये उलझनें पैदा कर लते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से दो बातें पूछना चाहता हूं; एक तो यह कि हमारे विदेश प्रचार को हमारे वैदेशिक कार्य में क्या प्राथमिकता दी गई है और दूसरे यह कि भारत स्थित विदेशी संवाद-दाताओं के साथ विदेश मंत्रालय किस प्रकार समन्वय स्थापित करता है।

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : क्या सरकार को पता है कि कभी-कभी पाकिस्तान गलत नक्शे प्रकाशित करता है---इस प्रकार का एक नक्शा कच्छ संघर्ष के समय प्रकाशित किया गया था---यदि हां, तो पाकिस्तान को इस प्रकार के नक्शे प्रकाशित करने से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : केलिफोर्निया में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों से मुझे एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि काश्मीर को समझौता क्षेत्र मान कर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि काश्मीर की समस्या अभी हल नहीं हुई है। इस बातको ध्यान में

रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि विदेशों में भारत के प्रचार की व्यवस्था इतनी कमजोर है कि विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों पर पाकिस्तान के प्रचार का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह सच है कि भारत का दृष्टिकोण समझाने के लिये विभिन्न देशों में संसद् सदस्यों के मिशनों को भेजने की वांछनीयता के बारे में समाचार पत्रों आदि में कुछ विवाद उठाया गया था। वैदेशिक-कार्य के सम्बन्ध में वाद-विवाद के समय भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया था। माननीय सदस्य डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी कई बार विदेशों में जा चुके हैं, अतः वह अच्छी तरह जानते है कि एक निर्वाचित जनता का प्रतिनिधि विदेशों में जनता के स्तर से लेकर सरकारी स्तर तक की अपनी बात अच्छी तरह समझा सकता है। इस की आलोचना का हम पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमारे मिशन जिन जिन देशों में गये वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ और उन्होंने सफलतापूर्वक भारत का दृष्टिकोण समझाया जिसका उन देशों पर काफी प्रभाव पड़ा।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि केवल भारत ने ही संसद् सदस्यों के मिशन विदेशों में भेजे हैं। यह सभी जानते है कि संसद् सदस्यों को अपना दृष्टिकोण समझाने के लिये विदेशों में भेजा जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि संसद् सदस्य अपना दृष्टिकोण समझाने में न केवल सरकार के स्तर पर अपितु जनता के स्तर भी काफी सफल हुए हैं।

श्री भागवत झा आझाद (भागलपुर) : प्रधान मंत्री महोदय ने हमें विदेशों में भेजा किन्तु राज्य मंत्री ने राज्य सभा में हमें भेजने का विरोध किया।

श्री स्वर्ण सिंह : यद्यपि मैंने राज्य मंत्री का पूरा वक्तव्य नहीं देखा किन्तु उसके थोड़े से अंश को देखते हुए यह समझना गलत है कि उन्होंने ऐसे मिशनों को विदेशों में भेजने का विरोध किया है। उन्होंने वह वक्तव्य किसी दूसरे संदर्भ में दिया था। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह विदेशों में भेजे गये सदस्यों को, विशेषतः जब कि सभी दलों से लिये गये हैं, पूरा पूरा समर्थन दे। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे न केवल उन्हें श्रेय मिलेगा अपितु देश का भी मान बढ़ेगा और वे विदेशों में भारत के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझा सकेंगे और उनके कार्य की सराहना भी की जायगी। अतः इन मिशनों को भेजने के बारे में जो आलोचना की जा रही है। हमें उसका उचित ढंग से खंडन करना चाहिए।

अब मैं अमरीका और ब्रिटेन में भारतीय प्रचार के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। जम्मू तथा काश्मीर के बारे में अमरीका और ब्रिटेन का दृष्टिकोण आरंभ से भारत के प्रतिकूल रहा है। यह हमारी विदेश प्रचार की किसी प्रकार कमी के कारण नहीं है। ये दोनों देश आरंभ से इस मामले में पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं। जिन नीतियों पर हम चलते हैं शायद वे इन देशों को पसन्द न हो। प्रत्येक देश का कुछ अपना दृष्टिकोण होता है जिस पर किसी विदेशी प्रचार का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो ने सुरक्षा परिषद् में काफी लम्बा भाषण देकर भारत को गाली दी किंतु अमरीका के समाचार पत्रों में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। अतः मैं समझता हूं कि हमें इन देशों के रवैये से न तो घबड़ाना ही चाहिए और नहीं यह अर्थ निकालना चाहिए कि हमारी विदेश प्रचार व्यवस्था कमजोर है। हमें अपना दृष्टिकोण यथासंभव अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि उन्हें यह पसन्द न आये और उन्होंने जो रवैया अपनाया है वह हमें पसन्द न आये तो कोई बात नहीं। हमें सम्बन्ध सुधारने तथा दृष्टिकोण समझाने के लिये सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। उनका अपना दृष्टिकोण था जो उन्होंने अपनी जनता को समझाया और वह उन्हें अच्छा मालूम हुआ।

[श्री स्वर्ण सिंह]

मैं इस बात का खंडन करता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बीच समन्वय का अभाव है। इन मंत्रालयों में पूरी तरह समन्वय है। सभी समाचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है और दोनों मंत्रालयों के समुचित प्रयत्नों द्वारा भारत का दृष्टिकोण विदेशों में प्रस्तुत किया जाता है।

अब मैं विदेशी संवाददाताओं के सम्बन्ध में कुछ स्थिति स्पष्ट करूंगा। मुझे खेद है कि पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किये जाने के तुरन्त बाद जो प्रबन्ध किये गये थे वे अधिक संतोषजनक नहीं थे। यही कारण है कि ये संवाददाता भारत की स्थिति अच्छी तरह समाचार पत्रों द्वारा स्पष्ट नहीं कर सके। इस सम्बन्ध में हमारे सम्पादकीय बोर्ड ने जांच की और उसने यह निर्णय किया कि विदेशों में किस प्रकार भारत के पक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब हम निश्चय यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में विदेशी संवाददाताओं को अधिक सुविधायें दी जायें। यह ठीक है कि कुछ संवाददाताओं ने भारत के पक्ष को उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। यदि ये संवाददाता इस प्रकार का रवैया अपनाते हैं तो हमें निश्चय ही उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यह सच है कि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त है और हमने उन्हें यथासंभव सुविधायें देने की व्यवस्था भी की है। किन्तु स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने हित के लिये कोई गलत बात प्रकाशित करें या हमारे विरुद्ध बढ़ा-चढ़ा कर समाचार दें। यह बड़ी आपत्तिजनक बात है। हमें उन पर नियंत्रण रखना ही होगा। कभी-कभी हमारे देश के समाचारपत्र भी इस प्रकार का अपराध करते हैं किन्तु संविधान में विचारों की स्वतंत्रता की आढ़ में उन्हें देश विरोधी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं वर्तमान प्रचार व्यवस्था से स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं। चाहे यह नियमबद्ध दृष्टिकोण हो या सामान्य दृष्टिकोण, इसमें सुधार करने के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और कुछ कार्यवाही हम और करेंगे। मैं चाहता हूं कि देश में तथा विदेशों में प्रचार संगठन को महत्वपूर्ण तरीके से मजबूत बनाया जाये। यह कहना गलत है कि विभिन्न मिशनों में प्रचार का कार्य करने वाले नौकरशाही प्रवृत्ति के लोग ह। इनमें से अधिकांश लोग पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं और वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में तथा विदेशों में हमारी प्रचार व्यवस्था काफी मजबूत होगी और हमारे देश के दृष्टिकोण को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके लिये हम सतत प्रयत्न करते रहेंगे।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 23 नवम्बर, 1965/2 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 23, 1965/Agrahayana 2, 1887 (Saka

---

GIPN—S5—3 Lok Sabha/66—29-3-66—600.